



तंबाकू बोर्ड

वार्षिक प्रतिवेदन
2021-22



तबाक बोर्ड भारत

(अंप्रसं 9001:2015 से प्रमाणित संस्था)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार





तम्बाकू बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार



भारत-उत्कर्ष तम्बाकू की विस्तृत श्रृंखला के लिए एक मात्र गन्तव्य स्थान

स्वाभाविक रूप से उत्पन्न फसल विश्व भर में अधिमान्य



भारतीय तम्बाकू फसल यूएसपी :

न्यूट्रिटर से अर्ध-सुगन्धित एफसीवी तम्बाकू और विस्तृत श्रेणी वायु अभिसाधित और सूर्य अभिसाधित टोबाकोस से विभिन्न प्रकारों के टोबाकोस का वयन

स्थायी आपूर्ति श्रृंखला के लिए पूरे वर्ष का संभरण

अनुकूल दरजा (स्वभाव) - मूल्य अनुपात

अन्तरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपोषित तम्बाकू उत्पाद अभ्यास

जैव तम्बाकू उपज के लिए प्राकृतिक खेती की पहल

अल्प मात्रा में कीटनाशक अवशेष, टी एस एन ए और भारी धातुएँ



गोल्डन लीफ पुरस्कार 2019 के विजेता

सबसे प्रभावशाली लोक सेवा पहल

विषयसूची

बोर्ड संघटन	5
वरिष्ठ प्रबंध & कारपोरेट शासन	6-7
2021-22 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन	8
2021-22 के दौरान बैठकें	9-10
दि. 31/03/2022 तक मंजूर और मौजूदा संख्या दर्शनेवाली विवरण	11
तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट	12

फसल योजना & नियंत्रण

I. भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ	13
II. 2021-22 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति	13
III. 2021-22 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टिताएँ	14
IV. 2021-22 के लिए पंजीकरण मापदण्ड - विशिष्टिताएँ	14-15
V. 2021-22 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार क्षेत्रफल तथा प्राधिकृत उत्पादन कोटा	15-16
VI. उत्पादन नियंत्रण अभियान	16-17
VII. 2021-22 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों के विवरण	17
VIII. 2021-22 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट	17-19
IX. 2021-22 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट	19-23
X. 2020-21 के दौरान आधिक्य / अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री	23
XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों का प्रचार	23-24
आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	25-26
कर्नाटका 2021-22 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	27

विस्तार और परामर्श सेवाएँ

I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति	28-31
II. 2021-22 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने (एसटीपी) तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार एवं विकासात्मक योजनाएँ	31-42
III. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण	42-47

IV.	2021-22 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय	48
	2021-22 फसल मौसम-विस्तार & विकास योजनाएँ-भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	49-50
	2021-22 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अजा/अजजा/महिला एवं अन्य ग्रोयरों को कवरेज	51-53

ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

i)	तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि	54
ii)	किसानों को उत्पादन सम्बन्धित सेवाएँ दि. 31/03/2022 तक योजना का आरंभ से अनुदान / व्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता	54-55 56

प्लैटफार्म पर नीलामकार की सेवाएँ

I.	आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	57-61
II.	कर्नाटका में 2021-22 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	61-63
III.	आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ दि. 01/04/2021 से 31/03/2022 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण	63-66 67-68
	2021-22 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - 31/03/2022 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण	69
	2021-22 कर्नाटका नीलाम - 31/03/2022 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण	70
	01/04/2021 से 31/03/2022 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार खरीदी	71-72

व्यापार संक्षेप

I.	प्रोसेसर/निर्माणकर्ता/वर्जीनिया तम्बाकू के बाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता/तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक/पैकर/तम्बाकू डीलरों के रूप में पंजीकरण	73
----	---	----

भारत से तम्बाकू & तम्बाकू उत्पादों के निर्यात

I.	भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण	74-80
II.	निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ	81

राजभाषा कार्यान्वयन

- I. राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लिये उपाय, हिन्दी शिक्षण योजना, हर दिन एक शब्द सीखिये, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ, कम्प्यूटरों पर हिन्दी और कार्यशालाएँ 82-83

वित्त एवं लेखा

- I. आंतरिक संपत्तियाँ 84
- II. बजट अनुमान 84
दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट 86-89
- III. तम्बाकू निधि लेखा - 31/03/2022 तक वित्तीय विवरण तुलन-पत्र 90
31 मार्च, 2022 अंत तक अवधि/वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा 91
उद्दिष्ट निधियों का निधि शेष (तुलन पत्र) 92-94
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान 95-103
अनुसूची - 24 : दि.31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 104-109
अनुसूची - 25 : दि.31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर आकर्षित देयताएँ तथा नोट 110-111
लेखाओं पर टिप्पणी 112-122
2009-10 से 2021-22 तक गैर-योजना & योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह (प्लो) स्थिति दर्शाने वाला विवरण 123
संकेताक्षर 124

बोर्ड संघटन

दि. 31/03/2022 तक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड, निम्नानुसार गठित किया गया था :

धारा 4 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत अध्यक्ष का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री यड्लपाटी रघुनाथ बाबू, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड

धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री बंडी संजय कुमार, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री वल्लभनेनी बालशौरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा)

धारा 4 की उपधारा 4 (ग) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री विजय राज मोहन, निदेशक (व्यापार - कृषि से संबंधित), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ।

श्री देवेश गुप्ता, निदेशक (वाणिज्य से सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ।

डॉ. सी.वनलाल राम संगा, आर्थिक सलाहकार (वित्त से सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ।

श्री संपा साहा, निदेशक (औद्योगिक विकास से सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग ।

डॉ. डी.दामोदर रेड्डी, निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमहेन्द्रवरम

श्री एस.जे. सोलंकी, भा.प्र.से., कृषि निदेशक, गुजरात सरकार।

श्री वी.वार्ड. श्रीनिवास, कृषि निदेशक, कर्नाटक सरकार।

डॉ.(श्रीमती) पूनम मालकोङ्डय्या, भा.प्र.से., विशेष प्रथान सचिव, खाद्य, कृषि & सहयोग विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार ।

धारा 4 की उपधारा 4 (घ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री वी.वी. देशमुख, कृषि निदेशक, महाराष्ट्र सरकार

डॉ. एम. मुत्तु कुमार, निदेशक - कृषि & खाद्य उत्पाद, ओडिशा सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (ड) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री कोडवटि वासुदेव राव, उपाध्यक्ष

श्री पोलिशेट्टि श्याम सुन्दर

श्री शफीक यू.आर. रहमान खान

श्री यार्लिंगड़ा अंकम्मा चौधरी

श्री गुण्डाला कोंडा रेड्डी

श्री मोरेड्डी सुब्रह्मण्येश्वर रेड्डी

धारा 4 की उपधारा 4 (च) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

डॉ. नादेला विजय लक्ष्मी, भा.प्र.से., कृषि विपणन सलाहकार-भारत सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (छ) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

डॉ. ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड, गुण्डूर

वरिष्ठ प्रबंध

(दि.31/03/2022 तक)

प्रबंध और वरिष्ठ कर्मचारीगण

अध्यक्ष

श्री वार्ड. रघुनाथ बाबू

कार्यपालक निदेशक

डॉ. अद्विकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,

निदेशक (नीलाम)

श्रीमती एम. अश्वनी नायुहू, भा.वि.से.,

प्रबंधक (नीलाम) & सचिव (प्रभारी)

श्री के. मधुसूधन राव

प्रबंधक (वित्त व लेखा)

श्री वी. वेंकट राव

प्रबंधक (विपणन और निर्यात)

श्री बी. श्याम प्रसाद

प्रबंधक (उत्पादन)

डॉ. एम. कृष्ण श्री

प्रबंधक (विरतार)

श्री जी. दामोदर

प्रबंधक (तकनीकी)

श्री एच.के. गोपाल

प्रादेशिक प्रबंधक (दकामि& दहमि,ओंगोल)

श्री डी. वेणु गोपाल

प्रादेशिक प्रबंधक (उहमि, राजमहेन्द्रवरम) (प्रभारी)

श्री जी.एल.के. प्रसाद

प्रादेशिक प्रबंधक (मैसूर)

श्री के.वी. सत्य प्रसाद

प्रादेशिक प्रबंधक (पेरियापट्टना)

श्री बी. मारज्ञा

ओ.एस.डी. (सतर्कता दल)

श्री जी. बुल्ळि सुख्खाराव

कार्मिक अधिकारी

श्री ए.वी.एस. रामकृष्णा रेड्डी

सहायक प्रबंधक (यो व स)

श्री वार्ड.वी. नमशिवराया

कर्मचारी गण

वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 78

मध्य श्रेणी प्रबंध : 69

कनिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 174

कुल : 321

तम्बाकू बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पोस्ट बॉक्स नं.322, श्रीनिवासराव तोटा, जी.टी.रोड, गुण्ठू-522 004 (आन्ध्र प्रदेश)

0863-2358399/0863-2354232

info@tobaccoboard.co.in/www.indiantobacco.com

दूरभाष सं/फैक्स

ई-मेल & वेबसाईट :

कारपोरेट शासन



वाई. रघुनाथ बाबू

अध्यक्ष



डॉ. अंदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,

कार्यपालक निदेशक



एम. अश्वनी नायुदू, भा.वि.से.,

निदेशक (नीलाम)



के. मधुसूधन राव
प्रबंधक (नीलाम)/
सचिव (प्रभारी)



बी. श्याम प्रसाद
प्रबंधक
(विषयन & निर्यात)



डॉ. एम. कृष्ण श्री
प्रबंधक
(उत्पादन)



वी. वेंकट राव
प्रबंधक
(वित्त व लेखा)



जी. दामोदर
प्रबंधक
(विस्तार)



के.वी. सत्यनारायण
प्रादेशिक प्रबंधक
मैसूर



बी. मारग्गा
प्रादेशिक प्रबंधक
पेरियपट्टना



एच.के. गोपाल
प्रबंधक (तकलीकी)
नीलाम निदेशालय,
बेंगलुरू



डी. वेणुगोपाल
प्रादेशिक प्रबंधक
द का मि & द ह मि
ओंगोल



जी.एल.के. प्रसाद
प्रादेशिक प्रबंधक (प्रभारी)
राजमहेन्द्रवरम

2021-22 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना, भारत सरकार के द्वारा, “तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975” के तहत, तम्बाकू उद्योग में सर्वोमुखी विकास लाने के लिए, की गई थी। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका - तम्बाकू किसानों को व्यायसंगत एवं लाभप्रद दामों तथा निर्यातों के विकास के साथ एक सक्रिय खेतीबारी पद्धति की सुविधा (सुचारू) प्रणाली का सुनिश्चयन करना है।

तम्बाकू, भारत में उगाने वाले मुख्य वाणिज्यिक फसलों में एक हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 45.7 मिलियन लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा के रूप में ₹ 6,529.30 करोड़ रूपये राष्ट्रीय राजकोष को योगदान देती है। विश्व में 2021-22 के दौरान भारत का तम्बाकू उत्पादन में एक विशिष्ट स्थान है। भारत 2021 के दौरान, विश्व में तम्बाकू उत्पादन में दूसरा बड़ा देश और इस अवधि के दौरान अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न आगे जल-वायु स्थितियों के अंतर्गत उनके भौतिक एवं रसायनिक लक्षणों से भिन्न-भिन्न हैं। भारतीय तम्बाकू विश्व-व्याप्त में 121 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। भारत, निर्यातों के लिए उत्पादन का एक आकर्षक विविधिकृत आधार प्रदान करते हुए तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों, विशेषताओं एवं मूल्य के श्रेणियों के लिए एक ऑन-स्टॉप शॉप प्रदान करती है। एफसीवी तम्बाकू का पैदावार, पारंपरिक काली मिट्टी (टीबीएस), उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि), दक्षिणी हल्की मिट्टी (दहमि) और कर्नाटका हल्की मिट्टी (कहमि) में किया जाता है। भारत में, उत्पादित तम्बाकू में गुणवत्ता की विस्तृत श्रेणी तम्बाकू जैसे., अर्ध-गमकीय से लेकर गमकीय (एनएलएस & इएलएस), गुणता व्यूहूल फिल्हर (कहमि & दहमि) और अच्छे फिल्हर (टीबीस) प्रकारों का उत्पादन होता था। तम्बाकू बोर्ड ने 2021-22 फसल मौसम के लिए एफसीवी तम्बाकू कृषि के लिए 227 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण को, जो पूर्व वर्ष की 203 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में 24 मि.कि.ग्रा. अधिक निर्धारित किया गया था। तम्बाकू बोर्ड ने, तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता को विकसित करने के लिए विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत ₹ 320.25 लाख की राशि व्यय की है। वर्ष 2021-22 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में 183.049 मि.कि.ग्रा. को ₹ 153.89 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में, जो 2020-21 वर्ष के दौरान ₹ 122.25 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में 222.02 मिलियन कि.ग्रा. का विपणित किया था। 2021-22 के दौरान, भारत से ₹ 6,529.30 करोड़ (876.22 यूएस \$ मिलियन) मूल्य के 2,19,858 मेट्रिक टन तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात हुआ है। 2020-21 के दौरान रहे निर्यातों की तुलना में, 2021-22 के दौरान तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात परिमाण, मूल्य रूपयों और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 4%, 4% और 3% की धनात्मक वृद्धि दर्ज हुई।

ग्रोयरों को उत्तम सेवाएँ और तम्बाकू उद्योग का विकास से सर्वधित क्रियाकलापों के सम्मान में मेसर्स. डीएनवी - जीएल-विजिनेस एश्यूरेन्स ने अंप्रसं 9001:2015 प्रमाणपत्र से तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया था और यह प्रमाणपत्र 18/03/2025 तक मान्य है।

तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात, जो 2020-21 के दौरान 876.58 मिलियन यूएस डालर के मूल्य में निर्यातित 2.22 लाख एमटी के निर्यातों के लिए 2021-22 के दौरान 923.40 मिलियन यूएस डालर के मूल्य में 2.25 लाख एमटी का निर्यात किये गये थे। 2021-22 के दौरान, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात पूर्व वर्ष याने., 2020-21 की तुलना में परिमाण के शब्दों में 1.50% और मूल्य के शब्दों में 5.34% की वृद्धि दर्ज किये थे। (ओत: डीजीसीआईएस, कोलकत्ता)

2021-22 के दौरान बैठकें

(दि. 01/04/2021 से दि. 31/03/2022 तक)

क) सांविधिक बैठकें

पाँच बोर्ड की बैठकें और चार समिति की बैठकें संपन्न हुए।

बोर्ड बैठकें :

- बोर्ड की 153वीं बैठक हाईब्रीड विधान द्वारा दि.19 अप्रैल, 2021 (सोमवार) को संपन्न हुई ।
- बोर्ड की 154वीं विशेष बैठक हाईब्रीड विधान द्वारा दि.23 जून, 2021 (बुधवार) को संपन्न हुई ।
- बोर्ड की 155वीं विशेष बैठक हाईब्रीड विधान द्वारा दि.16 अगस्त, 2021 (सोमवार) को संपन्न हुई ।
- बोर्ड की 156वीं विशेष बैठक हाईब्रीड विधान द्वारा दि.3 दिसंबर, 2021 (शुक्रवार) को संपन्न हुई ।
- बोर्ड की 157वीं बैठक हाईब्रीड विधान द्वारा दि.18 फरवरी, 2021 (शुक्रवार) को संपन्न हुई ।

ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

- ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 94वीं बैठक दि.19/04/2021 को मुख्य कार्यालय, गुण्ठूर में संपन्न हुई ।
- ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 95वीं बैठक दि.16/08/2021 को हाईब्रीड विधान द्वारा संपन्न हुई ।
- ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 96वीं बैठक दि.28/02/2022 को नीलाम प्लैटफार्म सं 20, ओंगोल-I में संपन्न हुई ।

व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

- व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं की रजिस्ट्रेशन समिति की 46वीं बैठक दि. 30/09/2021 को मुख्य कार्यालय, गुण्ठूर में संपन्न हुई ।

ख) असांविधिक बैठकें :

1. कोविड महमारी को दृष्टि में रखते हुए नीलामियों का आयोजन पर चर्चा करने भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.12/05/2021 को विडियो कान्फरेन्स द्वारा संपन्न हुई ।
2. कोविड महमारी को दृष्टि में रखते हुए नीलामियों का आयोजन पर चर्चा करने ग्रोयर प्रतिनिधियों और भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.20/05/2021 को विडियो कान्फरेन्स द्वारा संपन्न हुई ।
3. चालू नीलामियों में बाजार की स्थिति और नीलामियों को शीघ्र समापन करने की स्ट्रटजी के बारे में चर्चा करने भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.20/07/2021 को विडियो कान्फरेन्स द्वारा संपन्न हुई ।
4. 2021-22 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू फसल की विक्री करने के लिए नीलामियों को प्रारंभ करने से संबंधित चर्चा करने ग्रोयर प्रतिनिधियों, भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक दि.23/08/2021 को वीडियो कान्फरेन्स द्वारा संपन्न हुई ।
5. एफसीवी तम्बाकू व्यापार में एफसीवी तम्बाकू डीलरों द्वारा सामना किये जाने वाली समस्याओं पर चर्चा करने एफसीवी तम्बाकू डीलरों के साथ एक बैठक दि.04/10/2021 को गुण्टूर में संपन्न हुई ।
6. एफसीवी तम्बाकू डीलरों द्वारा बैंक क्रेडिट को प्राप्त करने में समस्याओं और संबंधित विषयों पर चर्चा करने बैंकरों और एफसीवी तम्बाकू डीलरों के साथ चर्चा करने मुख्य कार्यालय, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में एक बैठक दि.11/10/2021 को संपन्न हुई ।
7. 2021-22 कर्नाटका चालू एफसीवी तम्बाकू नीलामियों और नीलामियों को शीघ्र ही समापन करने की युद्धनीति पर चर्चा करने भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि.02/02/2022 को संपन्न हुई ।
8. तम्बाकू उद्योग से संबंधित विषयों पर चर्चा करने भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में दि.15/02/2022 को संपन्न हुई ।
9. आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 एफसीवी तम्बाकू फसल की विक्री करने के लिए नीलामियों को प्रारंभ करने से संबंधित चर्चा करने भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.25/02/2022 को रेतु भवन, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में संपन्न हुई ।



दि.16/08/2021 को गुण्टूर में संपन्न 155वीं बैठक


31/03/2022 तक मंजूर और मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या दर्शानेवाली तालिका

क्रम संख्या	पद का नाम	कुल	
		मंजूर	मौजूदा
ग्रूप - ए - वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध			
1	अध्यक्ष	1	1
2	कार्यपालक निदेशक	1	1
3	निदेशक (नीलाम)	1	1
4	सचिव	1	0
5	प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक	10	9
6	उप प्रबंधक (लेखा)	1	0
7	नीलाम अधीक्षक / व श्रे अ	55	50
8	सहायक प्रबंधक (लेखा)	33	16
9	सांख्यकीय अधिकारी	1	0
10	सिस्टम विश्लेषक	1	0
	उप कुल	105	78
ग्रूप - बी - मध्य श्रेणी प्रबंध			
11	प्रोग्रामर	1	0
12	हिंदी अधिकारी	1	0
13	नि.स., अध्यक्ष	1	0
14	क्षेत्र अधिकारी / तकनीकी सहायक	88	45
15	वरिष्ठ अनुवादक	1	1
16	आशुलिपिक ग्रेड - I	1	1
17	लेखाकार	33	20
18	वरिष्ठ अन्वेशक	1	0
19	सहायक	13	0
20	संख्यकीय सहायक	1	1
21	रखवाला (केयरटेकर)	1	0
22	आशुलिपिक ग्रेड - II	3	1
23	विशेष श्रेणी चालक	1	0
	उप कुल	146	69
ग्रूप - सी - जूनियर श्रेणी प्रबंध			
24	कम्प्यूटर प्रचालक	27	17
25	आशुलिपिक ग्रेड - III	4	3
26	उच्च श्रेणी लिपिक	43	18
27	वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	45	9
28	क्षेत्र सहायक	158	51
29	निम्न श्रेणी लिपिक	52	35
30	हिन्दी टंकक	2	1
31	चालक	31	12
32	गेस्टेटनर ऑपरेटर	1	0
33	बहु कार्य कर्मचारी	140	28
	उप कुल	503	174
	महायोग	754	321

तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट

तम्बाकू बोर्ड अध्यक्ष के नेतृत्व में

कार्यपालक निदेशक




फसल योजना और नियंत्रण

I) भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ :

एफसीवी तम्बाकू उत्पादन पिछले छःवर्षों से वर्ष-प्रति-वर्ष घटता-बढ़ता जा रहा है। यह विस्तृत अस्थिर गातावरण उपज पर प्रभाव के साथ-ही-साथ आपूर्ति की मूल्य सापेक्षता के शब्दों में बाजार गतिशीलता आदि., को प्रतिबिम्बित करती है। एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान (याने., 2016-17 से 2020-21 तक) -0.29% और इस वर्ष 2021-22 को मिलाकर -1.26% यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्ज किया है।

(परिमाण मि. कि.ग्रा)



II) 2021-22 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति :

दि. 19/04/2021 को संपन्न 153वीं बोर्ड बैठक में कोविड-19 संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 2020-21 फसल मौसम के दौरान निर्धारित 88 मि.कि.ग्रा के लिए, 2020-21 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका के लिए 97.00 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण को निर्धारित किया था। बोर्ड ने, पहचानित प्रगतिशील किसानों को शून्य रोपित ग्रोयर कोटा को पुनः आर्बंटिट करने का निर्णय लिया ताकि गुणवत्ता तम्बाकू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे एफसीवी तम्बाकू की कृषि में किसानों को रिटर्नों में सुधार करने में मदद मिलेगी।

2021-22 फसल मौसम के दौरान, दि. 16/08/2021 को संपन्न बोर्ड की 155वीं बैठक में कोविड-19 संकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 2020-21 के दौरान निर्धारित 115.00 मि.कि.ग्रा. के लिए 130.00 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण को निर्धारित किया था।

तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 2020-21 फसल परिमाण के दौरान निर्धारित 203.00 मि.कि.ग्रा के लिए 2021-22 फसल मौसम के दौरान कुल फसल परिमाण 227 मि.कि.ग्रा. को निर्धारित किया। मिट्टी क्षेत्र वार निर्धारित फसल परिमाण विवरण 2020-21 की तुलना से 2021-22 फसल मौसम के दौरान निम्नानुसार है :

मिट्टी क्षेत्र	2021-22 फसल मौसम(मि.कि.गा)	2020-21 फसल मौसम(मि.कि.गा)
उहमि क्षेत्र	44.71	40.45
दहमि क्षेत्र	43.68	37.91
दकामि क्षेत्र	37.46	33.43
उकामि क्षेत्र	4.15	3.21
उपकुल	130.00	115.00
कहमि क्षेत्र	97.00	88.00
महाकुल	227.00	203.00

III) 2021-22 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टतयाँ :

2021-22 फसल मौसम के दौरान उत्पादन को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड की नीति-ढाँचा (फ्रेमवर्क) निम्नानुसार रहा है :

- अतिरिक्त (आधिक्य) और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती पर नियंत्रण की दृष्टि रखने के साथ उत्पाद गुणवत्ता पर केन्द्रीकरण करते हुए एफसीवी तम्बाकू खेती (के अंतर्गत) क्षेत्र को नियंत्रण करना नीति का उद्देश्य है।
- एफसीवी तम्बाकू खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम कराना और अन्य वैकल्पिक फसल / क्रापिंग प्रणाली के लिए परिवर्तन कराना ।
- आधिक्य उत्पादन को निर्धारित परिमाण तक, जो सख्त रूप से उत्पादन को सीमित करने, ताकि ग्रोयरों को उचित एवं लाभप्रद मूल्य की सुनिश्चित करना ।
- एफसीवी तम्बाकू खेती को, जो गुणता समस्याओं से दूर रखने लवणीय क्षेत्रों, धान-परती भूमियों और अनुपयुक्त भूमियों में अपनाने के लिए अनुमति न देना । इस क्षेत्रों को अन्य वैकल्पिक फसलों के लिए परिवर्तित कराना ।
- बोर्ड के अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ग्रोयरों, जिन्होंने अप्राधिकृत बखारों का निर्माण कर रहे हैं/किया है और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती को अपनाये हैं, के प्रति कठिन कार्रवाई प्रारंभ कराना ।

IV) 2021-22 के लिए रजिस्ट्रेशन मापदण्ड-विशिष्टतयाँ :

2021-22 फसल मौसम के दौरान, ग्रोयरों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड रखे गये थे ।

- 2020-21 फसल मौसम में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी ग्रोयरों/बखारों को वर्ष 2021-22 में, बशर्ते कि ग्रोयर एक फिट बखार का मालिक हो और अपने खयं या पट्टे पर वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए उपयुक्त भूमि वाला हो और तम्बाकू बोर्ड की अधिनियम या इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को उल्लंघन न करने पर रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए योग्य होंगे ।
- नये बखारों के निर्माण करने के द्वारा एफसीवी तम्बाकू खेती को अपनाने के लिए कोई नये ग्रोयर को अनुमति नहीं दिया जायेगा और एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए नये प्रांतों को अनुमतित नहीं किया जायेगा । (नये बखारों को निर्माण करने के लिए अनुशासित नहीं दिया जायेगा ।)

- ग्रोयरों, जिन्होंने 2020-21 में पंजीकृत किये थे, लेकिन बकाया देय/दंड भुगतान/बखार विवादों में शामिल/अयोग्य बखारों की मरम्मत/पंजीकरण स्थानांतरण के लिए निर्धारित दरतावेजों की प्रस्तुतीकरण आदि., के अंतर्गत हो, को रजिस्ट्रेशन नवीकरण की स्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख के अंदर इन शर्तों को पूरा करना होगा ।
- ग्रोयर आवेदकों, जिन्होंने 2020-21 फसल मौसम में पंजीकृत किये थे और तम्बाकू की खेती और संसाधन के लिए सबूत के रूप में फार्म - II & III में रिटर्नों को प्रस्तुत किये थे, लेकिन तम्बाकू को नीलाम प्लैटफार्म में विक्रय नहीं किये थे, को निर्धारित जुर्माना को भुगतान करने के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा ।
- ग्रोयर आवेदकों, जिन्होंने 2020-21 फसल मौसम केलिए पंजीकृत किये थे, लेकिन फार्म-II रिटर्नों में घोषित कोटा से 25% से कम और 50% का कोटा से अधिक को विक्रय किये थे, को निर्धारित जुर्माना को भुगतान के अधीन रजिस्ट्रेशन केलिए विचार किया जायेगा ।
- पंजीकृत ग्रोयर, जो अपने स्वयं या अपने परिवार सदस्यों के नाम पर अप्राधिकृत बखार धारक हो, को (अपना) अप्राधिकृत बखार को डिसफक्शन करना होगा तथा भविष्य में इस बखार को नवीकरण न करने जैसा उल्लिखित करते हुए शपथ - पत्र प्रस्तुत करने पर, रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्रदान करने के लिए योग्य होंगे ।
- ग्रोयर आवेदकों, जो अनुज्ञापित क्यूरिंग सुविधा (बखार) के बिना आवेदन/ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्राधिकृत बखार/अयोग्य बखार/नये बखारों का निर्माण करने अनुज्ञापित के लिए माँग/3 वर्षों से अधिक अवधि के लिए ब्रेक-इन रजिस्ट्रेशन/क्रियाकलापों को अवरोधन, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम & विनियमों को उल्लंघन किये थे, वे 2021-22 फसल मौसम के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होंगे ।
- भारत सरकार ने पत्र दि.14/06/2021, सं.09/11/2016 - ई.पी. (अग्री-VI) के द्वारा भविष्य में एक मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत बखारों को, बशर्ते कि प्रधान नियमों & निश्चित शर्तों के अनुसार बोर्ड के अपने बैठक के निर्णय के अधीन शिफिंग करने के लिए तम्बाकू बोर्ड को अनुमति दी । तदनुसार, 2021-22 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में बखारों को शिफिंग करने के लिए बोर्ड ने अनुमति दी ।

V) 2021-22 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्राधिकृत उत्पादन कोटा :

2021-22 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में खेती के लिए प्राधिकृत मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्रति बखार केलिए प्राधिकृत उत्पादन कोटा निम्नानुसार है :

आन्ध्र प्रदेश :

दि.16/08/2021 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न 95वीं रजिस्ट्रेशन समिति की बैठक में आन्ध्रप्रदेश में मिट्टी क्षेत्र वार प्रति बखार उत्पादन परिमाण को निम्नानुसार निर्धारित किया और वहीं क्षेत्र के अंतर्गत ग्रोयरों को, जिन्होंने पंजीकृत किये थे और फार्म-II रिटर्नों को प्रस्तुत किये थे, को 2020-21 फसल मौसम के समान 2021-22 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान तम्बाकू रोपित किये थे, को शून्य रोपित ग्रोयर परिमाण और बचे हुए प्राधिकृत फसल को आबंटित करने का निर्णय लिया गया था । रजिस्ट्रेशन समिति के निर्णयानुसार शून्य रोपित ग्रोयर कोटा और बचे हुए फसल परिमाण को ग्रोयरों को, जो वही मिट्टी क्षेत्र में तम्बाकू को रोपित किये थे, को वितरित किया था । शून्य रोपित ग्रोयर परिमाण और बचे हुए फसल परिमाण को वितरण करने के बाद 2021-22 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार प्राधिकृत प्रति बखार के लिए अंतिम परिमाण विवरण निम्नानुसार रहा है :

मिट्टी क्षेत्र	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा/बखार)		
	2021-22	2020-21	2021-22		2020-21
			प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.)	शून्य रोपित ग्रोयर कोटा & बचे हुए फसल परिमाण को वितरण के बाद अंतिम कोटा	
उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि)	1.40	1.30	3,200	3,439	3,020
दक्षिणी हल्की मिट्टी (दकामि)	2.50	2.30	3,350	3,879	3,050
दक्षिणी काली मिट्टी (दकामि)	1.70	1.40	3,250	3,510	3,020
उत्तरी काली मिट्टी (उकामि)	1.40	1.00	2,785	3,200	2,707

* उहमि में पूहमि भी शामिल है।

दि. 16/08/2021 को संपन्न बोर्ड की 155वीं बैठक में 2021-22 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान शून्य रोपित ग्रोयरों के परिमाण से 1188 बखारों (आई टी एस) कवर करते हुए 824 पहचानित प्रगतिशील किसानों को 100 कि.ग्रा/बखार (सिमप्लेक्स) अतिरिक्त कोटा को बाँटने के लिए निर्णय लिया था। बोर्ड ने, पहचानित प्रगतिशील किसानों को वितरण करने के बाद बचे हुए शून्य रोपित ग्रोयरों के कोटा को 2021-22 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका के पंजीकृत ग्रोयरों को समान रूप से वितरण करने का भी निर्णय पारित किया था।

बोर्ड में लिये निर्णय को अनुसार 2021-22 कर्नाटका फसल मौसम के लिए शून्य रोपित ग्रोयर कोटा से 1,188 बखारों को कवर करते हुए 824 पहचानित प्रगतिशील किसानों को 100 कि.ग्रा/बखार (सिमप्लेक्स) की अतिरिक्त कोटा को दिये गये। प्रगतिशील किसानों को वितरण करने के बाद बचे हुए शून्य रोपित ग्रोयरों कोटा को 2021-22 कर्नाटका फसल मौसम के लिए 52,161 बखारों को (सिमप्लेक्स) कवर करते हुए 40,342 पंजीकृत ग्रोयरों को 9 कि.ग्रा/आई टी एस के हिसाब से वितरित किये गये।

2021-22 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान प्रति सिमप्लेक्स और डुप्लेक्स बरवार के लिए पंजीकृत क्षेत्र और प्राधिकृत परिमाण निम्नानुसार है :

कर्नाटका :

बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा/बखार)		
	2021-22	2020-21	2021-22		2020-21
			प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.)	शून्य रोपित ग्रोयर कोटा & बचे हुए फसल परिमाण को वितरण करने के बाद अंतिम कोटा	
सिमप्लेक्स बखार	1.30	1.24	1,715	1,724	1,552
डुप्लेक्स बखार	2.60	2.48	3,430	3,448	3,104

VI) उत्पादन नियंत्रण अभियान :

बोर्ड ने, 2021-22 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य /अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए गाँवों में व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठकें और सामूहिक संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन नियंत्रण अभियान को अपनाया। एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य / अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए ग्रोयरों को अपील करने के लिए सार्वजानिक प्रचार साधन जैसे., पोस्टर, करपत्रों का वितरण, श्रव्य-केसेटों को चलाना, इलेक्ट्रानिक और प्रिंट तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2021 - 2022

मीडिया का उपयोग आदि., को प्रभावी रूप से उपयोग किये गये। 2021-22 के दौरान उत्पादन नियंत्रण अभियान के एक भाग के रूप में हर नीलाम प्लैटफार्म के लिए निर्धारित 6 औपचारिक बैठकों के अलावा गाँवों में क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में लगभग 296 सामूहिक बैठकें और कर्नाटका में 103 सामूहिक बैठकें बोर्ड द्वारा आयोजित किये गये।

VII) 2021-22 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों के विवरण :

2021-22 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू की खेती के लिए 92,481.35 बखारों को कवर करते हुए कुल मिलाकर 84,759 ग्रोयरों ने बोर्ड के साथ पंजीकृत किये थे। इस में आन्ध्र प्रदेश में 38,786.35 बखारों को कवर करते हुए 43,321 ग्रोयरों ने (दि. 31/03/2022 तक) तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे। एफसीवी तम्बाकू उत्पादन के लिए पंजीकृत 70,836 हैं। क्षेत्र के लिए वास्तव में 66,265.23 हैं। के क्षेत्र में रोपण हुआ था। कर्नाटका में, 53,695 बखारों को कवर करते हुए 41,438 ग्रोयरों ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे। एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत प्राधिकृत 69,804 हैं। क्षेत्र के लिए 71,877 हैं। क्षेत्र में रोपण हुआ था।

2021-22 फसल मौसम के लिए कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत ग्रोयरों के प्लैटफार्म वार विवरण, पंजीकृत बखार और क्षेत्र, प्राधिकृत परिमाण और रोपित क्षेत्र विवरण पृष्ठ सं. 25 से 27 में दिये गये।

VIII) 2021-22 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

नर्सरी बेडों में बीजों की बुआई मार्च के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हुई और अप्रैल, 2021 की द्वितीय सप्ताह तक समाप्त हुई। 2021-22 के दौरान कर्नाटका में नर्सरी के अंतर्गत बोआई क्षेत्र 589.96 हेक्टार था, जो पूर्व वर्ष की (609.17 हे.) की तुलना में 3.15% कम हुई। अधिकाधिक ग्रोयर पौधों की अधिकाधिक सुव्यवस्थित एवं एकलूपी वृद्धि को प्राप्त करने द्वे नर्सरी को अपनाये थे। कुछ ग्रोयरों रोग मुक्त और स्वास्थ्य बीजों को उत्पादन करने के लिए ग्रीन टेक नर्सरी को अपनाये थे। नर्सरी की वृद्धि अच्छी रही और पेस्ट तथा बीमारियों से मुक्त रहा था।



कंचन एक बोया हुआ प्रधान किरम है, जो बोआई नर्सरी क्षेत्र याने., 286.51 हे. से लगभग कुल नर्सरी क्षेत्र में 48.57% का हिस्सा अपना लिया साथ-साथ सीएच-3 और एफसीएच-222 संकर किरमों क्रमशः : 292.93 हे. (49.65%) और 10.52 हे. (1.78%) क्षेत्र में बोआई हुए थे।

प्रधान क्षेत्र :

इस वर्ष के दौरान, कर्नाटका में रोपण मई महीने की दूसरी सप्ताह में प्रारंभ होकर और जून, 2021 के अंत तक समाप्त हो गये। प्रधान क्षेत्र में बीजों की स्थापना अच्छी रही थी। 2021-22 के दौरान, कर्नाटका में कुल 71,877.09 हे. के क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू रोपण हुआ था, जो पूर्व वर्ष में रोपित 73,609 हे. की तुलना में 2.35% कम रहा है। कुल रोपित क्षेत्र में लगभग 36,114.07 हे. (50.24%) कंचन किरम के अंतर्गत रहा था, सीएच-3 (48.51%) के अन्तर्गत 34,865.92 हे. और एफसीएच-222 (1.25%) के अन्तर्गत 897.10 हे. क्षेत्र रहा था।

प्लानटेशन स्थिति	2021-22		2020-21	
प्रारंभ प्लानटेशन (31 मई तक)	67,256.39	93.57%	72,119.00	98%
मध्य प्लानटेशन (15 जून तक)	4,330.70	6.03%	1,490.00	2%
विलंब प्लानटेशन (15 जून के बाद)	290.00	0.40%	-	-
कुल :	71,877.09	100%	73,609.00	100%



कर्नाटका में फसल की वृद्धि :

उर्वरकों को समय पर उपयोग और ग्रहण के कारण फसल की वृद्धि अच्छी रही थी। बाद में जून, 2021 महीना के दौरान पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण प्रधान वृद्धि अवधि के दौरान, प्रारंभ फसल नमी को महसूस की। जुलाई प्रथम पखवाड़ा में अच्छी मात्रा में प्राप्त वर्षा के कारण फसल कुछ सीमा तक रिकवर हो गई। फिर भी, वातावरण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण सभी प्लैटफार्म क्षेत्रों में पत्तियों में कृत्रिम पक्कन देखी गयी और कुछ किसानों ने। या 2 पत्तों को काठने के बिना फसल के क्षेत्रों में ही छोड़ दिये गये। सितम्बर, 2021 के प्रथम सप्ताह के दौरान एफसीवी तम्बाकू पैदावार क्षेत्रों में फिर से माध्यम से भारी वर्षा प्राप्त हुई। इन वर्षाओं के कारण 1 या 2 क्यूरिंग थोड़ा प्रभावित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप क्यूरिंग में माध्यम और निम्न श्रेणी की संख्या अधिक हो गई। प्रारंभ फसल में पैदावार कम प्राप्त हुए। बेहतर पत्ता विस्तार के साथ मध्य फसल की वृद्धि अच्छी रही और पैदावार अच्छी हुई।

पेस्ट तथा बीमारियाँ :

2021-22 फसल मौसम के दौरान, प्रधान क्षेत्र में प्रधान पेस्ट और बीमारियों की कोई नोटीस नहीं की गई। कुछ क्षेत्रों में तम्बाकू मोजाईक वैरस की आपतन देखी गई और ग्रोयरों को इसकी आगे फैलाव से बचने के लिए स्वच्छता और निवारक उपायों को अपनाने के लिए सलाह दी गई। कुछ क्षेत्रों में ब्लाक शान्क बीमारी और स्पोडोप्टेरा की उत्पीड़न की घटना देखी गयी।

फसल & क्यूरिंग :

प्रारंभ में तीन क्यूरिंग उत्तम से अधिक उत्तम श्रेणी रहे थे। चौथा और पाँचवा क्यूरिंग भारी वर्षा के कारण प्रभावित हुए और इन क्यूरिंगों में मध्यम और निम्न श्रेणी की अधिक उत्पाद हुए थे। प्रति बखार के लिए औसत 6 से 7 क्यूरिंगों को अपनाये गये। क्यूरड पत्ता नींबू रंग के रहे थे। कुल मिलाकर, तम्बाकू की गुणता पूर्व वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत चमकीला श्रेणी आऊटटर्न के साथ उत्तम रही है। फिर भी, पत्ता वजन कम रही है, के कारण पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान पैदावार प्रति है। के लिए कम रही थी।



पैदावार :

पिछले वर्ष की उत्पादकता 1,201 कि.ग्रा./हे. की तुलना में 2021-22 के दौरान औसत पैदावार लगभग 948 कि.ग्रा./हे. हुई थी। 2020-21 में 15:41:44 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ विपणित 88.42 मिलियन कि.ग्रा. के विपरीत चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए क्रमशः 32:37:31 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ 68.14 मिलियन कि.ग्रा. का फसल विपणन हुआ था।

IX. 2021-22 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

2021-22 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों में नर्सरी गुआई अगस्त महीने के दौरान प्रारंभ हुए। आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 के दौरान, जो पूर्व वर्ष में बोआई 358.81 है। नर्सरी क्षेत्र के लिए लगभग 804.89 है। के क्षेत्र में नर्सरी को अपनाया गया। इस मौसम के दौरान कोई प्रधान पेरस्ट तथा बीमारियों का आपतन की रिपोर्ट नहीं मिली। सीडिलिंगों का मूल्य, दहमि और दकामि क्षेत्रों में लगभग ₹ 800/- से ₹ 1,500/- प्रति गठरी (6,000 सीडिलिंग) के लिए मूल्य रहे। उ ह मि क्षेत्र में, प्रति गठरी के मूल्य लगभग ₹ 4,000/- तक रहे।



किस्म :

दक्षिण हल्की मिट्टियों और परंपरागत काली मिट्टी क्षेत्रों के 490.95 हे. में बोयी जाने वाली 'सिरी' एक प्रधान किस्म है, जो कुल नर्सरी क्षेत्र में (722.13 हे.) लगभग 67.98% का हिसाब रही है। अन्य बोयी जाने वाली किस्मों में एफसीआर-15, सुलक्षणा और एन-98 आदि., रहे हैं। उन्हें मिक्के क्षेत्रों के कुल नर्सरी क्षेत्र (82.76 हे.) में लगभग 52.09% में बोया जाने वाले प्रधान किस्म एल-7, जो लगभग 43.11 हे. क्षेत्र में बोया गया है।

प्रधान क्षेत्र :

2020-21 फसल मौसम के दौरान, रोपित 65,142 हे. के विपरीत आन्ध्र प्रदेश में कुल 66,265 हे. क्षेत्र, जो 1.72% अधिक क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू रोपित किया गया था। प्रारंभ (15 अक्टूबर से पहले), मध्य (15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच) और देरी (15 नवंबर के बाद) के अंतर्गत रोपित क्षेत्र का अनुपात क्रमशः 4:39:57 रहा था।

दक्षिणी हल्की मिट्टी, दक्षिणी काली मिट्टी और उत्तरी काली मिट्टी क्षेत्रों में कुल 39,965.06 हे. क्षेत्र में सिरी एक प्रधान बोयी जाने वाली किस्म है, जो कुल रोपित क्षेत्र में 82% का हिसाब रही थी। दहमि और दकामि क्षेत्रों में एफसीआर-15, सुलक्षणा और जी-11 (हेमा) किस्मों के अन्तर्गत रही थी। उत्तरी हल्की मिट्टियों में एलवी-7 संकर 6,398.80 हे. क्षेत्र में रोपित की गयी। अन्य किस्म 11,001.12 हे. क्षेत्र में रोपित किये गये।

प्लानटेशन स्थिति	2021-22		2020-21	
	प्रारंभ प्लानटेशन (15 अक्टूबर तक)	मध्य प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	देरी प्लानटेशन (15 नवंबर के बाद)	कुल :
प्रारंभ प्लानटेशन (15 अक्टूबर तक)	2,690.10	4%	1,932.60	3%
मध्य प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	25,822.86	39%	25,946.10	40%
देरी प्लानटेशन (15 नवंबर के बाद)	37,752.27	57%	37,263.70	57%
कुल :	66,265.23	100%	65,142.40	100%

आन्ध्र प्रदेश में फसल की वृद्धि :

2021-22 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में दहमि, दकामि & उहमि क्षेत्रों में अक्टूबर, 2021 के प्रथम सप्ताह के दौरान और उकामि क्षेत्र में नवंबर, 2021 महीने की द्वितीय सप्ताह में रोपण प्रारंभ हुए। नवंबर, 2021 के अंतिम सप्ताह में 'जवाद' चक्रवात के कारण प्राप्त भारी वर्षाओं के कारण प्रकाशम, नेल्लुरु और पूर्व गोदावरी जिलाओं में 6,161.10 हे. के क्षेत्र में प्रतिरोपित फसल डामेज हो गई। कुछ किसान चक्रवात वर्षाओं के बाद अपने क्षेत्रों में पुनः रोपण प्रारंभ किये थे। इस मौसम के दौरान चक्रवात वर्षा के कारण तम्बाकू का प्रतिरोपण लगभग 30 दिन रोका गया था अतः अधिकाधिक क्षेत्र में दिसंबर, 2021 महीने में देरी से रोपित किये गये थे। पूर्व वर्ष (याने., 65,142 हे.) की तुलना में, जो केवल रोपित क्षेत्र में 1.72% की वृद्धि हुई है, भले ही इस वर्ष पूर्व वर्ष फसल परिमाण (याने., 115.00 मि.कि.ग्रा. से 130.00 मि.कि.ग्रा. तक) की तुलना में बोर्ड द्वारा इस वर्ष 13% की वृद्धि करने पर भी इस वर्ष कुल रोपन 66,265.23 हे. क्षेत्र में हुआ था।

उत्तर हल्की मिट्टियाँ (उहमि) फसल :

इस वर्ष उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 17,562.32 है. क्षेत्र, जो 2020-21 में रोपित 16,546.50 है. क्षेत्र की तुलना में 6.14% कम रही थी। बेहतर पत्ता विस्तार के साथ फसल की स्थिति अच्छी रही थी। पैदावार अच्छी रही और निम्न श्रेणी आऊटर्टर्न पूर्व वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक रही थी।



दक्षिणी हल्की मिट्टियाँ (दहमि) फसल :

दक्षिणी हल्की मिट्टी क्षेत्र में इस वर्ष कुल रोपित 28,339.90 है. के क्षेत्र, जो 2020-21 के दौरान रोपित 29,409.30 है. क्षेत्र की तुलना में 3.64% कम रही थी। दहमि क्षेत्र में फसल की स्थिति औसतन रही है। इस वर्ष पैदावार कम रही और निम्न श्रेणियों के उत्पादन पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक रही है।

पारंपरिक काली मिट्टियाँ (टीबीएस) फसल :

दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्र में इस वर्ष कुल रोपित 19,167.81 है. के क्षेत्र, जो 2020-21 के दौरान रोपित 17,988.30 है. क्षेत्र की तुलना में 6.56% अधिक रही थी। इस वर्ष पैदावार कम रही और निम्न श्रेणियों के उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रही है।

2021-22 के दौरान, उत्तरी काली मिट्टियों (एन बी एस) में रोपित कुल 1,195.20 है. क्षेत्र, जो पिछली वर्ष में रोपित 1,198.30 है. क्षेत्र की तुलना में 0.26% कम रही है। इस वर्ष फसल की गुणवत्ता औसतन श्रेणी दर्ज हुई है।



पैदावार :

उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्रों में औसत 8-9 क्यूरिंगों को अपनाये गये। दक्षिण काली मिट्टी और दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में केवल औसत 6-8 क्यूरिंगों को अपनाये गये। उहमि क्षेत्र में चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के लिए श्रेणी आऊट टर्न क्रमशः 44:31:25 रही और दकामि क्षेत्र में क्रमशः 49:20:31 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रही है। उकामि क्षेत्र और उहमि क्षेत्र में क्रमशः 67:25:8 और 61:28:11 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रही है।



पैदावार :

2021-22 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन 120.98 मिलियन कि.ग्रा रही है। उहमि क्षेत्र में उत्पादन 42.23 मिलियन कि.ग्रा रही है। दहमि और दकामि क्षेत्रों में उत्पादन क्रमशः 38.55 और 38.01 मिलियन कि.ग्रा. रही है। उकामि क्षेत्र में 2.19 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन रही है। दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में 1,360 कि.ग्रा./हे. और दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में 1,983 कि.ग्रा./ हे., उत्तरी हल्की मिट्टियों में 2,405 कि.ग्रा./ हे. और उत्तरी काली मिट्टी में 1,832 कि.ग्रा./हे. का औसत पैदावार रही थी।

‘जवाद’ चक्रवात वर्षा के कारण एफसीवी तम्बाकू फसल डामेज :

2021-22 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशम, नेल्लुरु, गुण्टूर, पूर्व & पश्चिम गोदावरी जिलाओं में नवंबर, 2021 महीने के दौरान प्राप्त ‘जवाद’ चक्रवात वर्षाओं के कारण 6,161.10 हे. के क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू डामेज हुई। इस फसल डामेज की सूचना को राज्य विपत्ति प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्रेयरों को आवश्यक राहत प्रदान करने सरकार के विशेष प्रधान सचिव, कृषि विशेष आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार और संबंधित जिलाधिशों को पत्र दि.23/11/2021, सं. 4(9)/2021-22/ उत्पादन द्वारा रिपोर्ट दिया गया था। किसान द्वारा उठाये गये मद वार व्यय को ग्रेयर वार फसल डामेज की सीमा के साथ पत्र दि.30/11/2021 और 24/12/2021 द्वारा कृषि विशेष आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार और संबंधित कृषि संयुक्त निदेशक को भी प्रस्तुत किया गया था।

कृषि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सभी कृषि संयुक्त निदेशक, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को जारी ज्ञापन सं. एजीसी/02-260/25/19/2021, दि.15/11/2021 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 33% से अधिक डामेज खरीफ फसल को ही इनपुट सब्सिडी की मंजूरी के लिए कवर किया जाता है और रवी फसलों को 80% सब्सिडी के आधार पर केवल बीज की वितरण के लिए ही कवर किया जाता है।

बोर्ड ने, सरकार के विशेष प्रधान सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार को पत्र दि.28/12/2021 द्वारा खरीफ फसलों को, जो बढ़ाया गया है, को एफसीवी तम्बाकू किसान समुदाय को भी राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ के अंतर्गत मुआवजा प्रावधान करने एफसीवी तम्बाकू फसल को सम्मिलित करने संबंधित पदाधिकारियों को निदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया था।

कृषि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र दि.04/01/2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, यह पता चला कि प्रकाशम जिला के 50 किसानों, जिन्होंने देरी खरीफ मौसम में खेती को अपनाये थे, को तम्बाकू फसल डामेज के लिए 4,667 लाख रुपये की इनपुट सविस्ती के लिए प्रस्तावों को सरकार को प्रस्तुत किये गये थे, को मंजूर किया जाये। बंगालग्राम फसल, जो बड़ी मात्रा में डामेज हुआ था, को छोड़कर कोई रबी फसलों को परिणाम के लिए विचार नहीं किया गया था।

बोर्ड ने, राज्य सरकार के विशेष प्रधान सचिव, कृषि विशेष आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को पत्र दि.13/01/2022 और दि.04/02/2022 द्वारा एफसीवी तम्बाकू फसल को भी सम्मिलित करने, जो रबी फसल बंगालग्राम को बढ़ाया जा रहा है, को एफसीवी तम्बाकू किसानों के हित के लिए राज्य सरकार के एसडीआरएफ के अंतर्गत मुआवजा राशि को प्रावधान करने के लिए अनुरोध किया गया था। एफसीवी तम्बाकू फसल को राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करने के लिए शामिल नहीं किया गया था।

X. 2021-22 के दौरान आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

सरकार अधिसूचना सं. 2141, दि.14/06/2021 के अनुसार आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में 2021-22 फसल मौसम के दौरान, पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक सीमा तक उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए ₹ 1/- प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीड़ों में से 5% (साधारण सेवा प्रभार 1% को मिलाकर) के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा आधिक्य बिक्री में किसी सीमा के बिना बिक्री करने के लिए अनुमति दिया गया। सरकार अधिसूचना सं. 85, दि.07/01/2022 के अनुसार पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त तम्बाकू के समान अप्राधिकृत ग्रोयरों के द्वारा उत्पादित तम्बाकू के लिए ₹ 1/- प्रति किलो के अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीड़ों में से 5% (साधारण सेवा प्रभार 1% को मिलाकर) के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमति दिया गया।

XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों की प्रोत्तरी :

तम्बाकू बोर्ड के लिए प्रधान परिणाम क्षेत्र (केआरए) के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 5/2/2018 - ईपी (अग्नि -VI), दि. 20/05/2019 द्वारा के तं अ सं के साथ समन्वय से प्रधान तम्बाकू क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों पर आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के राज्य कृषि और बागबनी विभाग के समन्वय से फसल विविधीकरण योजनाओं / वैकल्पिक फसल खेती को अपनाने के लिए वैकल्पिक फसलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोगित करने के द्वारा वैकल्पिक फसलों को प्रमोट करने बोर्ड को निदेश दिया।

2021-22 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने के.त.अ. सं. और आन्ध्र प्रदेश के कृषि विभागों के सहयोग से प्रधान तम्बाकू क्षेत्र याने., आन्ध्र प्रदेश राज्य के दहमि क्षेत्र में पोदिली, एडीए कार्यालय, विंजमूर और कन्दुकुरु-II, दकामि क्षेत्र में ओंगोल, कोडेपी और टंगुटूर, उहमि क्षेत्र में कोख्यलगूडेम, गोपालपुरम और जंगारेड्डिगूडेम में एफसीवी तम्बाकू के स्थान में अन्य अर्थिक रूप से व्यवहार्य वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रोयरों के लिए जागरूकता बैठकें आयोजित किये गये थे। इस फसल विविधता कार्यक्रमों आयोजन से संबंधित बोर्ड द्वारा ₹ 0.71 लाख की राशि व्यय हुई थी।

आन्ध्र प्रदेश में उकामि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को बरवारों को परिवर्तन करना :

भारत सरकार ने पत्र सं. 9/11/2016-ईवी-(अगि.-III), दि.02/02/2022 द्वारा 2021-22 फसल मौसम के लिए आन्ध्र प्रदेश में उकामि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को बखारों को स्थानांतरित करने के लिए बोर्ड को अनुमति दी। सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, उकामि क्षेत्र के सभी बखार, जो 2021-22 फसल मौसम के ग्रोयरों के रजिस्ट्रेशन के लिए रखे गये मानदंडों को अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य/पहले से पंजीकृत/3 वर्षों से या कम अवधि के लिए ब्रेक-इन रजिस्ट्रेशन के अयोग्य बखार और बखारों के मरम्मत पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति के लिए योग्य बखारों को परिवर्तन करने के लिए अनुमति दिये गये। ग्रोयरों को अपने योग्य बखारों को उकामि क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश में अन्य क्षेत्रों को 1:1 अनुपात में याने., अपने खवयं (खवयं स्थानांतरण) या इच्छुक ग्रोयरों को विक्री करने के द्वारा स्थानांतरण करने की अनुमति दिये गये। शून्य रोपित ग्रोयरों के कोटा को वितरण करने के बाद उकामि क्षेत्र के 3,200 कि.ग्रा प्रधिकृत कोटा को 2021-22 फसल मौसम के लिए मिट्टी क्षेत्र, जहाँ बखार को परिवर्तन/स्थानांतरण किया गया था, को ध्यान किये बिना उकामि क्षेत्र से परिवर्तित/स्थानांतरित बखारों को आबंटित किया गया था।

विनियमन अनुपालन को कम करना-एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर/नर्सरीमेन द्वारा नवीकरण/रिटर्नों के लिए आवेदनों को फैलिंग करने के लिए ऑन-लाइन विकल्प का प्रावधान - संबंध में।

वाणिज्य मंत्रालय के निदेशों के अनुसार विनियमन अनुपालन को कम करने एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों/नर्सरीमेन द्वारा निम्न लिखित अनुपालनों को ऑन-लाईन में फैलिंग करने के लिए तम्बाकू बोर्ड वेबसाईट www.tobaccoboard.com में प्रावधान किया गया था और सभी नीलाम अधीक्षकों को तम्बाकू बोर्ड में किये गये ऑन-लाईन प्रावधान पर ग्रोयरों के बीच प्रचार करने, तकि आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 फसल मौसम से और कर्नाटक में 2022-23 फसल मौसम से आवेदन/रिटर्नों को फैलिंग करने के लिए इसे उपयोग करने परिपत्र सं.6(1)/2021-22/ उत्पादन, दि.12/07/2021 द्वारा निदेश जारी किये गये।

- ❖ ग्रोयर रजिस्ट्रेशन नवीकरण।
- ❖ फार्म-II रिटर्नों की प्रस्तुतीकरण।
- ❖ फार्म-III रिटर्नों की प्रस्तुतीकरण।
- ❖ नर्सरी ग्रोयर रजिस्ट्रेशन।
- ❖ फार्म-7 रिटर्नों की प्रस्तुतीकरण (नर्सरी ग्रोयर)
- ❖ फार्म-8 रिटर्नों की प्रस्तुतीकरण (नर्सरी ग्रोयर)
- ❖ बखार निर्माण के लिए अनुसाति।

आगे, 2021-22 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान, कोफोर्ज दल द्वारा विकसित ग्रोयर एवं बखार मोड्यूलों को उपयोग करके रजिस्ट्रेशन की अनुमति/नवीकरण किया गया था और फसल मोनिटरिंग मौड्यूल को एकत्रित ग्रोयर डेटा का ब्रेक-अप के लिए उपयोग किये गये थे।

आन्ध्र प्रदेश में (दि.31/03/2022 तक) 2021-22 फसल मौसम के लिए नीलाम लैटफार्म वार गोयर रजिस्ट्रेशन और खानातेशन विवरण

विवरण	ग्रोयरों की सं.	बखारों की सं.	पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)	निर्धारित फसल परिमाण(मि.कि.ग्रा.)	रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)				
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
उहमि क्षेत्र									
देवरपल्टी	1713	1301	3014	1979.00	1361.50	3340.50	2770.60	1906.10	4676.70
पूर्व हल्की मिडियाँ	46	0	46	52.00	0.00	52.00	72.80	0.00	72.80
देवरपल्टी	1759	1301	3060	2031.00	1361.50	3392.50	2843.40	1906.10	4749.50
जंगरेट्टी गुडेम-1	2354	0	2354	2867.50	0.00	2867.50	4014.50	0.00	4014.50
जंगरेट्टी गुडेम-11	2687	0	2687	2903.09	0.00	2903.09	4064.33	0.00	4064.33
कोख्यलगूहेम	2531	0	2531	2865.10	0.00	2865.10	4011.14	0.00	4011.14
गोपालपुरम	2320	0	2320	2794.50	0.00	2794.50	3912.30	0.00	3912.30
उप कुल	11651	1301	12952	13461.19	1361.50	14822.69	18845.67	1906.10	20751.77
दकामि क्षेत्र									
वेल्लमपल्टी	1095	1534	2629	869.10	1455.03	2324.13	2173.74	2473.91	4647.65
ओंगोल-I	976	1946	2922	633.80	1986.13	2619.93	1453.45	3377.12	4830.57
ओंगोल-II	0	2064	2064	0.00	2226.25	2226.25	0.00	3785.14	3785.14
टंगुदूर	0	2838	2838	0.00	2747.37	2747.37	0.00	4670.80	4670.80
कोडेपी	1959	1991	3950	1182.63	1505.81	2688.44	2927.39	2561.36	5488.75
उपकुल	4030	10373	14403	2685.53	9920.59	12606.12	6554.58	16868.33	23422.91

विवरण	ग्रेयरों की सं.			बखारों की सं.			पंजीकृत शेत्र (हेक्टे.)			निश्चित फसल परिमाण(मि.फि.गा.)			रोपित शेत्र (हेक्टे.)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
द ह मि थेन															
पोटिंटी	4256	286	4542	2404.68	216.35	2621.03	6011.70	367.79	6379.49	8.59	0.69	9.28	4653.00	320.00	4973.00
कनिंघमी	1498	0	1498	1227.78	0.00	1227.78	3069.71	0.00	3069.71	4.37	0.00	4.37	3056.00	0.00	3056.00
कंडक्कुक-1	2548	780	3328	1784.54	631.79	2416.33	4028.46	1072.90	5101.36	5.99	2.08	8.08	4834.60	1361.01	6195.61
कंडक्कुक-II	2104	71	2875	1500.65	544.22	2044.87	3612.13	925.72	4537.85	5.13	1.77	6.90	3480.00	1025.00	4505.00
कलिंगी	1511	56	1567	1254.58	59.75	1314.33	3138.11	101.58	3239.69	4.42	0.19	4.62	2173.70	62.90	2236.60
झी सी पल्ली	2156	0	2156	1733.20	0.00	1733.20	4332.99	0.00	4332.99	5.98	0.00	5.98	3430.00	0.00	3430.00
उप कुल	114073	1893	15966	9905.43	1452.11	11357.54	24193.10	2467.99	26661.09	34.48	4.74	39.22	21627.30	2768.91	2436.21
नहा योग	29754	13567	43321	26052.15	12734.2	38786.35	49593.35	21242.42	70835.77	88.39	41.61	130.00	45902.22	20363.01	66255.23

**कर्नाटका में 2021-22 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रोयर रजिस्ट्रेशन
और प्लानटेशन विवरण**

क्र. सं	नीप्लैसं का नाम	ग्रोयर	बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	निर्धारित फसल परिमाण (मि.कि.)	रोपित क्षेत्र (हे.)
मैसूर क्षेत्र :						
1	एच.डी.कोटे	3977	5204.00	6765.20	9.61	6248.50
2	हुन्सूर-I	3406	4269.00	5549.70	7.61	6900.00
3	हुन्सूर-II	3219	3899.00	5068.70	6.90	5482.00
4	हुन्सूर-III	2520	3241.00	4213.30	5.89	5873.00
5	चिलकुंदा	5762	7556.00	9822.80	13.60	7800.00
	उप कुल	18884	24169.00	31419.70	43.61	32303.50
पेरियपट्टना क्षेत्र :						
6	पेरियपट्टना-I	4875	6917.00	8992.10	12.68	8500.00
7	पेरियपट्टना-II	4849	6325.00	8222.50	11.21	8368.59
8	पेरियपट्टना-II	4986	6447.00	8381.10	11.66	8485.00
9	रामनाथपुरा-I	4367	5407.00	7029.10	9.78	6870.00
10	रामनाथपुरा-II	3477	4430.00	5759.00	8.06	7350.00
	उप कुल	22554	29526.00	38383.80	53.39	39573.59
	महा योग	41438	53695.00	69803.50	97.00	71877.09

विस्तार एवं सलाहकारी सेवाएँ

भारतीय एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इसे प्रतियोगी बनाने तम्बाकू बोर्ड विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करती है। तम्बाकू बोर्ड भी नये और बेहतर पैकेज पद्धतियों को अपनाने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को आर्थिक सहायता बढ़ा दी। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था (केंद्रीय), राजमहेन्द्रवरम, राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंध संस्था (एनआईपीएचएम), हैदराबाद और तम्बाकू कंपेनियों के अनुसंधान & विकास विंगों के सहयोग से योग्य और प्रशिक्षित तकनीकी क्षेत्र कर्मचारियों की विस्तृत नेटवर्क को उपयोग करने के द्वारा तम्बाकू बोर्ड किसानों को समर्थन और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। बोर्ड के व्यापक विस्तार एवं विकासात्मक कार्यकलाप निम्नानुसार है :

- विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति। (बीज, सक्करआऊट, उर्वरक)
- तम्बाकू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ।
- प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति :

फसल की उत्तम गुणवत्ता के लिए एफसीवी तम्बाकू किसानों को फसल इनपुटों की मानक सेट को उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को विवेचित फसल इनपुट जैसे., बीज, उर्वरक और सक्करसाईड को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपना लिया है।

(क) एफसीवी तम्बाकू बीज :

2021-22 फसल मौसम के दौरान, बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को के तं अ सं, राजमहेन्द्रवरम और आई टी सी अनुसंधान डिविजन, राजमहेन्द्रवरम के द्वारा 6,729.15 कि.ग्रा. अनुमोदित किस्मों के बीजों की आपूर्ति की।

(परिमाण (कि.ग्रा. में)

राज्य	किस्म										
	कंचन (सीटीआरआई)	कंचन (आईटीसी)	सीएच3 (आईटीसी)	जी11	सिरी	एफसीआर 15	एफसीएच 222	बीटी 1158	सीटीआरआई सुलक्षणा	एन 98	कुल
कर्नाटका	295.00	250.50	630.06	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	1207.06
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	192.84	4.00	3000.00	2211.00	0.00	11.00	60.50	42.75	5522.09
कुल	295.00	250.00	822.90	4.00	3000.00	2211.00	32.00	11.00	60.50	42.75	6729.15

(ख) उर्वरक :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों की समिति (सीओएफ) के द्वारा उर्वरकों की खरीद और वितरण की सुविधा प्रदान किया था। यह नई प्रणाली आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 फसल मौसम के दौरान और कर्नाटका में 2018-19 फसल मौसम के दौरान विकसित और कार्यान्वयन हुई थी। इस नवीन प्रणाली में पंजीकृत ग्रोयरों को (उर्वरकों को) अपने स्वयं के लिए प्राप्त करने और वितरण करने का अधिकार है। यह आन्ध्र प्रदेश में उत्तरी मिट्टी क्षेत्र में जिला सहकारी विपणन सोसाईटी लिमिटेड (डीसीएमएस), एलुरु, दक्षिण क्षेत्र में आन्ध्रप्रदेश तम्बाकू ग्रोयर सहकारी यूनियन लिमिटेड, ओंगोल, डी सी एस, ओंगोल, डी सी एस, नेल्लुरु और कर्नाटका में कर्नाटका राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (केएससीएमएफ) की सेवाओं को उपयोग करके सफलतापूर्वक लागू किया। तम्बाकू बोर्ड ने, आपूर्ति के सभी पहलूओं में याने, मॉगपत्रों और अग्रिम राशियों के संग्रह से लेकर, बैंकों से इनपुट ऋण व्यवस्था, तम्बाकू बोर्ड गोदामों को बाहरी लोत अभिकरणों को किराया मुफ्त में उपलब्ध कराना आदि., में सहायता सम्पत्ति प्रदान किया था। बाहरी क्षेत्र अभिकरणों ने किसानों की समिति द्वारा दिये सहमति के अनुसार उर्वरकों के मूल्य, भुगतान की शर्तें और आपूर्ति समय सारणी के अनुसार निर्माणकर्ताओं को आपूर्ति करने के लिए आदेश रख दिये थे। बाहरी लोत एजेन्सियों और किसानों की समिति ने राज्य कृषि विभागों की सहायता से उर्वरकों की गुणवत्ता को मोनिटरिंग किये थे।

कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में आपूर्तित उर्वरकों के विवरण नीचे दिये गये :

कर्नाटका (क ह मि क्षेत्र) :

उर्वरक	प्रदायक	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	फैक्ट	6,370.00	14,680.05	935.12
डै अम्मोनियम फारफेट	सीआईएल	2,966.45	28,327.50	840.32
सल्फेट आफ पोटाश	आईपीएल	4,868.85	47,092.50	2,292.86
सल्फेट आफ पोटाश	ट्रान्स वरल्ड	4,030.50	46,900.00	1,890.30
	कुल	8,899.35	...	4,183.16
कालशियम नैट्रेट	ट्रान्स वरल्ड	1,897.00	33,800.00	641.19
महा योग		20,132.80		6,599.79

आन्ध्र प्रदेश :

उर्वरक	प्रदायक	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/ठन्डा)	मूल्य (₹ लाखों में)	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/ठन्डा)	मूल्य (₹ लाखों में)	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹ लाखों में)	कुल
अम्बानियम सल्टेट	फैक्टर	0.00	0.00	0.00	2406.40	16400.00	394.65	2406.40	394.65	
	जीएसएफटी	998.55	15401.00	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	998.55	153.79
	उप कुल (1)	998.55		153.79	2406.40		394.65	3404.95	548.44	
	हे अम्बोनियम फारमेट	सीआईएल	291.80	23520.00	68.63	582.00	23520.00	136.89	873.80	205.52
सल्टेट आफ पोटाश	आईपीएल	479.00	49900.00	239.02	2197.00	49900.00	1096.30	2676.00	1335.32	
	पल्लोरिस	0.00	0.00	0.00	363.15	42000.00	152.52	363.15	152.52	
	ट्रान्स वरल्ड	0.00	0.00	0.00	318.15	49600.00	157.80	318.15	157.80	
	ट्रान्स वरल्ड (फटिजेशन मोड)	0.00	0.00	546.25	52000.00	284.05	546.25	284.05		
	उप कुल (2)	479.00		239.02	3424.55		1690.68	3903.55	1929.70	
कालशियम नैट्रेट	ट्रान्स वरल्ड	0.00	0.00	0.00	116.15	40000.00	46.46	116.15	46.46	
	कांटिकेंटल	9.63	39600.00	3.81	0.00	0.00	0.00	9.63	3.81	
	उप कुल (3)	9.63		3.81	116.15		46.46	125.78	50.27	
	महा योग (1+2+3)	1778.98		465.25	6529.10		2268.67	8308.08	2733.92	



(ग) सक्कर नियंत्रण रसायन :

उर्वरकों की आपूर्ति के लिए गठित किसानों की समिति ने सक्करसाईड की आपूर्ति के लिए कोटेशन आमंत्रण/वैंडर और मूल्य को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भाग लिये ।

2021-22 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान, मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड - एबीडी द्वारा प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 870/- के हिसाब से 77,465 लीटर परिमाण के सक्करआऊट को योग्य पंजीकृत ग्रोयरों को आपूर्ति की है ।

आन्ध्रप्रदेश में, मेसर्स. हाईग्रो प्लोरीस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 999/- के हिसाब से इच्छुक ग्रोयरों को 20,262.50 लीटर सक्कर नियंत्रण रसायन (सी-10) और मेसर्स आई टी सी लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 999/- के हिसाब से 92,625 लीटर सक्कर नियंत्रण रसायन (सक्कर आऊट) की आपूर्ति की है ।



- II. 2021-22 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने (एसटीपी) के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार & विकासात्मक योजनाएँ :

(क) स्वास्थ्य बीजों का उत्पादन - ट्रे बीज तकनीकी और शेड नेटों की व्यवस्था :

एफसीवी तम्बाकू खेती में ट्रे नर्सरी तकनीकी को मानकीकरण किया गया है, जो मिट्टी जनित बीमारी समस्या और ट्रान्सप्लानटेशन प्रघातों को रोकने से दूर रहने स्वास्थ्य तम्बाकू पौधों की उत्पादन किया जा सकें । ट्रे नर्सरी पौधें, जो पारंपरिक रूप में सीड बेड नर्सरी के अंतर्गत उगाये गये पौधों की तुलना में फसल में न्यूनतम अंतराल भरने के साथ एक रूपता को सुनिश्चितता और इसके परिणाम स्वरूप क्यूरूड पत्ता में उपज और गुणवत्ता में वृद्धि

को प्रदान करते हैं। 2021-22 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों राज्यों में बोर्ड ने, किसान समितियों को बेहतर गुणता के लिए प्रो ट्रे को खरीदने और प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी को बढ़ाने के द्वारा सहायता दी है। 2021-22 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों राज्यों में इच्छुक ग्रोयरों को ट्रे की आपूर्ति पर सब्सिडी का प्रावधान से संबंधित बोर्ड द्वारा उठाये गये व्यय विवरण निम्नानुसार है :

राज्य	ग्रोयरों की संख्या	ट्रे की संख्या	सब्सिडी (₹ लाखों में)
कर्नाटका	5,120	11,22,810	63.24
आन्ध्र प्रदेश	1,547	6,28,882	26.80
कुल	6,667	17,51,692	90.04

ट्रे नसीरियों को प्रतिकूल वातावरण अनियमितताओं जैसे., हवा, ठंड, अत्यधिक बारिश, अत्यधिक तापमान, कीट और बीमारियों की घटनाओं से रक्षा करने के लिए ट्रे में पौधों को नियंत्रण परिस्थितियों में रखना पड़ता है। इस अभ्यास को अपनाने प्रोत्साहन के उद्देश्य से बोर्ड ने दहमि और दकामि क्षेत्रों के 260 ग्रोयरों को 265 यूनिट शेड नेटों की आपूर्ति से संबंधित ₹ 1.03 लाख की सब्सिडी बढ़ा दी गई।



(ख) कोकोपिट :

मिट्टी जनित रोगों का प्रभाव को रोकने और नमी संरक्षण में सहायता के लिए ट्रे में वृद्धि में साधन के रूप में कोकोपिट का उपयोग होती है। तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में प्रोत्साहन के रूप में एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को कोकोपिट की आपूर्ति के लिए ₹ 1.93 लाख की सब्सिडी राशि बढ़ा दी।

राज्य	ग्रोयरों की संख्या	कोकोपिट परिमाण (कि.ग्रा.)	सब्सिडी (₹ लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	302	1,64,832	1.93

(ग) मिट्टी स्वास्थ्य की वृद्धि - एफसीवी तम्बाकू बढ़ती मिट्टियों में हरित खाद फसल रेजिंग के लिए प्रोत्साहन :

तम्बाकू की मिट्टियाँ निरंतर तम्बाकू की खेती के कारण ज्यादातर हल्की संरचना और अल्प सेन्ड्रिय कार्बन से होते हैं। अतः तम्बाकू बोर्ड ने, हरी खाद के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को सुधार करने के लिए आवश्यक कदम अपनायी हैं। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य सरकार की कृषि विभाग के समन्वय से तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को उनके क्षेत्रों में हरित खाद फसल की प्रथा को अपनाने के लिए मौसम से पहले ही किसानों को हरित खाद बीजों को उपलब्ध कर रही है। 2021-22 फसल मौसम के दौरान, सेन्ड्रीय कार्बन के साथ मिट्टियों को समृद्ध बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश में 8,927.60 हे. के क्षेत्र में और कर्नाटका में 781.26 हे. के क्षेत्र में हरी खाद की फसलों को उगाये गये थे।

राज्य	मिट्टी क्षेत्र	हरित खाद फसल के अन्तर्गत क्षेत्र (हे.)
कर्नाटका	कहमि क्षेत्र	781.26
आन्ध्र प्रदेश	उहमि क्षेत्र	2,252.20
	दहमि क्षेत्र	3,385.00
	दकामि क्षेत्र	3,290.40
उप कुल (आं.प्र)		8,927.60
महा कुल		9,708.86



(घ) तम्बाकू की उपज & गुणता में वृद्धि :

(i) संघटित पेस्ट प्रबंध अभ्यास - फोरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्राप :

संघटित कीट प्रबंध एक ऐरी अवधारणा है, जहां प्रभावी पेस्ट और रोग नियंत्रण को रासायनिक तरीकों के अतिरिक्त सभी कीट नियंत्रण विधियाँ याने., जैविक, संवर्धन, यांत्रिक और वनस्पतिक आदि., के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संघटित कीट प्रबंध का उद्देश्य यह है कि जीव नाशी रसायनों के उपयोग को कम करना, अवशेषों को कम करना और पर्यावरण और मिट्टी की सूक्ष्म पेड़-पौधे और जीवों की रक्षा करना है। इस योजना के तहत, बोर्ड ने तम्बाकू क्षेत्रों में कीटों की संख्या पर निगरानी और आईपीएम योजनाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने में सहायता देने के लिए फेरोमोन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति की।

2021-22 फसल मौसम के दौरान, फेरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति के लिए सख्ती बढ़ाने से संबंधित बोर्ड द्वारा उठाये गये व्यय विवरण निम्नानुसार है :

फेरोमोन ट्राप :

राज्य	ग्रोयरों की संख्या	भौतिक उपलब्धि (ट्रापों की संख्या)	वित्तीय उपलब्धि (₹ लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	862	19,765	2.80
कर्नाटका	83	800	0.11
कुल	945	20,565	2.91

पीला चिपचिपा ट्राप :

राज्य	ग्रोयरों की संख्या	भौतिक उपलब्धि (ट्रापों की संख्या)	वित्तीय उपलब्धि (₹ लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	926	13,990	0.71
कर्नाटका	98	1,080	0.05
कुल	1,024	15,070	0.76



(ii) जैव - कीटनाशक :

एनआईपीएचएम, हैदराबाद के सहयोग से ग्रोयरों को जैव कीटनाशकों याने., ट्रैकोडेर्मा हार्जीयानम और सूडोमोनस फलोरोसेन्स की आपूर्ति किये जाते हैं, ताकि मिट्टी जनित रोगों की घटनाओं को रोका जा सके और कीटनाशकों के उपयोग को कम कर सकें। 2021-22 फसल मौसम के दौरान, कर्नाटका में 674 ग्रोयरों को 750 लीटर जैव-कीटनाशकों की आपूर्ति किये गये थे और सब्सिडी से संबंधित ₹ 0.53 लाख की राशि बढ़ायी गयी। आन्ध्र प्रदेश उहमि क्षेत्र में 1,172 ग्रोयरों को 4,247.2 लीटर जैव-कीटनाशक आपूर्ति किये गये और सब्सिडी से संबंधित ₹ 3.07 लाख की राशि बढ़ायी गयी।

एनआईपीएचएम, हैदराबाद के विशेषज्ञों ने कर्नाटका के नीलाम प्लैटफार्मों को विजिट किये और जैव-कीटनाशक की व्यापक गुणन प्रक्रिया और एफसीवी तम्बाकू कृषि में जैव-कीटनाशकों का उपयोग पर ग्रोयरों को प्रशिक्षित किया था।



(iii) गेंदा पौधों :

गेंदा को तम्बाकू क्षेत्र के आसपास या क्षेत्र के अन्दर उगाया जा सकता है, जो गेंदा के फूल हेलियोतिस कीटों को अंडा देने के लिए आकर्षित करते हैं और यदि गेंदा पर अंडे और लार्वा को समय-समय पर कलेक्ट करके और इसे नष्ट किये जाने पर हेलियोतिस संक्रमण से तम्बाकू फसल को रोकने में एक जाल फसल के रूप में सहायता करती है। गोर्ड ने, कन्दुकुरु और जीलुगुमिल्ली में इथत केंतंअसं अनुसंधान स्टेशनों से 8,87,500 गेंदा पौधों को खरीदी और आपूर्ति की और इसे आन्ध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों के एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को वितरित की। इस के लिए ₹ 6.66 लाख खर्च हुई थी। कर्नाटका में ₹ 2.85 लाख व्यय में केंतंअसं अनुसंधान क्षेत्र, हुब्सूर से 3,80,000 गेंदा पौधों को खरीदकर इसे और पंजीकृत ग्रोयरों के बीच वितरित किये गये थे। यह गेंदा पौधा ग्रोयरों को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी।



(iv) जवार और बाजरा बीज :

तम्बाकू फसल के चारों ओर 4 पंक्तियों में सीमा फसल के रूप में बोयी जाने वाली जवार और बाजरा सफेद मक्खी के हमले से रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और पराजीवी और परभक्षियों की आश्रय के रूप में कार्य करती है। बोर्ड ने कर्नाटका राज्य बीज निगम, कर्नाटका सरकार से 1,998 कि.ग्रा. बाजरा बीज और 570 कि.ग्रा. जवार बीज खरीदकर इसे कहमि क्षेत्र के 1,243 ग्रोयरों को रक्षा फसल उगाने के लिए निःशुल्क आपूर्ति की और इस बीज की व्यय से संबंधित ₹ 1.26 लाख राशि खर्च हुई।

(v) ऊर्जा संरक्षण उपाय :

तम्बाकू किसान को लाभकारी बनाये रखने और तम्बाकू खेती को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए क्यूरिंग की लागत को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उत्पादन की कुल लागत में 30% होती है। क्यूरिंग की लागत को कम करने और तम्बाकू क्यूरिंग में लकड़ी ईधन की उपयोग से बचाने के लिए, कांच की ऊन / धान की स्ट्रा के साथ बखार छत सीलिंग और उचित वायु संचालन के लिए बखार के ऊपर टर्बो वेंटिलेटर को रखना और पारंपरिक भट्टी को वेंटुरी भट्टी से बदलना आदि., ईधन दक्षता तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। बोर्ड, इस ऊर्जा संरक्षण उपायों को किसानों के लाभ के लिए कार्यान्वित कर रही है। 2021-22 फसल मौसम के दौरान बोर्ड ने इस ऊर्जा संरक्षण उपायों पर ₹109.79 लाखों की राशि खर्च हुई।

(क) परंपरागत फर्नेस के स्थान में वेंटुरी फर्नेस (फर्नेस का संशोधित अभिकल्प) की प्रतिस्थापना के लिए योजना

बखार में फर्नेस व्यवस्था का संशोधित अभिकल्प है—‘वेंटुरी फर्नेस’, जो ईधन और गर्मी स्थानांतरण का बहतर दहन की सुविधा देती है, ताकि प्लू पाईप में सूट जमावट से बचने आक्सिजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करती है और इससे ईधन व्यय में 15-20% तक बचत प्राप्त होती है। बोर्ड ने व्यापारी वर्ग के सहयोग से 2021-22 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 157 लाभभोगियों को कवर करते हुए 130 बखारों में इस योजना को लागू किया था और इन बखारों में पुराने फर्नेस के स्थान पर वेंटुरी फर्नेस से प्रतिस्थापन किया गया था। प्रत्येक लाभभोगी ग्रोयरों को बोर्ड और व्यापारी वर्ग द्वारा सक्षिप्ती से संबंधित प्रति बखार को ₹5,000/- की राशि बढ़ा दी गई। इस योजना के अंतर्गत 2021-22 के दौरान बोर्ड द्वारा ₹ 6.50 लाख राशि खर्च हुई।




(ख) बखारों को ज्लास ऊन पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिट्टिंग :

बखारों के छत के लिए ज्लास ऊन पृथक्करण के द्वारा एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को प्रमोट करना और लाभभोगी ग्रोयरों को सब्सिडी की राशि बढ़ाने के द्वारा बखार में मुक्त वायु संचालन के लिए टर्बो वेंटिलेटर को प्रोवैड करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना से 25 से 27% तक लकड़ी ईंधन की बचत होती है और इस के द्वारा कृषि लागत भी कम होती है। इसके अलावा, बखार में इन इंटरवेंशन के परिणाम स्वरूप पत्ता की कारमलैजेशन और पत्ता सोखने से बचने के द्वारा क्यूरिंग में पत्ता की गुणवत्ता में सुधार हुई।

बोर्ड ने, व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड) की सहायता से दहमि/दकामि क्षेत्र में 16x20 आकार बखार के लिए ₹8,898.72 और उहमि क्षेत्र में 16x20 आकार बखार के लिए ₹7,873.89 वित्तीय सहायता बढ़ाने के द्वारा इस योजना को आन्ध्र प्रदेश में फोकसड़ मोड में कार्यन्वित की थी। व्यापारी वर्ग ने वित्तीय सहायता के रूप में ₹11,696.15 मूल्य का योगदान दिया और बाकी पृथक्करण की लागत को लाभभोगी ग्रोयरों के द्वारा अपना गयी थी। 16x20 परिमाण के प्रति बखार के लिए ज्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर की फिट्टिंग करने के लिए लगभग ₹31,495.55 से ₹35,594.87 प्रति बखार के लिए कुल लागत होता था। 2021-22 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 838 पंजीकृत ग्रोयरों के 667 बखार पृथक्करण किये गये थे और बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि के रूप में ₹ 58.71 लाख खर्च की।

ज्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिट्टिंग क्षेत्र वार बखार विवरण निम्नानुसार है :

क्षेत्र	लाभयोगी ग्रोयर	बखारों की संख्या	वित्तीय सहायता (₹ लाख)
उहमि क्षेत्र	55	56	4.41
दहमि/दकामि क्षेत्र	783	611	54.30
कुल	838	667	58.71



(ज) टर्बो वेंटिलेटर के साथ धान तृण छत पृथक्करण :

बखार को धान तृण पृथक्करण के माध्यम से एफसीवी तम्बाकू की क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और बखार में मुफ्त वायु परिसंचरण के लिए टर्बो वेंटिलेटर को ग्रोयर लाभयोगियों को सविसडी प्रदान करने के द्वारा उपलब्ध करना इस योजना का उद्देश्य रहा है। धान तृण की पृथक्करण की कुल लागत ₹15,000/- प्रति बखार होगी।

बोर्ड ने ₹ 5,000/- प्रति बखार को सविसडी देकर इस योजना को व्यापारी वर्ग (मेसर्स.आईटीसी) की सहायता से कर्नाटका में कायान्वित किया। इस तकनीकी से औसतन 30% ईधन की बचत प्राप्त हुई।

ग्रोयर लाभयोगियों की संख्या	बखारों की संख्या	सविसडी (₹ लाख)
632	648	32.40

(घ) मुक्त पत्ता बखार तकनीकी :

तम्बाकू ग्रोयर के अनुभवों और अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान के आधार पर, पारंपरिक बखार की अपेक्षा कम ईधन लकड़ी की उपयोगिता और कम शामिक आवश्यकता को देखते हुए, एफसीवी तम्बाकू उत्पादन लगातों को कम करने और पर्यावरण की संरक्षण में सहायता के लिए मुक्त पत्ता तम्बाकू क्यूरिंग की नवाचार तकनीकी पर विचार की गई है। मुक्त पत्ता बखार से साधारण बखार की क्यूरिंग क्षमता दुगुनी होती है और यह दुहरा ऊर्जा स्रोत (लकड़ी और विजली) का उपयोग करती है।

केंद्रांशं ने इस परीक्षण की कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न एफसीवी तम्बाकू उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों में डेटा को रिकार्डिंग के साथ इस तरनीकी के परीक्षण के लिए सिफारिश की है। इस संदर्भ में, तम्बाकू बोर्ड ने लागत मितव्ययता को मूल्यांकन करने और शारीरिक श्रम रोजगारी और लकड़ी ईधन को कम करने में तकनीकी की प्रभावकारिता को मूल्यांकन करने परीक्षण के आधार पर आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न मिट्टी क्षेत्रों में चार मुक्त पत्ता बखारों की पृथक्करण/निर्माण करने के लिए प्रस्ताव किया है। तम्बाकू बोर्ड ने, ग्रोयरों को ₹ 3.00 लाख प्रति ग्रोयर के हिसाब से वित्तीय सहायता बढ़ाने के द्वारा व्यापारी वर्ग (मेसर्स. अईटीसी लिमिटेड) के सहयोग से मुक्त पत्ता बखार पृथक्करण को अपनाया है।

2021-22 फसल मौसम के दौरान, उहमि क्षेत्र के 2 ग्रोयरों को ₹ 3.00 लाख के हिसाब से कुल ₹ 6.00 लाख की वित्तीय अंशदान की दी है।

मिट्टी क्षेत्र	लाभयोगी ग्रोयर	बखारों की संख्या
उहमि क्षेत्र	2	2



(ड.) “अपने ईंधन स्वयं तैयार करें” योजना - त्वरित पैदा होने वाले वृक्ष पौधों की आपूर्ति :

सतत तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) के सिद्धांतों में तम्बाकू क्यूरिंग के लिए कोयला और जलाऊ लकड़ी जैसे., गैर-टिकाऊ स्रोतों के उपयोग को समाप्त करने पर विचार (परिकल्पना) की गई है। क्यूरिंग के लिए उपयोग लकड़ी को टिकाऊ लकड़ी स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और वैकल्पिक जैव-द्रव्यमान ईंधनों को भविष्य में प्रमोट किया जाना है। इस पहलू के एक हिस्से के रूप में, तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों को प्राकृतिक लकड़ी के संसाधनों को प्रभावित किये बिना स्वयं अपने प्लानटेशन के द्वारा तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन की आवश्यकता को सुनिश्चित करने, तेजी से पैदा होने वाले पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वास्तव में, तम्बाकू बोर्ड यह अनिवार्य बना दिया था कि तम्बाकू के सभी पंजीकृत ग्रोयरों को अपने रजिस्ट्रेशन को नवीकरण करने के लिए प्रति वर्ष कम-से-कम 10 पौधों को लगाना होगा।

2021-22 फसल मोसम के दौरान, “आजादी का अमृत महोत्सव” के सुअवसर पर प्रगामी भारत की 75 वर्ष आजादी महोत्सव को मनाने और स्मरणोत्सव बनाने, भारत सरकार द्वारा एक पहल के रूप में देश भर विस्तृत अभियान, जिसमें नागरिक की भागीदारी करने का आशय है, के संदर्भ में आन्ध्र प्रदेश के सभी नीलाम प्लैटफार्मों के 75 तम्बाकू उगाने वाले गाँवों में एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों द्वारा दि.25 सितम्बर, 2021 को 75,000 सामूहिक प्लानटेशन कार्यक्रम अपनाये गये। इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए बोर्ड द्वारा ₹ 6.18 लाख की राशि खर्च की गई थी।



क्षेत्र	नीप्लै नाम	प्रस्तावित पौधों की संख्या	व्यय (₹)
उहमि	देवरपल्ली	6,000	38,760.00
	जे.आर.गूडेम-I	5,000	49,235.00
	जे.आर.गूडेम-II	5,000	48,700.00
	कोय्यलगूडेम	6,000	57,800.00
	गोपालपुरम	5,000	43,360.00
दकामि	वेल्लमपल्ली-II	4,000	19,090.00
	ओंगोल-I	4,000	26,000.00
	ओंगोल-II	4,000	40,000.00
	ठंगुटूर-I	5,000	40,700.00
	कोंडपी	5,000	14,838.00
दहमि	पोदिली	5,000	40,000.00
	कंदुकूर-I	4,000	40,000.00
	कंदुकूर-II	4,000	36,892.00
	कलिगिरी	4,000	34,000.00
	डी.सी.पल्ली	5,000	50,000.00
	कनिगिरी	4,000	38,960.00
	कुल	75,000	6,18,235.00

(v) पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय :

(क) गैर - तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) का निष्कासन - कान्वास टार्पलीनों की आपूर्ति :

तम्बाकू उद्योग के लिए गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) मिश्रण एक संकटपूर्ण चिंता का विषय रहा है। उत्पाद अखंडता की रक्षा करने के लिए एनटीआरएम झोत को निष्कासन, एनटीआरएम को पता लगाना और आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर हटाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। फार्म स्तर पर एनटीआरएम का निष्कासन करने के लिए किसानों और किसान समुदाय के साथ मजबूत साझेदारी और किसानों को निरंतर शिक्षा प्रदान करना प्रधान तत्व हैं। उत्पाद अखंडता को रखरखाव करने में स्वच्छ हांडलिंग प्रथाओं जैसे., कटाई, परिवहन, क्यूरिंग और भंडारण आदि., में एनटीआरएम से दूर रहने के प्रयास को लागू करने में एक लंबा विधान रहा है। इन दशाओं में उत्पाद की सफाई को सुनिश्चित करने के लिए एनटीआरएम से दूर रहने कटाई, परिवहन, क्यूरिंग, भंडारण और ग्रेडिंग के दौरान हरी तम्बाकू को साफ निपटाने में सहायता देने में मदद करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में 1,622 ग्रोयरों को 1,622 कान्वास टार्पलीनों को सब्सिडी लागत पर आपूर्ति की। इस योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में ₹ 16.76 लाख रुपये राशि खर्च हुई थी। अन्य संवर्ग के ग्रोयरों को सब्सिडी के रूप में ₹1,000/- प्रति टार्पलीन/ग्रोयर और अ.जा./अ ज जा ग्रोयरों के लिए ₹ 1,400/- टार्पलीन/ग्रोयर के लिए दिया गया था।



(ख) बल्किंग शेड / नमूना भंडारण सुविधाएँ का निर्माण :

तम्बाकू को क्यूरिंग, ग्रेडिंग, बेलिंग कार्य समापन से लेकर विपणन के लिए तैयार करने तक अच्छी हालत में तम्बाकू को बनाये रखने के लिए ऑन-फार्म भंडारण को स्थापित करना आवश्यक है। बेहतर कृषि भंडारण सुविधाओं से किसानों को एनटीआरएम मिश्रण को रोकने में और “उत्पाद की सफाई” को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने ग्रोयरों को बल्किंग शेड/भंडारण सुविधाओं को निर्माण करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से वित्तीय सहायता और आवश्यक ऋण बढ़ाने के द्वारा प्रोत्साहित की थी। 2021-22 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में बल्क-शेड के परिमाण के अनुसार बल्किंग शेड का निर्माण से संबंधित प्रति यूनिट को ₹6,500/- से ₹16,000/- के हिसाब से प्रति यूनिट को वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई। इस योजना के अंतर्गत 6 बल्किंग शेड निर्माण से संबंधित कुल ₹0.77 लाख रुपये राशि व्यय किये गये।

(ग) पत्ता तम्बाकू में सीपीए (फसल संरक्षण एजेंट) अवशेषों की मोनिटरिंग और नियंत्रण :

कीटनाशियों की अव्यवस्थित उपयोग याने., कीटनाशियों को आवश्यकता से अधिक उपयोग, सिफारिश मात्राओं से अधिक मात्रा में उपयोग, कीटनाशियों की मिश्रण (एक से अधिक कीटनाशकों का मिश्रण) का उपयोग, तम्बाकू के लिए प्रतिबंधित कीटनाशियों का उपयोग या तम्बाकू के लिए नहीं सिफारिश कीटनाशियों का उपयोगिता आदि., जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की समस्या के लिए कारण होते हैं। क्यूरूड तम्बाकू पत्ता में सीपीए अवशेषों की समस्या तम्बाकू की निर्यात संभावनों को प्रभावित करने वाले गंभीर आयाम माना जाता है, क्योंकि तम्बाकू निर्यात देशों, जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेष, जो वैधानिक अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) से नीचे होने के लिए कडे शर्ते लगाये थे। हालांकि, भारतीय तम्बाकू कम सीपीए अवशेषों के लिए माना जाता है और सीपीए अवशेषों की भविष्य समस्याओं से निपटाने के लिए कौशल योजना और कार्यवाही योजना को विकसित करने के उद्देश्य से तम्बाकू बोर्ड अनेक उपायों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही हैं।

तम्बाकू बोर्ड समस्यात्मक गाँवों, जो सीपीए हॉटरपॉट के होते हैं, को पहचान करने के लिए किसान स्तर नमूनाओं में तम्बाकू पत्ते में रहे सीपीए अवशेष परीक्षण को अपनाया है। विश्लेषण परिणामों के आधार पर, जीआरएल से ऊपर इस सीपीए अवशेष की पुनः घटना को प्रतिबंधित करने के लिए विशिष्ट केन्द्रित हॉटरपॉट मध्यस्तर को अपनाये गये। बोर्ड ने पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की मात्राओं को मोनिटरिंग करना तदनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए एनआईपीएचएम, हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश (2020-21 फसल मौसम) के सभी मिट्टी क्षेत्रों से 108 तम्बाकू पत्ता नमूनाओं और 2021-22 फसल मौसम में कर्नाटका के 100 तम्बाकू पत्ता नमूनाओं को और मेसर्स. यूरोफिन्स अनलिटिकल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलूरु में उहमि क्षेत्र के 91 नमूनाओं को विशेषकर सीपीए अवशेष स्तर को पता लगाने तदनुसार दोषनिवारक कार्यवाही को अपनाने के लिए विश्लेषण करने का कार्य अपनाया था। पत्ते के नमूनाओं के विश्लेषण प्रभार से संबंधित ₹35.28 लाख की राशि व्यय हुई।

फसल मौसम	आं.प्र. / कर्नाटका	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	उठाये गये व्यय (₹) (जीएसटी+टीडीएस सहित)	विश्लेषित केंद्र
2020-21	आं.प्र.	108	12,74,400	एनआईपीएचएम, हैदराबाद
		91	10,73,800	यूरोफिन्स, बैंगलूर
2021-22	कर्नाटका	100	11,80,000	एनआईपीएचएम, हैदराबाद
कुल		299	35,28,200	

45 ग्रोयर समूहों को, जो प्रतिचयन को चुनौती दिये थे, को प्रोत्याहन के रूप में ₹ 2,12,400 की राशि दिये गये और पहचानित क्रिमीनाशकों की अवशेष लगभग शून्य रहे हैं।

(घ) निकोटिन, शक्कर और क्लोरैड के लिए तम्बाकू पत्ता का पत्ता रसायन विश्लेषण :

तम्बाकू बोर्ड ने निकोटिन, शक्कर और क्लोरैड को निर्धारण करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम में तम्बाकू पत्तों को विश्लेषण भी कराती है, ताकि विशेष मौसम के दौरान उगाये गये पत्ता की गुणवत्ता का निर्धारण और फसल रसायन की स्थापना हो सके। 2021-22 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू की बिक्री केलिए नीलामियाँ प्रारंभ होने से पहले आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी प्लैटफार्म्स से एकत्रित 215 पत्ते नमूनाओं का विश्लेषण, जो पत्ता तम्बाकू में रासायनिक संघटकों को निर्धारण करने के लिए केंद्रांसं, राजमहेन्द्रवरम में विश्लेषण करायी थी। इस लेखा के अंतर्गत ₹ 4.95 लाख कुल व्यय हुआ था।

फसल मौसम	आं.प्र. / कर्नाटका	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	उठाये गये व्यय (₹) (जीएसटी+टीडीएस सहित)	विश्लेषित केंद्र
2020-21	आं.प्र.	115	2,64,615.00	सीटीआरआई, राजमहेन्द्रवरम
2021-22	कर्नाटका	100	2,30,100.00	सीटीआरआई, राजमहेन्द्रवरम
Total		215	4,94,715.00	

III. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण :

किसानों को व्यक्तिगत संपर्कों, सामूहिक बैठकों, किसान प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट-सह-अध्ययन यात्रा, कार्यशाला, ऑन फार्म ट्रूयलों / परिणाम प्रदर्शन और नमूना परियोजना क्षेत्र योजनाओं के द्वारा तम्बाकू बोर्ड समय पर फसल सूचनाओं और नवीनतम प्रौद्योगिकी को स्थानांतरण करने द्वारा सफलता पूर्वक तम्बाकू विकसित करने में मदद कर रही है।

(इ) किसानों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम :

किसान समुदाय को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना यह विस्तार अभिकल्पना और योजना के सबसे बड़े महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इससे नवीनतम तकनीकी का ज्ञान, नेतृत्व का विकास और व्यवहार परिवर्तन आदि., का स्थानांतरण और उपयोग करने की अपार संभावनाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और सतत आवश्यक प्रक्रिया है। यह प्रशिक्षण किसानों को तम्बाकू की खेती में अच्छी कृषि पद्धतियों को लागू करने में कुशल बनाती है, जिससे स्थिरता तम्बाकू बोर्ड वार्षिक प्रतिवेदन - 2021 - 2022

सुनिश्चित होती है। यह प्रशिक्षण विस्तार कर्मचारियों के लिए नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ क्षमता, व्यावसायिकता और सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत जरूरी है। इसको दृष्टि में रखते हुए, जो पिछले फसल मौसमों में किया गया था, के अनुसार तम्बाकू बोर्ड ने 2021-22 फसल मौसम के दौरान, सीड बेड की तैयारी से लेकर पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध तक होने वाली विभिन्न फसल चरणों में ग्रोयरों और क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण दी थी। क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षणों को भी अपनाये गये।

- आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों के सभी मिट्टी क्षेत्रों के किसानों को उत्तम कृषि प्रयासों पर जानकारी पैदा करने फसल वृद्धि की विभिन्न चरणों में याने., नर्सरी प्रबंध से फसल पैदावार, क्यूरिंग और ऑन-फार्म स्टोरेज आदि., तक 156 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 7,776 प्रतिभागियों (ग्रोयर/कर्मचारी) भाग लिये थे। दोनों राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹ 4.98 लाख की राशि खर्च हुई।
- एनआईपीएचएम, हैदराबाद ने दि.20/09/2021 से 24/09/2021 तक 5 दिनों के लिए बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों/क्षेत्र अधिकारियों को वर्चुवल मोड के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ₹11,210 की राशि बोर्ड द्वारा व्यय खर्च हुई थी।



उहमि क्षेत्र में सीपीए अवशेष नियंत्रण संबंधित अपनाये गये विस्तार कार्यक्रम-कार्यान्वित कार्यवाही योजना:

- बोर्ड ने तम्बाकू में कीटनाशी अवशेषों को पता लगाने नियमित अन्तरालों में उद्योग के सभी पण्धारियों याने., व्यापारी सदस्य, ग्रोयर और विशेषज्ञ, केतंअसं, राजमहेन्द्रवरम के साथ बैठकें आयोजित की।
- 2021-22 फसल मौसम के लिए उहमि क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समर्थ्या को नियंत्रण करने के लिए कार्यान्वित किये जाने वाली कार्यवाही पर उपाय निकालने के लिए तम्बाकू उद्योग के सभी पण्धारियों के साथ दि.02/08/2021 को वर्चुवल मोड के द्वारा एक बैठक संपन्न हुई।
- उहमि क्षेत्र के पत्ते में सीपीए अवशेष के लिए पत्ता नमूना प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक बैठक दि.01/02/2022 को संपन्न हुई। इस बैठक में कें अ सं के विशेषज्ञ, व्यापार वर्ग से प्रतिनिधियों, ग्रोयर प्रतिनिधियों और तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी भाग लिये।
- नीलाम अधीक्षकों ने सीपीए विषयों पर संकेन्द्रित ग्रामीण स्तर के जानकारी बैठकें आयोजित किये थे।

- तम्बाकू में कीटनाशक अवशेषों के दुष्प्रभावों पर और सिफारिश कीटनाशकों और विभिन्न पेस्ट तथा बीमारियों के नियंत्रण के लिए डोसेजों के साथ नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में सूचना देने वाली विज्ञप्तियों (हान्ड बिलों) को तैयार किये गये और इसे ग्रोयरों को वितरित किये गये ।
- प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्रोयरों को तम्बाकू में सिफारिश न किये गये कीटनाशकों का उपयोग नहीं करने और कार्बोनिजम, डाइथियोकार्बोमेट और पैंडिमिथालीन को उपयोग करने से दूर रहने के लिए अपील किया गये थे ।
- प्रत्येक नीलाम प्लोर में और 90 पहचानित गॉवों में कार्बोनिजम, डाइथियोकार्बोमेट और पैंडिमिथालीन आदि., के उपयोग से दूर रहने प्लेक्सी द्वारा ग्रोयरों को अपील किये गये ।
- ग्रोयरों को सीपीए की प्रबंध पर पोस्टर/करपत्रों के रूप में, जिसमें कीट की आर्थिक अवसीमा (थ्रेशोल्ड) स्तर और पूर्व-पैदावार अन्तराल की अवधि आदि., पर प्रचार सामग्री को आपूर्ति किये गये ।
- कीट नियंत्रण उपायों को सूचना पट्ट में प्रदर्शित किये गये और ग्रोयरों की एकत्रित स्थानों में इसे रखे गये ।
- केतंअसं द्वारा सिफारिश किये परिमाणमात्राओं सहित सिफारिश क्रिमिनाशकों और पेस्ट नियंत्रण उपायों की सूचना को एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों के बीच विस्तृत प्रचार किया गया ।
- तम्बाकू में कीटों को नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक की दुकानों को सिफारिश कीटनाशकों के विवरण पर फ्लेक्सियों को प्रदान किये गये थे । कीटनाशक दुकानदारों को जानकारी बैठक/प्रशिक्षण आयोजित किये गये ।
- वैज्ञानिक नमूना प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए, पत्ता तम्बाकू का परीक्षण सीपीए अवशेषों को पहचान करने के लिए किया गया था, ताकि उपज की स्थापना को पता लगा सके एतद्वारा उहमि क्षेत्र के एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समस्या को कम करने के लिए आगे कदम उठाने के लिए अधिक जोखिम वाले गॉवों को पहचाह किया जा सके ।
- ग्रोयरों को उपयों जैसे., सिफारिश मात्राओं में सिफारिश कीटनाशकों का प्रयोग, झूठी परिपक्वता नियंत्रण के लिए कीटनाशकों की स्प्रे से दूर रहना, सिफारिश परमिणों से अधिकाधिक नैट्रोजेन उर्वरकों के उपयोग को सीमीत रखना, अपतृण नियंत्रण के लिए शाकनाशीयों के उपयोग से दूर रहना, कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक संघटकों के साथ गाढ़ा (कानकोक्षन) का प्रयोग आदि., पर शिक्षित करना ।

(ii) कार्यशाला :

आन्ध्र प्रदेश :

- प्रादेशिक प्रबंधक, उहमि व उकामि क्षेत्र ने दहमि/दकामि क्षेत्रों के ग्रोयरों और कर्मचारियों को दि.25/01/2022 को “तम्बाकू खेती में उत्तम कृषि अभ्यासों” पर वर्चुअल ग्रोयर कार्यशाला को आयोजित किया था । इस कार्यशाला में विभिन्न पहलूओं जैसे., ग्रोयरों को स्पोडेट्रा उत्पीडन, नकली परिपक्वता, निम्न श्रेणी तम्बाकू, ओरोनान्धे उत्पीडन समस्या, एफीड समस्या और भूरा स्पॉट बीमारी आदि., पर ग्रोयरों को प्रशिक्षित किये गये थे । ग्रोयरों को विभिन्न कृषि विज्ञान अभ्यास जैसे., गहराई से गरमी जुताई, ट्रे नर्सरी पौध ट्रान्सप्लानटेशन, समेकित पोषक प्रबंध, एनटीआरएम उन्मूलन और पूर्व हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध आदि., पर भी सूचित किये गये थे ।
- प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्रवरम ने उहमि क्षेत्र के ग्रोयरों और कर्मचारियों को दि.07/02/2022 “तम्बाकू सिंचाई में उत्तम कृषि अभ्यासों” पर एक वर्चुवल ग्रोयर कार्यशाला आयोजित किया था । ग्रोयरों को विभिन्न विषयों जैसे बिन्दु सिंचाई, काला नली रोग, नकली परिपक्वता, हरी खाद, ओरोबान्धे परजीवी प्रबंध, गोलकृमि का उपयोग, जिप्सम उपयोग आदि., पर शिक्षित किये गये थे । यह कार्यशाला वर्चुवल विधान पर आयोजन किये गये और इस के लिए प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री द्वारा कोई खर्च नहीं दर्ज हुई ।

कर्नाटका :

- प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर ने, केतंअसं से विशेषज्ञों, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए दि. 30/07/2021 को केतंअसं, हुन्सूर में कर्नाटका के कर्मचारियों और क्षेत्र कर्मचारियों को “उत्तम कृषि अभ्यासों” पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया था। इस कार्यशाला के दौरान, तम्बाकू खेती में उत्तम कृषि अभ्यासों, सूखा और अत्यधिक नमी स्थितियों के दौरान फसल प्रबंध, उर्वरक प्रयोग और पोर्ट हार्वेस्ट उत्पादन प्रबंध (पीएचपीएम) आदि., से संबंधित ग्रोयरों को शिक्षित किया गया। इस कार्यशाला को आयोजित करने प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर को ₹ 0.33 लाख की राशि खर्च हुई।

(iii) आन्ध्र प्रदेश के ग्रोयरों को अध्ययन यात्रा :

- आन्ध्र प्रदेश के 14 नीलाम प्लैटफार्मों के नीलाम अधीक्षकों ने ग्रोयरों के लिए दि. 18/12/2021 को आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय (एनजीआरयू), लाम, गुण्टूर में एक अध्ययन यात्रा आयोजित किये थे।
- नीलाम अधीक्षक, नी प्लै सं. 29, डी.सी.पल्ली ने किसान मेला, ए आर एस नेल्लुरु और भूपेष डायरी को दि. 09/02/2022 को एक अध्ययन यात्रा और नी.अ, नी प्लै सं. 31, वेल्लमपल्ली को दि. 10/02/2022 को के वी के, दर्शी को अध्ययन यात्रा आयोजित किया था।
- 2021-22 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 16 अध्ययन यात्रा और इस यात्रा में 308 ग्रोयर भाग लिये थे।
- इन अध्ययन यात्राओं को आयोजित करने के लिए ₹ 3.04 लाख की राशि खर्च हुई।

क्षेत्र	अध्ययन यात्रा व्यय (₹)
दकामि	98,131.00
दहमि	1,22,442.50
उहमि	83,689.00
कुल	3,04,262.50



(iv) प्रचार सामग्री :

2021-22 फसल मौसम के दौरान, हरित खाद के लाभ और इसकी प्राप्यता को चित्रित करते हुए प्लेक्सी की तैयारी से संबंधित ₹ 7,950/- की राशि खर्च हुई ।

विभिन्न उत्तम कृषि अभ्यासों पर ग्रोयरों को वितरण करने बहु-रंगीय 12,000 करपत्रों के मुद्रण से संबंधित ₹ 24,000/- की राशि खर्च हुई ।

(v) क्षेत्र मित्र दल :

तम्बाकू की खेती के विभिन्न पहलूओं पर ग्रोयरों को समय पर सलाह और सुझाव देने के तंत्र.अ.सं., से विशेषज्ञों, प्रधान कंपेनियों याने., मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड और मेसर्स. जीपीआई लिमिटेड, एओआई, पीएसएस के क्षेत्र कार्यकारी दल और बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के साथ क्षेत्र मित्र दलों को स्थापित किये गये थे । तम्बाकू में संभाव्य विस्तार संभरकों को पहचान किये जायेंगे और इसे क्षेत्र मित्र दल कार्यक्रम में भागीदार बनाया जायेगा । यह क्षेत्र मित्र दल को अपने संदर्शनों के दौरान क्षेत्रों में फसल स्थिति को अवलोकन करेगा और फसल स्थिति को वृद्धि करने के लिए क्षेत्रों में अपनाने वाले विशिष्ट हस्तक्षेपों पर बोर्ड के विस्तरण अधिकारियों और ग्रोयरों को सलाह देगा । 2021-22 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में 5 क्षेत्र मित्र दलों को स्थापित किये गये थे और यह दल समयसारणी के अनुसार यात्रा किये थे और इस के लिए ₹ 0.82 लाख खर्च हुई ।



(vi) ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण :

किसानों को प्रबंधन के अंतर्गत, जो नियंत्रण के रूप में किसानों की अपनी प्रथाओं की तुलना में किसानों की क्षेत्र में एक नयी तकनीकी, नवाचार या एक नवीन मध्यस्थता का परीक्षण करना ऑन-फार्म परीक्षण का उद्देश्य होता है । तम्बाकू बोर्ड ने ग्रोयरों के क्षेत्रों में प्राकृतिक फार्मिंग के प्रभाव पर “आन-फार्म परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षणों” को कार्यान्वयित किया है । इस एफसीवी तम्बाकू की कृषि के प्राकृतिक खेती मोड़ में रसायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किये जाते हैं केवल प्राकृतिक रूप में इनपुटों का ही उपयोग किया जाता है ।

2021-22 फसल मौसम के दौरान, कर्नाटका में 100 एकड़ों में (40 हे.) प्राकृतिक खेती के ऑन-फार्म परीक्षण के लिए 100 ग्रोयर आगे आये और आन्ध्र प्रदेश में 177.63 एकड़ (71.05 हे.) में प्राकृतिक खेती के ट्रयल को 56 ग्रोयर अपनाये और 74.88 एकड़ों (29.95 हे.) में 28 ग्रोयरों ने विभिन्न ट्रयलों को अपनाये गये । बोर्ड ने, इस ट्रयलों को अपने क्षेत्रों में आयोजित कराने के लिए प्रोत्साहन के रूप में और क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित ग्रोयरों को बढ़ाने कर्नाटका में ₹8.83 लाख और आन्ध्र प्रदेश में ₹ 11.20 लाख राशि व्यय की थी । इस क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों में आन्ध्र प्रदेश में कुल 897 ग्रोयर और कर्नाटका राज्यों में कुल 558 ग्रोयर भाग लिये और उन्हें प्राकृतिक फार्मिंग की अवधारणा के लाभों के बारे में शिक्षित किये गये ।



(vii) नमूना परियोजना क्षेत्र :

बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश के 16 गाँवों में और कर्नाटका के 10 गाँवों में तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं को अपनाने इन गाँवों में रहे किसानों को प्रोत्साहित करने, एक केंद्रित तरीके से नमूना परियोजना क्षेत्र को कार्यान्वित की थी। मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स. डक्कन टोबाको कंपेनी और मेसर्स. आलियन्स वन इंडिया लिमिटेड भी इस एमपीए गाँवों में विकासात्मक गतिविधियों को करने में शामिल रहे थे। इस योजना को कार्यान्वित करने ₹ 9.69 लाख की राशि खर्च हुई।

व्यापारी और केन्द्रीय सरकार अनुसंधान संस्थाओं के सौजन्य से तम्बाकू बोर्ड द्वारा यांत्रीकीकरण पर अपनाये गये अनुसंधान परियोजनाएँ :

- तम्बाकू बोर्ड ने, आई सी ए आर - सी टी आर आई (केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था) और आई सी ए आर - सी आई ए आई (केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था) के साथ “एफसीवी तम्बाकू पत्ते रिट्रैंगिंग मशीन का विकास और मूल्यांकन” परियोजना पर दि. 09/11/2021 को एक एम ओ यू को निष्पादित किया। यह प्रतावित परियोजना के लिए लागत ₹ 11.05 लाख को व्यापारी वर्ग की सहायता से तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाया गया। पहली वर्ष में बोर्ड का हिस्सा ₹ 0.22 लाख की राशि व्यय हुई और बाकी राशि को नियम एवं शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा अदा की जायेगी।
- केतंअसं, राजमहेन्द्रवरम के साथ तम्बाकू बोर्ड ने “एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में खुला पत्ता बरवार का वैज्ञानिक मूल्यांकन और इसकी क्षमता” परियोजना को दि. 03/12/2021 को निष्पादित किया और इस परियोजना के अंतर्गत एक खुला पत्ता बरवार को कन्दुकुरु अनुसंधान केन्द्र में स्थापित किया गया था।



2021-22 के दौरान विस्तार & विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय :

2021-22 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन करने के लिए ₹ 320.25 लाख कुल व्यय खर्च की ।

(₹ लाखों में)

विस्तार योजनाएँ	2021-22
तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि	153.39
क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि	109.79
एनटीआरएम का निष्कासन और उत्पाद अखंडता	16.76
पोस्ट-हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध	0.77
किसानों और तकनीकी कमचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	9.60
ऑन-फार्म परीक्षा & प्रयोगात्मक परीक्षण	20.03
नमूना परियोजना क्षेत्र	9.69
रीसर्च प्राजेक्ट, सीआईएई, भोपाल	0.22
कुल	320.25

योजना वार भौतिक / वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ पृष्ठ सं. 49 से 53 में दिये गये ।



**2021-22 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ
भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ**

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों की संख्या			भौतिक उपलब्धि			वित्तीय उपलब्धि (₹ लाख)		
		आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल
1	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता वृद्धि करना									
क	पेरिटसाईड और रासायनिक अंशीभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण	359	208	567	359	200	559	28.25	14.10	42.35
ख	संघटित पेट्ट प्रबंध पद्धतियाँ									
ख 1	फोरोमेन द्राप	862	83	945	19765	800	20565	2.80	0.11	2.91
ख 2	पीला चिपचिपा द्राप	926	98	1024	13990	1080	15070	0.71	0.05	0.76
ग 1	ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति	1547	5120	6667	628882	11228101751692	26.80	63.24	90.04	
ग 2	कोकोपिट की आपूर्ति	302	...	302	164832	...	164832	1.93	0.00	1.93
घ	बयो-पेरिटसाईडों की आपूर्ति	1172	674	1846	4247.2	750	4997.2	3.07	0.53	3.60
ड.	नर्सरी ऐंजिंग करने ग्रीन हॉउस/ पॉली हॉउस का निर्माण	260	...	260	265	...	265	1.03	0.00	1.03
च	गेंदा (मारीगोल्ड) बीजों की आपूर्ति	0	887500	380000	1267500	6.66	2.85	9.51
छ	जवार & बाजरा बीजों की आपूर्ति	...	1243	1243	...	2568	2568	0.00	1.26	1.26
	उप कुल	5428	7426	12854				71.25	82.14	153.39
2	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि									
क	ऊर्जा संरक्षण उपाय									
क 1	ग्लास बूल छत पृथक्करण / पेढ़ी स्ट्रा इन्सुलेशन	838	632	1470	667	648	1315	58.71	32.40	91.11
क 2	लूज लीफ बखार का स्थापना	2	...	2	2	...	2	6.00	0.00	6.00
क 3	वैन्डुरी फर्नेस का स्थापन	157	...	157	130	...	130	6.50	0.00	6.50
ग	तम्बाकू क्यूरिंग सामुदायिक प्लानटेशन के लिए ईंधन को रैज करना	75000	...	75000	6.18	0.00	6.18
	उप कुल	997	632	1629				77.39	32.40	109.79
3	एनटीआरएम का निष्कासन और टार्पलीनों की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	1622	0	1622	1622	0	1622	16.76	0.00	16.76
4	पीएचपीएम उपाय-बलिंग शेड/ मोडल भंडारण सुविधाओं का निर्माण	6	0	6	6	0	6	0.77	0.00	0.77

**2021-22 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ
भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ**

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों की संख्या			भौतिक उपलब्धि			वित्तीय उपलब्धि (₹ लाख)		
		आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल
5	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम									
क	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण									
i	कार्यशाला	...	89	89	...	1	1	0.00	0.33	0.33
ii	नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	4533	3243	7776	96	60	156	2.94	2.04	4.98
iii	एनआईपीएचएम/सीटीआरआई में अधिकारियों/कर्मचारी/ग्रोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	19	...	19	1	...	1	0.11	0.00	0.11
ख	प्रचार & विस्तार साहित्य	12016	...	12016	0.32	0.00	0.32
ग	अध्ययन यात्रा	308	...	308	16	...	16	3.04	0.00	3.04
घ	क्षेत्र मित्र दल	0	3	2	5	0.60	0.22	0.82
	उप कुल	4860	3332	8192				7.01	2.59	9.60
6	ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रायल	100	84	184				11.20	8.83	20.03
7	नमूना परियोजना क्षेत्र (हे.)	867	624	1491	16	10	26	5.77	3.92	9.69
8	अनुसंधान परियोजना, सीआईएई, भोपाल							0.22		0.22
	महा योग	13880	12098	25978				190.37	129.88	320.25

**2021-22 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत
अ.जा/अ.ज.जा/महिला & अन्य ग्रेहणों को कवरेज**

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभेदियों			मौतिक (शूनिट)			उपलब्धियाँ			वित्तीय (साड़ियाँ ₹ में)					
		एस सी	एस ई	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस ई	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस ई	महिला	अन्य	कुल
1	एफसीवी तम्बाकू की पेदावार & गुणवत्ता की वृद्धि करना															
क	पोस्टसार्ट और सार्थकिक अंशभूतों केलिए पता विश्लेषण	567	567	4235315.00
ख	संघटित पेरस्ट प्रबंध पद्धति															
ख 1	फोरेमेन ट्राप	38	12	209	686	945	473	414	4891	14787	20565	66388.00	5796.00	68924.00	209553.00	290911.00
ख 2	पीला चिपचिपा ट्राप	41	16	235	732	1024	393	245	3620	10812	15070	1932.00	1219.00	18091.00	54203.00	75445.00
ग	ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति की आपूर्ति	338	196	1464	4669	6667	76678	50019	399081	1225914	1751692	559406.00	366810.00	1994756.00	6033331.00	9004303.00
	कोकोपिट की आपूर्ति	8	...	49	245	302	3750	...	25384	135698	164832	6105.00	...	29525.00	157828.00	193453.00
घ	बयो-पेरिटसाइडों की आपूर्ति	93	45	479	1229	1846	219	150	1369	3260	4998	24567.00	17113.00	94526.00	224058.00	360264.00
ঠ	ग्रीन हाउस/पॉली हाउस के निर्माण	6	...	38	216	260	6	...	39	220	265	2334.00	...	15168.00	85545.00	103047.00
চ	गेंदा (मारिगोल्ड) बीजों की आपूर्ति	1267300	950625.00
ছ	बाजरा & जेवर बीजों की आपूर्ति	1243	2568	125520.00
	उप कुल					12854										1533888.00

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों				भौतिक (यूनिट)				वित्तीय (साड़ियाँ ₹ में)			
		एस बी एस ई	महिला	अन्य	कुल	एस बी एस ई	महिला	अन्य	कुल	एस बी	महिला	अन्य	कुल
2	क्षमिंग पद्धतियों की वृद्धि												
क	ठर्जा संरक्षण उपाय												
क1	गलास वूल छत पृथकरण / पेटी स्ट्रा छत पृथकरण	57	13	329	1071	1470	56	13	306	940	1315	323537.00	65000.00
क2	लून लीफ बआर का पृथकरण	2	2	2	2	600000.00
क3	टेंडरी फैजेस का पृथकरण	4	...	40	113	157	3	...	34	93	130	15000.00	...
ख	तत्त्वाकृ क्षमिंग सामुदायिक प्लानटेशन के लिए ईधन को रेज करना	75000	61835.00
	उप कुल						1629						10979152.00
3	एनटीआरएम का निषासन और टापलीनों की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	92	33	330	1167	1622	92	33	330	1167	1622	128800.00	46200.00
4	पीछमीम उपय बहिंग शेड मोडल स्टोरेज संविधाओं का निर्माण	6	6	6	6	76500.00
5	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम												
क	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण												
i	कार्यशाला	89	1	32955.00
ii	ग्राहरों को नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	7776	156	498457.00

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों				भौतिक (शून्यट)				उपलब्धियाँ				दितीय (सातवें हजार ₹ में)
		एस बी एस टी	नहिला	अन्य	कुल	एस बी एस टी	नहिला	अन्य	कुल	एस बी	नहिला	अन्य	कुल	
iii	एनआईपीएचएम/ सीटीआरआई में अधिकारियों/कर्मचारी/ ग्रेडों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	19	1	11210.00
4	प्रचार & विस्तार साहित्य	12016	31950.00
5	अध्ययन यात्रा	308	16	304262.50
6	क्षेत्र मित्र दल	5	81941.00
	उप कुल				8192									960778.50
6	ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक दृच्छा				184	2003177.00
7	नरमता परियोजना क्षेत्र (हे.)	1491	968647.00
8	अनुसंधान परियोजना सीआईएई, ओपाल	22250.00
	महा योग				25978									32025392.50

ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I) तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि :

तम्बाकू बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना & ओडिषा राज्यों में लगभग 81,500 तम्बाकू ग्रोयरों और उनके परिवार के सदस्यों के समग्र कल्याण को निश्चित करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन के साथ 2009-10 में “तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण योजनाएँ” प्रारंभ करने के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी उपायों को अपनायी है।

यह कल्याण योजना द्वारा मृत्यु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता और बालिका विवाह, सदस्य बच्चों की शिक्षा, प्रधान बीमारियों/दुर्घटना मामलों का इलाज, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है को और प्राकृतिक आपत्तियों/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण बखारों को मरम्मत आदि., के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रावधान करती है। तम्बाकू बोर्ड इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक अनुदान और ऋणों के शब्दों के रूप में 19,156 ग्रोयरों को ₹ 69.54 करोड वित्तीय सहायता याने, ₹ 57.05 करोड मूल्य के अनुदान 14,476 लाभभोगियों को मंजूर किये गये तथा 4,680 ग्रोयरों को ₹ 12.49 करोड मूल्य के ब्याज मुक्त ऋण मंजूर किये गये।

इस योजना के प्रारंभ से 2021-22 के अंत तक, तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि में ₹ 64.17 करोड की राशि उपलब्ध रही।

2021-22 के दौरान, अनुदानों के रूप में ₹ 8.55 करोड और ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में ₹ 1.23 करोड रूपये, कुल मिलकर ₹ 9.78 करोड ऋण वितरित किये गये। 2021-22 के दौरान योजना वार दिये अनुदान / ब्याज मुक्त ऋण विवरण पृष्ठ सं. 56 में दिये गये।

II) किसानों को उत्पादन से संबंधित सेवाएँ :

(क) मिट्टी व जल विश्लेषण :

पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों के मिट्टी और जल नमूनाओं को संग्रहित एवं विश्लेषण नियमित के आधार पर मुफ्त में कराती है। बोर्ड ने, विश्लेषित परिमाणों के आधार पर, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए बोर्ड द्वारा मिट्टी उपयुक्तता और जल सिंचाई और गुणता व उपज वृद्धि के लिए उर्वरकों को सही मात्राओं में उपयोग करने के लिए ग्रोयरों को सलाह देती है। 2021-22 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 2,300 मिट्टी नमूनाओं को और 600 जल नमूनाओं को केवीके, दर्शी, के तं अ सं, राजमहेन्द्रवरम और आपीएल, तिरुपति की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा विश्लेषित करवाये गये।

कर्नाटका राज्य में आरसीएफ लिमिटेड, गौडहल्ली, कोलार जिला की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा 4,200 मिट्टी नमूनाओं को मैक्रो पोषकतत्वों के लिए और सूक्ष्म पोषकतत्वों के लिए 180 नमूनाओं को विश्लेषित करके परिणाम संबंधित ग्रोयरों को सूचित किये गये।

राज्य	मिट्टी नमूना		जल नमूना
	माक्रो पोषकतत्व	सूक्ष्म पोषकतत्व	
आन्ध्र प्रदेश	2,300	2,300	600
कर्नाटका	4,200	180	-
कुल	6,500	2,480	600

ख) एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों के लिए बखार और माल (स्टॉक) बीमा :

वर्ष 2003 से आन्ध्र प्रदेश में और 2019-20 फसल मौसम से कर्नाटका में स्टांडर्ड फायर तथा एलाइट पेरिल्स पॉलसी (स्थाई अग्नि तथा संबंध जोखिम पॉलसी) के जरिये क्यूरिंग और स्टोरेज के दौरान बखार तथा तम्बाकू स्टाकों को आच्छेद बीमा की सुविधा, बोर्ड दे रही है। पंजीकृत ग्रोयर भी हर साल सामूहिक वैयक्तिक दर्घटना पालसी (जीपीए) के अंतर्गत कवर होते हैं। 2021-22 फसल मौसम के दौरान, ओरियंटल इन्सुरेन्स कंपेनी लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश में 33,493 ग्रोयरों को तथा उनके 32,918.69 बखारों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 2.10 करोड़ राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपेनी को अदा की गयी थी। यूनाइटेड इंडिया इन्सुरेन्स कंपेनी लिमिटेड ने कर्नाटका में 34,165 ग्रोयरों को तथा उनके 43,355.50 बखारों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 2.113 करोड़ राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपेनी को अदा की गयी।

योजना प्रारंभ से दि. 31/03/2022 तक मंजूर किये गये अनुदान / व्याज मुक्त ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता को दर्शानेवाला विवरण

योजना का संवर्ग	योजना का प्रारंभ से 31/03/2021 तक				2021-22 के दोसरा (01/04/2021 से 31/03/2022 तक)			
	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	राशि	लाभ-भोगियों की संख्या लाखों में
योजना का संवर्ग	लाभ-भोगियों (₹) की संख्या लाखों में	राशि लाभ-भोगियों (₹)	कर्नाटका की संख्या लाखों में	राशि लाभ-भोगियों (₹)	कर्नाटका की संख्या लाखों में	राशि लाभ-भोगियों (₹)	राशि लाभ-भोगियों (₹)	की संख्या लाखों में
सहज मृत्यु	5716	1961.20	6655	2573.22	12371	4534.42	675	337.50
दुर्घटना मृत्यु	270	191.50	160	125.00	430	316.50	20	19.50
कुल अनुदान (क)	5986	2152.70	6815	2698.22	12801	4850.92	695	357.00
अनुदान								
(क) लालिका विवाह	81	25.50	1411.00	572.50	1492	598.00	3	1.5
(ख) प्रधान बीमारी	40	15.15	66.00	20.24	106	35.39	5	2.5
(ग) बखार ऋण	2228	261.45	228.00	107.90	2456	369.35	0	0
(घ) शिक्षा ऋण	248	74.87	131.00	49.00	379	123.87	3	1.5
कुल ऋण (ख)	2597	376.97	1836	749.64	4433	1126.61	11	5.50
व्याज मुक्त ऋण								
(क) लालिका विवाह							182	91.00
(ख) प्रधान बीमारी							2	1.00
(ग) बखार ऋण							38	18.30
(घ) शिक्षा ऋण							14	7.00
कुल ऋण (ख)	8583	2529.67	8651	3447.86	17234	5977.53	706	362.50
महायोग (क + ख)							1216	614.80
							1922	977.30

प्लैटफार्मों में नीलामकार की सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड ने, क्रेताओं के बीच प्रतिरिपर्धा की भावना पैदा करने, ग्रोयरों को सही भुगतान तथा तम्बाकू के लिए ठीक तौलन को सुनिश्चित करने के द्वारा तम्बाकू ग्रोयरों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने कर्नाटक में सन् 1984 में तथा आन्ध्र प्रदेश में 1985 को एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम प्रणाली को शुरू की है। तब से लेकर बोर्ड एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए, नीलामी प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करती आ रही हैं।



एफसीवी तम्बाकू का ई-नीलाम

I. आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम :

(क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

तम्बाकू बोर्ड ने 2020-21 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश के लिए 115 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया था। इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में किसानों ने प्लानटेशन को 65,142 हे. तक, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 14,152 हे. (18%) तक कम किया था। प्लानटेशन समय के दौरान चक्रवात वर्षा के कारण पूरे राज्य में ट्रान्सप्लानटेशन देरी हुई। देरी से रोपण के कारण उहमि & उकामि क्षेत्रों में उत्पाद कम हो गयी। पिर भी, फसल की गुणता उत्तम और अधिक चमकीला श्रेणी तम्बाकू रही थी।

(ख) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 मौसम के लिए एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2 दशाओं प्रारंभ हुए। प्रथम दशा के दौरान, दहमि & उकामि क्षेत्रों के अंतर्गत 11 नीलाम प्लैटफार्मों में प्रारंभ हुए और द्वितीय दशा में दहमि क्षेत्र के अंतर्गत नीलामियाँ 5 नीलामी प्लैटफार्मों में प्रारंभ हुए।

(ग) श्रेणी आऊटटर्न :

पिछले वर्ष के दौरान रहे 33% : 30% : 37% श्रेणी आऊटटर्न की तुलना में चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणियों के लिए प्रतिशतता के शब्दों में क्रमशः 53% : 29% : 18% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज किये गये ।

मिट्टी क्षेत्र वार चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये गये :

क्षेत्र	2020-21 मौसम			2019-20 मौसम		
	चमकीला %	मध्य %	निम्न %	चमकीला %	मध्य %	निम्न %
उकामि	62	29	9	48	32	20
दकामि	55	20	25	31	19	50
दहमि	44	35	21	25	34	41
उहमि	59	32	9	42	37	21
समग्र	53	29	18	33	30	37

(घ) परिमाण एवं मूल्य :

आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2020-21 वित्तीय वर्ष में 15/03/2021 को प्रारंभ हुए और समाप्त 2021-22 वित्तीय वर्ष में दि. 16/09/2021 को समाप्त हुए । नीलाम मौसम के अंत तक ₹ 147.30 प्रति किलो औसत मूल्य में कुल 112.74 मि.कि.ग्रा. विपणन हुआ था, जिसमें दि. 01/04/2021 से 16/09/2021 तक याने., 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 145.97 प्रति कि.ग्रा औसत मूल्य में 107.39 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू परिमाण का विपणन हुआ था । 01/04/2021 से 16/09/2021 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य पुष्ट सं. 67 & 68 में दिये गये ।

(ड) बाजार प्रवृत्तियाँ :

फसल उत्पादन की कम परिमाण और कर्मचारियों की तीव्र कमी के कारण अनिवार्य सेवाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से डेलिवर करने में होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इस मौसम के लिए तोरेंडू & टंगुटूर-II नीलामी प्लैटफार्म में सेवाओं को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिये गये । तोरेंडू नीलाम प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र को देवरपल्ली नीलाम प्लैटफार्म को और टंगुटूर-II नीलाम प्लैटफार्म के अधिकर क्षेत्र को दकामि क्षेत्र के अंतर्गत अन्य नीलाम प्लैटफार्म के बीच समायोजित किया गया था । पूर्व वर्ष में परिचालित 18 नीलम प्लैटफार्म में से 2020-21 नीलाम मौसम के दौरान केवल 16 नीलाम प्लैटफार्म ही परिचालित हैं ।

2020-21 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ दि. 15/03/2021 को प्रारंभ हुए और 27.46 मि.कि.ग्रा फसल विपणन के बाद, कोविड-19 महामारी की दूसरी वेव की फैलाने के कारण दि. 14/05/2021 से नीलामियाँ अस्थायी रूप से निलंबित कर दिये गये थे । नीलामियाँ दि. 31/05/2021 से प्रारंभ हुए और दि. 16/09/2021 तक समाप्त हुए ।

कुल 112.74 मि.कि.ग्रा का परिमाण ₹ 147.30 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में विपणन हुआ था । वर्तमान मौसम के लिए प्राप्त औसत मूल्य ₹ 147.30 प्रति कि.ग्रा., जो पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य की तुलना में ₹ 23.35 प्रति कि.ग्रा. अधिकतम रही, जो भारत में एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के इतिहास में अधिक दर्ज किया था । 2020-21 नीलाम मौसम के दौरान नीलाम दिन कुल भिलाकर, जो पूर्व वर्ष की 175 दिनों की तुलना में 137 नीलाम दिन लगे थे ।

चालू नीलामियों के दौरान प्राप्त मिट्टी क्षेत्र वार औसत मूल्य पूर्व वर्ष की तुलना में नीचे दिये हैं :


मिट्टी क्षेत्र	श्रेणी	2020-21 नीलाम (अंतिम)		2019-20 नीलाम (अंतिम)		2020 नीलाम की तुलना में 2021 के औसत मूल्य में अन्तर (₹/कि.ग्रा.)
		विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	
उकामि (उत्तरी काली मिट्टियाँ)	चमकीला	1.48	150.81	1.30	158.68	-7.87
	मध्यम	0.68	127.20	0.87	123.57	3.63
	निम्न	0.21	76.97	0.56	73.77	3.20
	कुल	2.37	137.49	2.73	130.17	7.32
दकामि (दक्षिण काली मिट्टियाँ)	चमकीला	21.49	166.18	13.36	173.02	-6.84
	मध्यम	7.67	140.77	8.49	130.97	9.80
	निम्न	9.98	79.53	21.88	75.57	3.96
	कुल	39.14	139.11	43.73	116.09	23.02
दहमि (दक्षिण हल्की मिट्टियाँ)	चमकीला	14.12	168.15	10.00	167.46	0.69
	मध्यम	11.49	144.25	13.78	130.24	14.01
	निम्न	6.94	81.81	16.41	71.73	10.08
	कुल	32.55	141.30	40.19	115.62	25.68
उहमि (उत्तरी हल्की मिट्टियाँ)	चमकीला	22.88	177.83	17.84	170.72	7.11
	मध्यम	12.26	154.96	15.36	142.58	12.38
	निम्न	3.54	75.65	8.80	71.87	3.78
	कुल	38.68	161.23	42.00	139.71	21.52
सभी क्षेत्र	चमकीला	59.97	170.71	42.50	170.31	0.40
	मध्यम	32.10	147.15	38.50	135.17	11.98
	निम्न	20.67	79.60	47.65	73.54	6.06
	कुल	112.74	147.30	128.65	123.95	23.35

च) क्रेता निष्पादन :

पूर्व वर्ष में भाग लिये 60 क्रेताओं के लिए 2020-21 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में कुल 49 क्रेता भाग लिये। निर्माणकर्ता, निर्यातकों तथा डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और औसत प्रदत्त मूल्य पूर्व वर्ष की तुलना में नीचे दिये :

क्र. सं.	क्रेता संवर्ग	2020-21 नीलामियाँ			2019-20 नीलामियाँ		
		परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	निर्माणकर्ता	77.06	68.36	157.10	67.21	52.25	140.02
2	निर्यातक	30.04	26.64	133.40	40.18	31.22	118.01
3	डीलर	5.64	5.00	87.34	21.26	16.53	84.38
	कुल	112.74	100.00	147.30	128.65	100.00	123.95

2020-21 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं द्वारा क्रय विवरण निम्नानुसार रहे हैं:



छ) कुल विपणित मूल्य :

2020-21 फसल मौसम के दौरान ग्रोयरों द्वारा पैदा किये तम्बाकू फसल के कुल मूल्य ₹ 1660.66 करोड था।

ज) 2021-22 नीलाम मौसम के दौरान नीलामियों में भाग लिये ग्रोयरों की संख्या :

क्र सं	ग्रोयरों का संवर्ग	ग्रोयरों की संख्या	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल (₹/किलो)
1.	पंजीकृत ग्रोयर	41,690	112.74	147.30
2.	अपंजीकृत ग्रोयर	3	0.002	105.11

II. कर्नाटका में 2021-22 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

बोर्ड ने, 2021-22 फसल मौसम के लिए कर्नाटका के लिए 97 मि.कि.ग्रा. की एफसीवी तम्बाकू का फसल परिमाण को निर्धारित किया। इस वर्ष अधिकाधिक फसल (94%) इस मौसम के प्रारंभ में याने., मई, 2021 की पहली पखवाड़ा के अंत तक ट्रान्सप्लान्ट किया गया था। यद्यपि, फसल की वृद्धि पहले कुछ सप्ताहों तक बहुत अच्छी रही, बाद में प्रधान वृद्धि अवधि के दौरान पर्याप्त वर्ष की अप्राप्ती के कारण फसल प्रभावित हुई। जुलाई, 2021 की प्रथम पखवाड़ा के दौरान प्राप्त अच्छी बारिश के कारण कुछ सीमा तक फसल रिकवर हुआ था। फिर भी, इस वर्ष फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही।

ख) श्रेणी आऊट-टर्न :

चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत के संदर्भ में पूर्व वर्ष रहे 15% : 41% : 44% की तुलना में वर्तमान फसल के लिए 32% : 37% : 31% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज हुए थे।

ग) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

2021-22 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ 10 नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 24/09/2021 को प्रारंभ हुआ था।


घ) बाजार प्रवृत्तियाँ :

कुल 68.14 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था और किसानों को औसत मूल्य ₹163.11 प्रति कि.ग्रा. प्राप्त हुई। वर्तमान मौसम के लिए प्राप्त औसत मूल्य ₹163.11 प्रति कि.ग्रा., जो पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य की तुलना में ₹ 43.24 प्रति कि.ग्रा. अधिकतम रहा था। कर्नाटका में एफसीवी तम्बाकू के लिए औसत मूल्य ₹ 163.11 प्रति कि.ग्रा. दर्ज हुआ था और यह भारत में एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के इतिहास में रिकार्ड उच्चतम मूल्य रही।

चालू नीलाम मौसम के दौरान चमकीला, मध्यम & निम्न श्रेणी तम्बाकू के विपणित तम्बाकू परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य विवरण पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये थे :

क्र. सं.	श्रेणी	2021-22 नीलाम		2020-21 नीलाम		2020 नीलाम की तुलना में 2021 के औसत मूल्य में अन्तर
		विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	
1	चमकीला	21.84	189.41	13.49	182.77	6.64
2	मध्य	25.08	170.07	35.81	138.76	31.31
3	निम्न	21.22	127.84	39.12	80.88	46.96
	कुल	68.14	163.11	88.42	119.87	43.24

2021-22 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं द्वारा क्रय विवरण नीचे दिये गये हैं।



इ) पूर्व 10 वर्षों के लिए कर्नाटका नीलामियों में ग्रोयरों को प्राप्त औसत मूल्य :



नीलाम विक्रियाँ पूर्व वर्ष की 135 नीलाम दिनों की तुलना में 138 नीलाम दिनों में 24/03/2022 को समाप्त हुई और नीलामियाँ पूरे नीलाम मौसम में बाजार में उत्प्लावकता के साथ निर्विघ्न समाप्त हुए थे।

च) खरीदार का निष्पादन :

चालू नीलाम मौसम के दौरान निर्माणकर्ताओं, निर्यातकों तथा डीलरों द्वारा किये क्रय विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	संवर्ग	क्रयित परिमाण (कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1.	निर्माणकर्ता	36.05	52.90	166.80
2.	निर्यातक	28.24	41.45	157.21
3.	डीलर	3.85	5.65	171.87
	कुल	68.14	100.00	163.11

2021-22 कर्नाटक नीलामियों के दौरान नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और उच्चतम बिड़ दर्शनेवाले विवरण पुष्ट सं. 70 से 72 में दिये गये ।

छ) 2021-22 नीलाम मौसम के दौरान नीलामियों में भाग लिये ग्रोयरों की संख्या :

क्र सं	ग्रोयरों का संवर्ग	ग्रोयरों की संख्या	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल (₹/किलो)
1.	पंजीकृत ग्रोयर	43,245	62.51	163.67
2.	अपंजीकृत ग्रोयर	9,798	5.63	156.87

III. आन्ध्र प्रदेश में 2021-22 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

2021-22 फसल मौसम के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के लिए 130 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया है। इस के लिए 111.45 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन होने का अनुमान है।

इस वर्ष साधारण रोपण के समय में लगातार वर्ष के कारण पूरे राज्य में ट्रान्सप्लानटेशन में देरी हुई। देरी से रोपित फसल बुरा उत्पादकता का एक कारण बना था। प्रारंभ काल के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण दहमि & दकामि क्षेत्रों के कुछ प्रांतों में फसल डामेज हुई। फिर भी, फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही थी।

इस वर्ष के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार लक्षित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्र. सं.	मिट्टी क्षेत्र	लक्षित फसल (मि.कि.ग्रा.)	अनुमानित उत्पादन (मि.कि.ग्रा.)
1	दकामि क्षेत्र	41.92	39.00
2	दहमि क्षेत्र	39.22	29.70
3	उहमि क्षेत्र	44.71	40.75
4	उकामि क्षेत्र	4.15	2.00
	महा योग	130.00	111.45

2020-21 फसल की तुलना में 2021-22 फसल में चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी की प्रतिशतता का मिट्टी क्षेत्र वार अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्षेत्र	2021-22 मौसम (आकलित)			2020-21 मौसम		
	चमकीला %	मध्यम %	निम्न %	चमकीला %	मध्यम %	निम्न %
द का मि	43	28	29	55	20	25
द ह मि	44	33	23	44	35	21
उ ह मि	52	33	15	59	32	9
उ का मि	67	25	8	62	29	9
कुल	47	31	22	53	29	18

ख) नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ :

नीलामियाँ 2 दशाओं में प्रारंभ हुए। पहली दशा में, नीलामियाँ दकामि क्षेत्रों में 3 नीलामी प्लैटफार्मों और दहमि क्षेत्रों के 4 नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 14/03/2022 को और 2 वीं दशा में नीलामियाँ दकामि, दकामि & उहमि क्षेत्रों के बाकी 9 नीलामी प्लैटफार्मों में दि. 28/03/2022 को प्रारंभ हुए।


ग) परिमाण और मूल्य :

नीलामियाँ सभी नीलाम प्लैटफार्मों में सकारात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए। दि. 31/03/2022 तक ₹ 183.44 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य में 7.53 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था। 2021-22 नीलामियों के दौरान प्राप्त औसत मूल्य ₹ 183.44 प्रति किलो, जो अनुरूप मात्रा में विपणन के लिए पूर्व वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से ₹ 10.85 प्रति कि.ग्रा. अधिक रही थी।

दि. 31/03/2022 तक मिट्टी क्षेत्र वार प्राप्त औसत मूल्य के पूर्व वर्ष में विपणित अनुरूप परिमाणों की तुलना में नीचे दिये गये थे :

मिट्टी क्षेत्र	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	प्राप्त औसत मूल्य (र/कि.ग्रा.)		पिछले वर्ष की तुलना में औसत मूल्य में अंतर (र/कि.ग्रा.)
	2021-22	2021-22	2020-21	
दकामि	2.94	182.59	172.15	+ 10.44
दहमि	4.16	183.80	172.50	+ 11.30
उहमि	0.37	186.51	172.68	+ 13.83
उकामि	0.06	180.78	167.77	+ 13.01
कुल	7.53	183.44	172.59	+ 10.85

पिछले 10 वर्षों से आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में ग्रोयरों को प्राप्त औसत मूल्य



घ) दि. 31/03/2022 तक चमकीला, माध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए प्राप्त औसत मूल्य पूर्व वर्ष विपणित अनुरूप परिमाणों की तुलना में निम्नानुसार है :

श्रेणी	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (र/कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (र/कि.ग्रा.)
चमकीला	6.55	183.69	174.66	+ 9.03
माध्यम	0.97	181.71	161.12	+ 20.59
निम्न	0.01	172.41	139.52	+ 32.89
कुल	7.53	183.44	172.59	+ 10.85

दि. 31/03/2022 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और दर्ज उच्चतम बिड पुष्ट सं.69 में दिये गये ।

v) 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 01/04/2021 से 31/03/2022 तक की अवधि के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण 183.05 मि.कि.ग्रा. था तथा उपार्जित औसत मूल्य ₹ 153.89 प्रति कि.ग्राम रहा था । विवरण पुष्ट सं.67 & 68 में दिये गये ।

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों में दि.01/04/2021 से 31/03/2022 तक की अवधि के दौरान निर्माणकर्ता, नियांतक और डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और प्रदत्त औसत मूल्य के विवरण पुष्ट सं.71 & 72 में दिये गये।

**01/04/2021 से 31/03/2022 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका
में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	2020-21 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ 01/04/2021 से 16/09/2021 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		2021-22 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ 14/03/2022 से 31/03/2022 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		01/04/2021 से 31/03/2022 अवधि के दौरान कुल विपणित परिमाण	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)

I. आन्ध्र प्रदेश

1	ओंगोल-I	8170871.9	141.14	840512.5	181.80	9011384.4	144.93
2	ओंगोल-II	5837387.9	140.24	104640.4	182.60	5942028.3	140.99
3	ठंगुटूर	8537824.4	129.84	156133.1	182.84	8693957.5	130.79
4	कोडेपी	7640030.8	133.30	1194399.7	183.56	8834430.5	140.10
5	वेल्लमपल्ली	6543866.4	141.88	637839.0	181.73	7181705.4	145.42
कुल (दकामि)		36729981.4	136.87	2933524.7	182.59	39663506.1	140.25
6	पोदिली	6387822.2	134.63	963642.8	183.11	7351465.0	140.98
7	कन्दुकुर्ल-I	7420633.9	138.37	1045596.4	184.23	8466230.3	144.03
8	कन्दुकुर्ल-II	5941045.8	140.52	785746.5	184.18	6726792.3	145.62
9	कलिंगिरी	3018915.1	142.27	95752.9	183.87	3114668.0	143.55
10	डी.सी. पल्ली	4064003.6	141.47	1095135.2	183.88	5159138.8	150.47
11	कनिंगिरी	3166850.5	134.91	174704.9	182.78	3341555.4	137.41
कुल (दहमि)		29999271.1	138.45	4160578.7	183.80	34159849.8	143.97
12	देवरपल्ली	7609123.6	154.38	102463.7	180.33	7711587.3	154.72
13	जे.आर. गूडेम-I	8514974.1	159.23	50786.8	185.06	8565760.9	159.38
14	कोय्यलगूडेम	8737611.1	159.51	65616.0	187.01	8803227.1	159.71
15	जे.आर. गूडेम-II	8139300.0	162.12	112982.6	188.87	8252282.6	162.49
16	गोपालपुरम	7656104.1	163.33	99225.9	187.12	7755330.0	163.63
कुल (उहमि)		40657112.9	159.73	431075.0	185.71	41088187.9	160.01
उप कुल		107386365.4	145.97	7525178.4	183.44	114911543.8	148.42

**01/04/2021 से 31/03/2022 अवधि के दौरान कर्नाटका
में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	2020-21 आन्द्र प्रदेश नीलामियाँ 01/04/2021 से 16/09/2021 अवधि के दौरान विपणित परिमाण	2021-22 आन्द्र प्रदेश नीलामियाँ 14/03/2022 से 31/03/2022 अवधि के दौरान विपणित परिमाण	01/04/2021 से 31/03/2022 अवधि के दौरान कुल विपणित परिमाण			
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
II. कर्नाटका							
1	एच.डी. कोटे			5845539.0	159.00	5845539.0	159.00
2	हुन्सूर-I			6905004.5	163.73	6905004.5	163.73
3	हुन्सूर-II			5718930.5	162.99	5718930.5	162.99
4	पेरियपट्टना-I			7268852.3	164.12	7268852.3	164.12
5	पेरियपट्टना-II			9009152.0	165.58	9009152.0	165.58
6	पेरियपट्टना-III			7255987.0	165.71	7255987.0	165.71
7	रामनाथपुरा-I			6434797.9	160.79	6434797.9	160.79
8	चिलकुंदा			10510311.9	164.06	10510311.9	164.06
9	रामनाथपुरा-II			4835740.7	158.92	4835740.7	158.92
10	हुन्सूर-III			4353397.7	162.49	4353397.7	162.49
उप कुल		0.0	0.00	68137713.5	163.11	68137713.5	163.11
महा योग (आं.प्र. & क.)		107386365.4	145.97	75662891.9	165.13	183049257.3	153.89

**2021-22 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - दि.31/03/2022 तक नीलाम किये
एफसीवी तम्बाकू का नीलाम प्लैटफार्म वार विवरण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी. प्लै. सं.	लक्षित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	अनुमानित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	बिक्रित बेलों की संख्या	दर्ज किये उत्तरम बोली (₹/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (₹)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	ओंगोल-I	20	8.64	8.80	14.03.2022	6452	185.00	840512.5	152805172.50	181.80
2	ओंगोल-II	23	7.40	6.10	28.03.2022	804	185.00	104640.4	19107337.04	182.60
3	ठंगुटर	24	9.04	9.10	28.03.2022	1210	185.00	156133.1	28547376.00	182.84
4	कोडेपी	25	9.04	8.10	14.03.2022	9235	185.00	1194399.7	219244008.93	183.56
5	वेल्लमपल्ली	31	7.80	6.90	14.03.2022	4727	185.00	637839	115914481.47	181.73
कुल (दकामि)			41.92	39.00		22428	185.00	2933524.7	535618375.95	182.59
6	पोदिली	22	9.29	5.50	14.03.2022	7248	186.00	963642.8	176452633.11	183.11
7	कन्दुकुरु-I	26	8.07	8.10	14.03.2022	7953	185.00	1045596.4	192630224.77	184.23
8	कन्दुकुरु-II	27	6.90	6.30	14.03.2022	5943	185.00	785746.5	144718790.37	184.18
9	कलिगिरि	28	4.61	2.40	28.03.2022	756	185.00	95752.9	17606085.72	183.87
10	डी.सी. पल्ली	29	5.98	4.20	14.03.2022	8265	185.00	1095135.2	201373460.58	183.88
11	कनिगिरि	35	4.37	3.20	28.03.2022	1296	185.00	174704.9	31932561.62	182.78
कुल (दहमि)			39.22	29.70		31461	186.00	4160578.7	764713756.17	183.80
12	देवरपल्ली	17	11.07	7.20	28.03.2022	775	195.00	102463.7	18477279.02	180.33
13	जे.आर.गूडेम-I	18	9.32	9.30	28.03.2022	383	195.00	50786.8	9398605.21	185.06
14	कोय्यलगूडेम	30	9.38	9.20	28.03.2022	490	195.00	65616	12270848.16	187.01
15	जे.आर.गूडेम-II	32	9.68	8.85	28.03.2022	845	195.00	112982.6	21339023.66	188.87
16	गोपालपुरम	33	9.41	8.20	28.03.2022	740	195.00	99225.9	18567150.41	187.12
कुल (उहमि)			48.86	42.75		3233	195.00	431075	80052906.46	185.71
महा योग			130.00	111.45		57122	195.00	7525178.4	1380385038.6	183.44

वर्ष 2021-22 के लिए दि.31/03/2022 तक कर्ताका में नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी. प्लैट सं.	लक्षित परिमाण (कि.कि.ग्र)	अनुमानित परिमाण (मि.कि.ग्र)	प्रारंभ की तारीख	बिक्रित लेलों की संख्या	दर्ज किये उत्तम बोली (₹ कि.ग्र)	विपणित परिमाण (कि.ग्र)	विपणित तम्बाकू मूल्य (₹)	औसत मूल्य (₹ कि.ग्र)
1	एच.डी. कोटे	1	8.61	6.57	24.09.2021	58212	205.00	5845539.0	929440701.00	159.00
2	हुन्हूर-1	2	7.61	7.53	24.09.2021	69586	208.00	6905004.5	1130556386.79	163.73
3	हुन्हूर-II	3	7.91	6.63	24.09.2021	57538	207.00	5718930.5	932128482.20	162.99
4	पेरियपट्टना-I	4	12.68	9.00	24.09.2021	71142	206.00	7268852.3	1192964039.48	164.12
5	पेरियपट्टना-II	5	11.21	10.30	24.09.2021	86818	207.00	9009152.0	1491735388.16	165.58
6	पेरियपट्टना-III	6	11.66	8.94	24.09.2021	71883	206.00	7255987.0	1202389605.77	165.71
7	रामनाथपुरा-I	7	10.63	8.30	24.09.2021	65977	206.00	6434797.9	1034651154.34	160.79
8	चिलकुंदा	62	11.19	11.81	24.09.2021	105109	206.00	10510311.9	1724321770.31	164.06
9	रामनाथपुरा-II	63	8.61	6.23	24.09.2021	49212	206.00	4835740.7	768495912.04	158.92
10	हुन्हूर-III	64	6.89	5.29	24.09.2021	43249	208.00	4353397.7	707383592.27	162.49
	महा योग		97.00	80.60		678726	208.00	68137713.5	11114067032.36	163.11

दि. 01/04/2021 से 31/03/2022 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार क्रय विवरण

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2020-21 आं.प्र. फसल		2021-22 आं.प्र. फसल		2021-22 कर्नाटका फसल		कुल	
		दि. 01/04/2021 से 16/09/2021 तक		दि. 14/03/2022 से 31/03/2022 तक		दि. 24/09/2021 से 24/03/2022 तक		(दि. 01/04/2021 से 31/03/2022 तक)	
		परिमाण (कि.ग्रा)	औसत दर (%)	परिमाण (कि.ग्रा)	औसत दर (%)	परिमाण (कि.ग्रा)	औसत दर (%)	परिमाण (कि.ग्रा)	औसत दर (%) हिस्सा (%)
निम्नलिखित									
1	आईटीई लिमिटेड	65368803.8	157.85	60.87	4280583.1	182.39	56.88	29004590.7	166.21 42.57 98653977.6 161.37 53.89
2	जीपीआई लिमिटेड	8409883.2	145.13	7.83	997150.3	184.62	13.25	7040399.6	169.26 10.33 16447423.1 157.85 8.99
	उप-कुल	73778687.0	156.40	68.70	5277733.4	182.81	70.13	36044980.3	166.81 52.90 115101400.7 160.87 62.88
नियर्धकता									
3	पोलिशेष्टि सोमयुंदरस	11057993.1	142.58	10.30	751893.3	184.92	9.99	9265733.6	161.73 13.60 21075620.0 152.51 11.51
4	दक्कन तम्बाकू कं. गूप्त	2346085.2	150.47	2.18				5940947.4	175.49 8.72 8287032.6 168.41 4.53
5	एलिएन्स वन ईडिया प्रा.लि.	37775558.7	127.41	3.52	592116.1	184.55	7.87	37899838.4	150.96 5.56 8157513.2 142.50 4.46
6	प्रीमियर टुबोको पेकर्स प्रा. लिमिटेड	3650733.3	148.83	3.40	507484.4	184.88	6.74	1431206.0	167.55 2.10 5589423.7 156.90 3.05
7	मिट्टप्ली एण्ड्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड	1957592.1	89.11	1.82				1343425.9	100.47 1.97 3301018.0 93.73 1.80
8	प्रगति टोबेको ट्रेडर्स इं. प्रा. लिमिटेड	144015.6	108.67	0.13	40989.5	185.56	0.54	934536.8	164.32 1.37 1119541.9 157.94 0.61
9	गोहम्मद एं.प्रा.लिमिटेड	1201826.1	133.72	1.12	84998.0	185.91	1.13	2042718.5	168.22 3.00 3329542.6 156.22 1.82
10	मिट्टप्ली आदिनारायण एं.प्रा.लिमिटेड	357236.3	70.74	0.33				953105.9	125.93 1.40 1310342.2 110.88 0.72
11	षेक मरठान साहेब टोबेको एंटरप्रैजेस	991507.1	68.01	0.92				406739.2	80.03 0.60 1398246.3 71.51 0.76
12	के.एस.युब्बर्या पिल्ले & को (इं) प्रा.लिमिटेड							684459.9	124.44 1.00 684459.9 124.44 0.37

दि. 01/04/2021 से 31/03/2022 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार क्रय विवरण

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2020-21 ओं.प्र. फसल		2021-22 ओं.प्र. फसल		2021-22 कर्नाटका फसल		कुल					
		दि. 01/04/2021 से 16/09/2021 तक	दि. 14/03/2022 से 31/03/2022 तक	दि. 24/09/2021 से 24/03/2022 तक	दि. 24/09/2021 से 24/03/2022 तक	परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.रट (%) (रुकि.ग्रा) हिस्सा	परिमाण (कि.ग्रा)	औसत.रट (%) (रुकि.ग्रा) हिस्सा				
13	यालंगडु एक्सपोर्ट्स प्रा.लिमिटेड	810396.4	89.10	0.75		264702.6	158.91	0.39	1075099.0	106.29	0.59		
14	वाणी टोबाकोस					2601.2	130.27	0.00	2601.2	130.27	0.00		
15	तेजा टोबाको ट्रेडर्स	29138.4	94.99	0.03		295178.6	119.19	0.43	324317.0	117.02	0.18		
16	अविनाश टोबकोस	142253.9	116.91	0.13		163399.2	154.05	0.24	305653.1	136.76	0.17		
17	कार्टल टोबाको					45134.4	123.21	0.07	45134.4	123.21	0.02		
18	पांचजन्या टोबेको एक्सपोर्ट्स	12751.1	150.46	0.01		164334.0	148.40	0.24	177085.1	148.55	0.10		
19	प्रपत्ता अशोस लिमिटेड	141900.6	63.03	0.13		18428.9	137.49	0.03	160329.5	71.59	0.09		
20	प्रकाशम एंटरप्रेजेस	1140435.9	129.87	1.06	4139.0	185.00	0.06	295965.9	167.24	0.43	1440540.8	137.71	0.79
21	के.के. मौहन एंटरप्रेजेस	139322.2	164.43	0.13	71763.8	185.45	0.95	157355.1	168.04	0.23	368441.1	170.07	0.20
22	के.आर. & कं.	167368.1	40.96	0.16						167368.1	40.96	0.09	
23	संगम अग्नि प्रोडक्ट्स	31693.0	47.07	0.03						31693.0	47.07	0.02	
24	वेंकट साई टोबाको प्रा.लिमिटेड	101396.8	48.27	0.09		41622.7	135.21	0.06	143019.5	73.57	0.08		
	उप कुल	28199203.9	130.65	26.26	2053384.1	184.88	27.29	28241434.2	157.21	41.45	58494022.2	145.38	31.96
	अन्य (डीलर)	5408474.5	83.55	5.04	194060.9	185.08	2.58	3851299.0	171.87	5.65	9453834.4	121.61	5.16
	कुल योग	107386365.4	145.97	100	7525178.4	183.44	100	68137713.5	163.11	100	183049257.3	153.89	100

व्यापार रक्षण

भारत सरकार ने अपने प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ रुपयों की मार्जिन राशि के साथ 1984 में व्यापार रक्षण को सृजन किया। दि. 31/03/2022 तक ₹ 27.44 करोड़ की मार्जिन राशि बोर्ड के साथ उपलब्ध रही है। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 20-के अनुसार, यदि ऐसा करना उचित है, तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में नीलाम प्लैटफार्मों में ग्रोयरों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना या भारत में अथवा विदेशों में उसे बेचना व्यापार रक्षण का उद्देश्य है। 2021-22 के दौरान तम्बाकू बोर्ड के व्यापार रक्षण द्वारा कोई मूल्य समर्थन प्रचालन नहीं किये थे, जो कि बाजार उल्लासी और ग्रोयरों उत्तम मूल्य प्राप्त किये थे।

प्रोसेसर / निर्माणकर्ता / वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक ग्रेडों / तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के निर्यातिक / पैकरों / तम्बाकू के डीलरों के रूप में पंजीकरण :

कोई भी व्यक्ति, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 11 क, 11 ख (i) एवं 12 के अंतर्गत वर्जीनिया तम्बाकू की प्रोसेस, वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादों का निर्माण, वाणिज्य प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू से संबंधित ग्रेडिंग कार्य अपनाना, तम्बाकू अथवा अन्य किसी तम्बाकू उत्पादों का निर्यात, तम्बाकू के पैकर, नीलामकार अथवा तम्बाकू डीलर के रूप में कार्य, जो इस अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार बोर्ड में अपने - आप को पंजीकृत कर लिये बिना, नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप में, फर्म अथवा कम्पनियों के द्वारा, प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग तौर पर तम्बाकू बोर्ड से पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रचालनों को करना होगा। तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रदत्त पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण, एक कैलेण्डर वर्ष के लिए मान्य है।

वर्ष 2021 के लिए तथा वर्ष 2022 के लिए (दि. 31/03/2022 तक) व्यापारियों के विभिन्न संघर्गों को मंजूर किये गये पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	संवर्ग	पंजीकृत कंपनियों की संख्या	
		2021	2022*
1	वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेसर	12	09
2	वर्जीनिया तम्बाकू निर्माणकर्ता	31	17
3	तम्बाकू निर्यातिक	175	151
4	तम्बाकू उत्पादों के निर्यातिक	436	405
5	तम्बाकू डीलर	381	353
6	तम्बाकू पैकर	22	18
7	वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता	26	19
कुल		1083	972


* दि. 31/03/2022 तक

“डिजिटल इंडिया” पर भारत सरकार की प्रेरणा की दिशा में तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू व्यापारीवर्ग को पारदर्शी एवं समकालीनात्मक इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों को ई-फैलिंग करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को प्रारंभ किया। सभी संघर्गों के व्यापारियों द्वारा राजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्राप्त करने पोर्टल www.tobaccoboard.in द्वारा आवेदनों को ई-फैलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया था।

भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात

भारतीय अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात 2021-22 के दौरान ₹ 6,529.30 करोड़ का उचुंग रिकार्ड दर्ज किये हैं। 2021-22 के दौरान निर्यात एक बार ₹ 6,000 करोड़ मार्क पार किया, जो 2013-14 के दौरान पहली बार (₹ 6,092.86 करोड़), 2015-16 के दौरान दूसरी बार (₹ 6,058.13 करोड़), तीसरी बार (₹ 6,001.02 करोड़) 2018-19 के दौरान और चौथा बार (₹ 6,305.94 करोड़) 2020-21 के दौरान प्राप्त हुए।

भारत अनिर्मित तम्बाकू में विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक और तीसरा बड़ा निर्यातक है। भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातों में अनिर्मित तम्बाकू (एचएस कोड : 2401 - कुल निर्यातों के मूल्य में 67.65%) में फ्लू क्यूरड़ वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू और नॉन-एफसीवी तम्बाकू याने., बर्ली, एचडीबीआरजी, सूर्य अभिसाधित देशी (एससीसी), लाल चोपाडिया, रास्टिका, डार्क फायर क्यूरड़ तम्बाकू, ओरियंटल आदि., सिगरेट और सिगरिल्लोस (एचएस कोड : 2402 - कुल निर्यातों के मूल्य में 7.56%), अन्य तम्बाकू उत्पादों (एचएस कोड : 2403 - कुल निर्यातों के मूल्य में 24.78%) याने., चर्वण तम्बाकू, कट तम्बाकू, ट्रुकग तम्बाकू पेस्ट, रनफ और बीडी आदि., होते हैं। भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात पिछले सात वर्षों के दौरान सामान्य परिवर्तन के साथ ₹ 5,500 करोड़ से ₹ 6,000 करोड़ हो गये थे।



1. भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण :

1.1 भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के समग्र निर्यात निष्पादन :


2021-22 के दौरान भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात क्रमशः मूल्य के शब्दों में ₹ 6,529.30 करोड़ (876.22 मिलियन यूएस डालरों) के साथ 2,19,838 मि.टन के क्रम में रहे थे। वर्ष 2021-22 के दौरान निर्यात, जो 2020-21 के दौरान किये गये निर्यात की तुलना में परिमाण, मूल्य रूपये और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 4%, 4% और 3% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज किये गये।

तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात, जो 2020-21 के दौरान 876.58 मिलियन यूएस डालर के मूल्य में निर्यातित 2.22 लाख एमटी के निर्यातों के लिए 2021-22 के दौरान 923.40 मिलियन यूएस डालर के मूल्य में 2.25 लाख एमटी का निर्यात किये गये थे। 2021-22 के दौरान, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात पूर्व वर्ष याने., 2020-21 की तुलना में परिमाण के शब्दों में 1.50% और मूल्य के शब्दों में 5.34% की वृद्धि दर्ज किये थे।

(स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता)


क्रम संख्या	संवर्ग	अप्रैल 2021 - मार्च 2022			अप्रैल 2020 - मार्च 2021			मूल्य में परिवर्तन % (मि.यूएस \$)
		परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹ करोड में	मूल्य.मि. यू एस \$. में	परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹ करोड में	मूल्य.मि. यू एस \$. में	
I	अनिर्मित तम्बाकू (एचएस कोड 2401)							
क	एफसीवी तम्बाकू	1,16,697	3,036.93	407.52	1,05,406	2,726.91	367.43	10.91
ख	नॉन-एफसीवी तम्बाकू	73,406	1,292.10	173.37	68,775	1,128.38	152.28	13.85
	कुल	1,90,103	4,329.03	580.89	1,74,181	3,855.29	519.71	11.77
II	तम्बाकू उत्पाद							
क	सिगरेट & सिगरिल्लोस (एचएस कोड 2402)	7,074	484.02	64.97	9,300	569.64	77.03	-15.66
ख	अन्य उत्पाद (एचएस कोड 2403)	22,661	1,716.25	230.36	28,150	1,881.01	254.36	-9.44
	कुल उत्पाद	29,735	2,200.27	295.33	37,450	2,450.65	331.39	-10.88
	महा योग	2,19,838	6,529.30	876.22	2,11,631	6,305.94	851.10	2.95
	2020-21 की तुलना में % परिवर्तन (+/-)	4	4	3	-3	6	1	

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड सांख्यकी-निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत रिटनों के आधार पर



I.2 अनिर्मित तम्बाकू निर्यात (एच एस कोड 2401)

वर्ष 2021-22 के दौरान, अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात, जो परिमाण के शब्दों में 1,90,103 मेट्रिक टनों से 9%, मूल्य के शब्दों में ₹ 4,329.03 करोड से 12% तथा डालरों के शब्दों में \$ 580.89 मिलियन यूएसडी से 12% तक वृद्धि प्राप्त किये। यह 2020-21 के दौरान ₹3,855.29 करोड या यूएस \$ 519.71 मिलियन मूल्य में निर्यातित 1,74,181 मेट्रिक टनों के अनिर्मित तम्बाकू के विपरीत रही है।




I.2.1 अनिर्भित तम्बाकू के किस्म वार निर्यात :

2021-22 के दौरान, भारतीय अनिर्भित तम्बाकू के कुल निर्यातों में से परिमाण के शब्दों में 61.39% शेयर के साथ एफसीवी तम्बाकू, जब कि नॉन-एफसीवी तम्बाकू का हिसाब 38.61% का रहा है। नॉन-एफसीवी तम्बाकू में, 19.36% प्रधान शेयर से बर्ली के साथ एचडीबीआरजी (6.63%), लाल चोपड़िया (3.26%), सन क्यूरूड़ देशी (1.29%) और रस्टिका (1.25%) हैं। मूल्य के शब्दों में, कुल अनिर्भित तम्बाकू निर्यातों में से एफसीवी तम्बाकू निर्यात 70.15% और शेष 29.85% के लिए नॉन-एफसीवी तम्बाकू निर्यातों का हिसाब रहा है।

(परिमाण में.टनों में, मूल्य : ₹ करोड़)

तम्बाकू प्रकार	2021-22			2020-21		
	परिमाण	% परिवर्तन व-द-व	मूल्य	% परिवर्तन व-द-व	परिमाण	मूल्य
प्लू क्यूरूड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू	1,16,697	10.71	3,036.93	11.37	1,05,406	2,726.91
नॉन-एफसीवी तम्बाकू						
बर्ली	36,813	38.05	710.57	52.72	26,666	465.27
एचडीबीआरजी	12,613	5.92	209.45	11.04	11,908	188.63
लाल चोपड़िया	6,200	-21.93	96.89	-5.96	7,941	103.04
सन क्यूरूड देशी	2,451	-53.24	47.16	-42.24	5,242	81.65
रस्टिका	2,378	-1.04	46.72	2.86	2,403	45.42
अन्य	12,951	-11.38	181.31	-25.81	14,614	244.37
उप-कुल (नॉन-एफसीवी प्रकार)	73,406	6.73	1,292.09	14.51	68,774	1,128.38
कुल	1,90,103	9.14	4,329.03	12.29	1,74,181	3,855.29



एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2020-21 के दौरान किये 1,05,406 मेट्रिक टन का निर्यात मूल्य ₹ 2,726.91 करोड (यूएस \$ 367.43 मिलियन) के लिए 2021-22 के दौरान 1,16,697 मेट्रिक टन, जिसका मूल्य ₹ 3,036.93 करोड (यूएस \$ 407.52 मिलियन) के क्रम में रहे थे। 2021-22 के दौरान एफसीवी तम्बाकू के निर्यात पिछले वर्षों की निर्यातों की तुलना में परिमाण, मूल्य रूपयों में और यूएस डालरों के शब्दों में 11%, 11% और 11% बढ़ गये।

वर्ष	एफसीवी तम्बाकू के निर्यात		व-द-व मूल्य (यूएस\$) में परिवर्तन %
	मूल्य ₹ करोड में	मूल्य मिलियन यूएस \$ में	
2015-16	3,495.81	534.0	9
2016-17	3,428.45	512.0	-2
2017-18	3,059.60	474.6	-11
2018-19	2,863.87	409.7	-6
2019-20	2,681.81	378.7	-6
2020-21	2,726.91	367.43	2
2021-22	3,036.93	407.52	11

एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2015-16 से 2021-22 तक परिमाण के शब्दों में 13% तक गिरावट रही है। फिर भी, 2021-22 के दौरान, मूल्य रूपयों के शब्दों में और मूल्य डालरों के शब्दों में 11% की धनात्मक वृद्धि हुई।

2021-22 के दौरान, नॉन-एफसीवी तम्बाकू के निर्यात 73,406 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 1,292.09 करोड (173.37 मिलियन यूएस \$) था। 2021-22 के दौरान, नॉन-एफसीवी तम्बाकू के निर्यात, पूर्व 2020-21 वर्ष की तुलना में परिमाण, मूल्य रूपयों और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 7%, 15% और 14% की वृद्धि हुई है।

I.2.2 अनिर्भित तम्बाकू के क्षेत्र वार निर्यात :

पश्चिम यूरोप, जो कुल निर्यातों में मूल्य के शब्दों में लगभग 38.32% हिस्सा के साथ भारतीय अनिर्भित तम्बाकू के लिए प्रधान गन्तव्य स्थान बना हुआ है। गत वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र को निर्यात में 11.98% की वृद्धि हुई है। 2021-22 के दौरान आफ्रिका, दक्षिण और दक्षिण पूर्व राशिया और उत्तर और दक्षिण अमेरिका को क्रमशः 55.12%, 37.12% और 8.87% की वृद्धि दर्ज किये हैं। फिर भी पूर्व यूरोप (17.07%) और मध्य पूर्व (9.30%) क्षेत्रों में गिरावट की स्थिति देखी गयी। आस्ट्रेलेशिया को निर्यात महत्वपूर्ण नहीं है।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	2021-22				2020-21				% परिवर्तन (मूल्य)
	परिमाण	% शेयर	मूल्य	% शेयर	परिमाण	% शेयर	मूल्य	% शेयर	
पश्चिम यूरोप	69,118	36.36	1,658.86	38.32	59,092	33.93	1,481.40	38.42	11.98
पूर्व यूरोप	20,133	10.59	559.01	12.91	25,785	14.80	673.67	17.47	-17.02
मध्य पूर्व	23,551	12.39	478.99	11.06	30,333	17.41	528.12	13.70	-9.30
दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया	35,351	18.60	853.83	19.72	26,499	15.21	622.68	16.15	37.12
अफ्रीका	28,819	15.16	604.90	13.97	22,149	12.72	389.96	10.11	55.12
उत्तर और दक्षिण अमेरिका	13,131	6.91	173.44	4.01	10,318	5.92	159.30	4.13	8.87
आस्ट्रेलेशिया	0	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.15	0.00	-
कुल	1,90,103	100.00	4,329.03	100.00	1,74,181	100.00	3,855.29	100.00	12.29

I.2.3 अनिर्भित तम्बाकू का देश वार निर्यात (शीर्ष 10 बाजार) :

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	देश का नाम	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक		अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक		₹ करोड़ों के शब्दों में % मूल्य परिवर्तन
		परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	
1	बेलजियम	50263.88	1251.64	43599.24	1148.86	8.95
2	इंजिप्ट	17667.20	270.02	16173.18	233.82	15.48
3	यूएई	11922.10	210.47	14797.95	249.78	-15.74
4	फिलिपीन्स	11741.23	233.72	6301.40	102.54	127.94
5	नैजीरिया	7364.50	239.27	3150.95	99.74	139.91
6	इंडोनेशिया	7215.52	197.41	6007.98	157.91	25.01
7	नेपाल	6669.79	179.98	5161.46	132.66	35.67
8	कोरिया	6202.50	162.44	6503.18	167.68	-3.12
9	युएसए	6110.63	62.48	3797.67	48.46	28.94
10	फ्रान्स	5664.44	131.41	4823.58	96.56	36.09

I.3 तम्बाकू उत्पादों के निर्यात :


वर्ष 2021-22 के दौरान, सिगरेट और सिगार (एचएस कोड : 2402) के निर्यात परिमाण, मूल्य रूपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 24%, 15% और 16% की नकारात्मक वृद्धि के साथ 7,074 मेट्रिक टन का मूल्य 484.02 करोड (यूएस \$ 64.97 मिलियन) के क्रम में रहे थे, जब कि 2020-21 के दौरान नियातित 9,300 मेट्रिक टन का मूल्य ₹ 569.64 करोड (यूएस \$ 77.03 मिलियन) रहे थे ।

अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड : 2403), जो 2020-21 के दौरान नियातित ₹ 1,881.01 करोड (यूएस \$ 254.36 मिलियन) मूल्य में नियातित 28,150 मेट्रिक टनों की तुलना में ₹ 1,716.25 करोड (यूएस \$ 230.36 मिलियन) के 22,661 मेट्रिक टन के क्रम में निर्यात रहे थे । अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड : 2403) परिमाण, मूल्य रूपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 19%, 9% और 9% के साथ नकारात्मक वृद्धि दिखाई गई ।

कुल तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड : 2402 & 2403) 2020-21 की निर्यातों की तुलना में परिमाण, मूल्य रूपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 21%, 10% और 11% की गिरावट दिखायी गयी ।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड में)

क्र. सं.	उत्पाद संवर्ग	2021-22			2020-21		
		परिमाण	व-द-व %परिवर्तन	मूल्य	परिमाण	व-द-व %परिवर्तन	मूल्य
सिगरेट, सिगार, चेल्ट & सिगारिल्लोस (एचएस कोड : 2402)							
1	सिगरेट	7,033	-23.85	477.97	-14.81	9,235	561.05
2	सिगार	41	-36.65	6.05	-29.57	65	8.59
	उप कुल	7,074	-23.93	484.02	-15.03	9,300	569.64
अन्य उत्पाद (एचएस कोड : 2403)							
1	चर्वण तम्बाकू	17,789	-22.89	1,493.34	-13.09	23,071	1718.24
2	कट तम्बाकू	2,286	-38.42	63.74	-25.10	3,712	85.10
3	ट्रुक्का तम्बाकू पेस्ट	1,968	82.19	69.02	98.10	1,080	34.84
4	बीड़ी	432	97.50	74.09	129.42	219	32.29
5	स्नफ	107	93.70	3.25	-9.65	55	3.60
6	अन्य	79	518.34	12.81	84.62	13	6.94
	उप कुल	22,661	-19.50	1,716.25	-8.76	28,150	1,881.01
	महा योग	29,735	-20.60	2,200.27	-10.22	37,450	2,450.65



2. निर्यात उन्नयन गतिविधियाँ :

2.1. तम्बाकू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना :

कोविड-19 महामारी के कारण, विश्व में कोई मेले और प्रदर्शनियाँ आयोजित नहीं किये गये अतः तम्बाकू बोर्ड कोई मेले और प्रदर्शनियों में भाग नहीं लिये ।

2.2 तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि-मण्डली का विजिट :

कोविड-19 महामारी के कारण, 2021-22 वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा व्यापारी प्रतिनिधि मण्डलियों को नहीं अपनाये गये ।

3. विनियामक अनुपालन भार को कम करना :

प्यापारियों के विनियामक अनुपालन भार को कम करने भारत सरकार द्वारा एक पहल के रूप में, अनुपालन में निम्न लिखित उपायों को लागू किये गये :

क) आरसीएमसी नवीकरण/रजिस्ट्रेशन के लिए निर्यातकों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों में व्यूनीकरण :

तम्बाकू बोर्ड ने, नूतन आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्राप्त करने के लिए निर्यातकों द्वारा निम्न लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से छूट दी गयी है :

- आई ई सी की ख-प्रमाणित प्रति
- पॉन कार्ड की ख-प्रमाणित प्रति
- भागीदारी डीड/मेमोरान्डम & आर्टिकल ऑफ असोसियेशन, यदि रजिस्ट्रेशन/नवीकरण की अनुमति के लिए लागू हो तो, की ख-प्रमाणित प्रति

ख) तिमाही आरसीएमसी रिटर्नों को दाखिल करने से छूट :

निर्यातकों, जिन्होंने तम्बाकू बोर्ड के साथ आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन किये हैं, को तिमाही आरसीएमसी रिटर्नों को दाखिल करने से छूट दी गई थी, क्यों कि सभी निर्यातकों फार्म-18 / फार्म-34 / फार्म-31(32) में मासिक रिटर्नों को पहले ही तम्बाकू बोर्ड को प्रस्तुत कर रहे हैं ।

4. भारतीय तम्बाकू निर्यातकों के लिए आरसीएमसी की इलेक्ट्रानिक जारी :

तम्बाकू बोर्ड डीजीएफटी के ई-आर सी एम सी प्लैटफार्म में सफलतापूर्वक प्रवेश हो गया और दि.01/03/2022 से डिजिटल आरसीएमसी को जारी कर रही है ।

5. विभिन्न व्यापारी समझौतों के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को उद्गम की अधिमान्य प्रमाणपत्र (सीओओ) की इलेक्ट्रानिक जारी :

तम्बाकू बोर्ड डीजीएफटी के ई-सीओओ प्लैटफार्म में सफलतापूर्वक प्रवेश हो गया और दि.13/02/2021 से फार्म-क में डिजिटल सीओओ को जारी कर रही है ।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा कार्यान्वयन

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए हर प्रकर के कदम उठाये गये।

राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदम :

- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गये।
- सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- ‘क’ क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ पत्र - व्यावहार हिन्दी में किया गया। ‘ख’ & ‘ग’ क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को कुछ पत्र द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- बोर्ड की प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टों, जिनको संसद के सामने रखना है, को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करके प्रस्तुत किया गया।
- बोर्ड के विभिन्न अनुभागों के, फार्मों एवं आवेदन पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया।
- मानक मुद्रण लेखन-सामग्री याने., - लिफाफे, मिसिल फोल्डरों, पत्र शीर्षों आदि., को द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया गया।
- सारे रबड़ मोहरें, द्विभाषिक रूप में बनायी गयी तथा सभी नाम-पट्ट त्रिभाषिक/ द्विभाषिक रूप में बनाये गये।
- ‘क’ क्षेत्र में स्थित मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों को भेजे गये लिफाफों पर पते हिन्दी में मुद्रित किये गये तथा ‘ग’ क्षेत्र के लिए द्विभाषिक रूप में मुद्रित किये गये।

हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यक्रम :

बोर्ड के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के ऑन-लाईन हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया गया। जनवरी-मई, 2021 सत्र के दौरान क्रमशः प्रबोध (04), प्रवीण (03) और पारंगत (07) और जुलाई-नवंबर, 2021 सत्र के दौरान प्रबोध (06) और पारंगत (10) कर्मचारियों को ऑन-लाईन कक्षाओं के लिए नामित किये गये।

“हर दिन एक शब्द सीखो” हिन्दी योजना का प्रचार :

प्रति दिन एक हिन्दी शब्द, उसके अंग्रेजी अर्थ के साथ प्रेरणासाइन बोर्ड पर कार्यालय के प्रवेश - द्वारा पर प्रदर्शित किया गया। हिन्दी प्रचार से संबंधित प्रसिद्ध नेताओं एवं चिन्तकों के उद्घरणों को कार्यालय की मुख्य जगहों में प्रदर्शित किया गया।

हिन्दी सप्ताह :

तम्बाकू बोर्ड में 14 से 20 सितम्बर, 2021 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस समारोह में दि. 17 से 18 सितम्बर, 2021 तक चार मेज कार्यशालाएँ (चार अनुभाग), जो हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों में कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आयोजित किये गये।

हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकालय :

सम्प्रति, बोर्ड में कुछ हिन्दी पत्रिकाओं के साथ एक हिन्दी दैनिक “हिन्दी मिलाप” अखबार उपलब्ध किया गया। कुछ हिन्दी पुस्तकों, उपन्यास और रामायण, महाभारत आदि., जैसे महाकाव्य, लघु - कथा पुस्तकों विभिन्न शब्द कोष, शब्दावलियाँ आदि, ग्रन्थालय में उपलब्ध किये गये।

कम्प्यूटरों में हिन्दी :

सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी साप्टवेयर से व्यवस्थित किया गया तथा उनका उपयोग किये जा रहे हैं।

हिन्दी कार्यशाला :

इस अवधि के दौरान चार (02 दिन - प्रतिदिन 02 अनुभाग) मेज हिन्दी कार्यशालाएँ, जो हिन्दी सप्ताह के दौरान याने., दि. 14 से 20 सितम्बर, 2021 तक आयोजित की गई। यह मेज कार्यशाला तम्बाकू बोर्ड के हिन्दी विभाग द्वारा प्रारूपित एक नवीनतम कल्पना है, जहाँ हिन्दी स्टाफ (प्रत्येक) कर्मचारी के मेज के पास (व्यक्तिगत रूप से) जाकर उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं, जिससे हिन्दी कार्य प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है।

रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

वित्त एवं लेखा

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुदानों और उधारों के तौर पर तम्बाकू बोर्ड को निधियों का संदाय कर सकेगी। तम्बाकू बोर्ड 1991-92 से केन्द्रीय सरकार से बजट व्यय और योजनाओं के लिए किसी प्रकार की अनुदान या ऋण नहीं लिया। तम्बाकू बोर्ड द्वारा जेनरेट आंतरिक साधन, अधिनियम के अनुसार अपने गतिविधियों को जारी करने इसके व्यय को पूरा करने और वेतन, भत्ता और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य मेहनताना उठाने के लिए पर्याप्त है।

I) आंतरिक संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14-क के प्रावधानों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड अपने नीलाम प्लैटफार्मों पर विपणित तम्बाकू के मूल्य पर, प्रदत्त सेवाओं के लिए “सेवा प्रभार” के रूप में 2% के हिसाब से शुल्क लगाता है। इस प्रकार लगाये गये सेवा प्रभार को ग्रोयर के द्वारा बेचे गये तथा क्रेताओं के द्वारा खरीदे गये तम्बाकू के मूल्य पर उत्पादक एवं क्रेता-प्रत्येक से @1% के दर पर, समान्य रूप से, वसूल किया जाता है। साथ-साथ तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम, 1984 के नियम 13(2) के अनुसार, नीलामियों में भाग लेने वाले क्रेताओं से बोर्ड, ‘प्राधिकार शुल्क’ को वसूल करता है। इसके अतिरिक्त ग्रोयरों, बखार प्रचालकों, नर्सरीमेन, डीलरों, निर्यातकों, पैकरों, प्रोसेसरों एवं निर्माताओं से बोर्ड पंजीकरण शुल्क वसूल करती है।

बोर्ड ने, पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रति वर्ष सरकार द्वारा निर्धारितानुसार जुर्मानाएँ लगायेगी। 2021 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों के दौरान, प्रधिकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अधिक्य तम्बाकू की बिक्री के लिए ₹ 2/- प्रति किलो के हिसाब से और बिक्री प्रोसीडों से 5% (1% साधारण सेवा प्रभार को मिलाकर) अतिरिक्त प्रभार लगायी हैं। आगे, आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राजपत्र सूचना के आदेशों के अनुसार, पंजीकृत ग्रोयरों से और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत तम्बाकू से प्राधिकृत कोटा के अतिरिक्त 10% तम्बाकू की बिक्री पर ₹ 2/- प्रति किलो अंशदान और बिक्री प्रोसीडों से 10% (1% साधारण सेवा प्रभार को मिलाकर) अतिरिक्त शुल्क लगायी है।

2021 कर्नाटका नीलामियों के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कर्नाटका में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए ₹ 1/- प्रति किलो अंशदान और बिक्री प्रोसीडों के 5% (1% साधारण प्रभार मिलाकर) लगाये गये।

II) बजट प्राक्कलन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करता है और सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले तारीखों में अथवा उसके पहले केन्द्र सरकार की स्वीकृती के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा।

बजट प्राप्तियाँ याने., सेवा प्रभार, क्रेता प्राधिकरण शुल्क, व्यापारियों & ग्रोयरों से रजिस्ट्रेशन शुल्क, मियादी जमाओं पर ब्याज और डेमोरेज प्रभारों के विविध रसीदें और विलंबित भुगतानों पर ब्याज आदि., बोर्ड के आन्तरिक स्रोत शामिल हैं ।

बजट व्यय को आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्मों में इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने पूँजीगत व्यय के रूप में और नीलामियों और विस्तार एवं विकास योजनाओं के कल्याण योजनाओं, उत्पादन योजनाओं और व्यापार रक्षण योजनाओं आदि., को आयोजित करने के लिए स्थापना और प्रशासनिक के राजरव व्यय के रूप में व्यय किया जाता है ।

तदनुसार 2021-22 के लिए बजट प्रस्तावों को तैयार करके सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये । बजट आकलन और संशोधित आकलन क्रमशः प्राप्तियों के लिए ₹ 8,659.00 लाख और ₹ 10,185.00 लाख और व्यय के लिए ₹ 18,684.00 लाख और ₹ 16,450.00 लाख हैं ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान की ₹ 10,185.00 लाख के लिए आन्तरिक संसाधनों के रूप में ₹11,029.31 लाख की राशि वसूल हुई और बजट आउटले के ₹ 16,450.00 लाख के लिए व्यय के रूप में ₹11,451.69 लाख राशि खर्च किये गये हैं ।

2010-11 से 2021-22 तक योजना तथा गैर - योजना के अंतर्गत वार्षिक निधियों की गति को दर्शानेवाली तालिका पृष्ठ सं. 123 में दी गई है ।

वर्ष 2021-22 के तम्बाकू बोर्ड के तम्बाकू निधि के लेखाओं के लिये तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और तम्बाकू निधि के लेखा की प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण, जिसमें वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार रक्षण को सहायता अनुदान), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नथा पेंशन योजना (ट्रेयर-1), तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि की एरमार्क निधि लेखाओं के वित्तीय विवरणियों के लेखाओं पर नोट के साथ वर्ष 2021-22 के लिए बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करके रिपोर्ट में संलग्न की गई है ।

**दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं
महालेखाकार की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

हमने, दि. 31 मार्च, 2022 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के साथ संलग्न तुलन पत्र, उसी दिन को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19(2) के साथ पढ़े जाने पर, नियंत्रक एवं महालेखाकार (कर्तव्य अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में सभी नीलाम प्लैटफार्म, संपर्क एवं प्रादेशिक कार्यालयों तथा नीलाम निदेशालय, बैंगलूर के लेखों शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियाँ, तम्बाकू बोर्ड प्रबंध की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर एक राय प्रकट करना हमारा दायित्व है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धतियों के अनुसरण, लेखाकरण मानकों तथा उद्घोषण नार्म आदि., के संबंध में, लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। व्याय, नियम एवं विनियम (सम्पति एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा मन्तव्यों, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा अलग तौर पर रिपोर्ट की जाती है।
3. हमने, भारत में आम तौर पर माने गये लेखीकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा चलाई है। इन मानक के अनुसार, हमें इस प्रकार योजना बनाकर लेखापरीक्षा चलाई है, ताकि वित्तीय अश्वासन प्राप्त हो सके। लेखा-परीक्षा के तहत परीक्षण पद्धति पर जाँच, रकमों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणियों में उद्घोषणाएँ शामिल हैं। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन के द्वारा अपनाये गये लेखाकरण सिद्धांत तथा प्रबंधन के द्वारा किये गये उल्लेखनीय आकलन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उचित आधार का प्रावधान करती है।
4. लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निवेदन करते हैं कि :
 - (i) हमने, अपने सर्वोत्तम एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणियों को प्राप्त किया है।
 - (ii) इस रिपोर्ट में (चर्चित) तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा / प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित (एक-रूप) लेखा फार्मेट में तैयार किया है।
 - (iii) हमारी राय में जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के साथ पढ़े जाने पर, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1975 की धारा 19(1) के तहत अपेक्षितानुसार तम्बाकू बोर्ड द्वारा समुचित लेखा बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया है।
 - (iv) हम आगे यह निवेदन करते हैं कि :

क. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी क. 1

तुलन पत्र दि. 31.03.2022 तक

(वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची-7)

क. वर्तमान देयताएँ

3. अशोधित देयताएँ (राजस्व) - ₹ 1113.61 लाख ।

क) उपरोक्त में, जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74(5) के अंतर्गत जीएसटी अधिकारियों द्वारा निर्धारित कर देयता राशि ₹478.17 लाख शामिल नहीं है।

बोर्ड ने, ₹478.17 लाख की कर राशि को भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया है और उप सहायक आयुक्त (एसटी), गुण्टूर डिविजन से (23.03.2022 को) जीएसटी अधिनियम की धारा 74(5) को इनवोक नहीं करने का अनुरोध किया और बता दिया कि प्रस्तावों कानून के अनुसार नहीं है। जीएसटी अधिकारियों के लंबित निर्णय के कारण, बोर्ड ने जीएसटी अधिकारियों द्वारा पहचानित देयताओं के लिए न तो कोई प्रावधान किया है और लेखाओं के हिस्सा वाले टिप्पणियों में (नोटों) आकस्मिक देयता के रूप में इस तथ्य को न ही प्रकट किया है।

ख) उपरोक्त में, जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74(5) के अंतर्गत जीएसटी अधिकारियों द्वारा निर्धारित कर देयता की ₹ 10.18 लाख राशि, जो तम्बाकू बोर्ड को (फरवरी, 2022) सूचित किया गया था, को शामिल नहीं किया हैं। बोर्ड ने जीएसटी अधिकारियों द्वारा उपरोक्त दावों के संबंध में भुगतान करने (मार्च, 2022) के लिए निर्णय लिया था। फिर भी, बोर्ड ने इस देयता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएँ और प्रावधानों (अनुसूचि-7) में ₹10.19 लाख राशि की व्यूनोकित और वही राशि को इस वर्ष के लिए अधिशेष की अत्युक्ति बताया गया था।

टिप्पणी क. 2

वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची-7)

ख) प्रावधान

2 (क) उपदान, अवकाश वेतन और अर्ध-वेतन अवकाश (अल्प अवधि) - ₹ 787.38 लाख।

2 (ख) उपदान, अवकाश वेतन और अर्ध-वेतन अवकाश (दीर्घ अवधि) - ₹ 3385.06 लाख।

उपरोक्त की ₹79.06 लाख राशि की आयुक्ति, जो दि.31.03.2022 तक उपदान, अवकाश वेतन और अर्ध-वेतन के लिए देयता से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान के कारण, अवकाश वेतन की गणना करते समय अर्ध-वेतन से संबंधित भुगतान की गणना को 50 प्रतिशत वेतन को प्रतिबन्धित किये बिना पूरे महीने की वेतन के लिए की गई थी।

इसके परिमाणस्वरूप, उपादान, अवकाश वेतन और अर्ध-वेतन के लिए देयता के लिए प्रावधान को ₹79.06 से अत्युक्ति बताया गया - अल्पावधि के लिए ₹1.86 लाख और दीर्घावधि के लिए ₹77.20 लाख राशि को अधिशेष की व्यूनोकित बताया गया था।

टिप्पणी क. 3

अचर परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-8)

भूमि

वर्ष 2021-22 के लिए बोर्ड द्वारा धारित भूमि के विवरण भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध अधिकार-पत्र और भूमि के अनुसार समाधान नहीं किये जा रहे हैं। कोय्यलगूडेम, देवरपल्ली, कनिंगिरी, एच.डी.कोटे, हुन्सूर में रहे नीलाम प्लैटफार्मों, प्रशासन भवन और ग्रोयर संघ के संबंध में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध भूमि अधिकार-पत्रों के अनुसार रहे भूमि से अधिक है। पेरियपट्टुना में अधिकर-पत्र से 18.29 एकड़ भूमि कम रही है। भद्राचलम, कन्दुकुरु-2, कीसरा, वेल्लमपल्ली-1, गोपालपुरम, ठंगुटूर-1, प्रा.प्र.कार्यालय, मैसूर, शिमोगा और गुड्डनेहल्ली में स्थित भूमि का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। मुख्य कार्यालय के अभिलेखों के साथ नीलाम प्लैटफार्मों के अभिलेखों में भिन्नता/विसंगतियों को समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

ख) सामान्य

लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलंब :

सदन के पट्टल पर रखे जाने वाली कागजातों की समिति (सीओपीएलओटी) ने अपनी पहली रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश किया था की, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीनों की अवधि के अंदर अपने लेखाओं को पूरा करना होगा और उन्हें लेखा-परीक्षा के लिए उपलब्ध करना होगा और लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के अंदर रिपोर्ट और लेखा-परीक्षित लेखों को संसद के सामने प्रस्तुत करना होगा। इन्हें वित्त मंत्रालय अपने कार्यालय सापन सं 8(II)/ई.॥-क)/09, दि.17 नवंबर, 2009 द्वारा दोहराया गया था।

बोर्ड ने, उपरोक्त सीओपीएलओटी की शर्तों को पालन नहीं किया और अपने 2021-22 लेखाओं को दि.15 जुलाई, 2022 को रखीकृति दे दी। इसे 22 अगस्त, 2022 को लेखा-परीक्षा को सूचित किया था। बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखाओं की प्रति को लेखा-परीक्षा के लिए दि.01.09.2022 को उपलब्ध कराया गया था, हालाँकि, लेखा सं.37(सी) के नोट में यह कहा गया है कि दि.31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड की वित्तीय विवरणियों को निर्धारित समय याने., 30 जून, 2022 के अंदर भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग हैदराबाद को प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः इससे संबंधित लेखाओं के नोट्स वार्तविक रूप से गलत है।

ख. प्रबंध पत्र

- कमियों, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया है, को उपचार/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए, अलग रूप से जारी किये गये प्रबंध पत्र के द्वारा अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के ध्यान में लाया गया ।
- v पूर्वगामी अनुच्छेदों में हमारे मन्तव्यों को, बशर्ते कि हम यह निवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चित तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं ।
 - vi हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों, लेखीकरण नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, तथा ऊपर बताये गये उल्लेखनीय शर्तें और इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित बातों को, बशर्ते कि, भारत में आम तौर पर माने जाने वाली लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में एक सच्चा और तटरथ दृश्य देते हैं :
- क. जहाँ तक तुलन-पत्र के संबंध है, दि 31 मार्च, 2022 के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड के मामलों की स्थिति का;
तथा
- ख. जहाँ तक आय & व्यय लेखे का संबंध है उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कमी का है ।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की तरफ से
ह/- xx xx xx
21/11/2022

(एम.एस. सुब्रह्मण्यम्)

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 21 नवंबर, 2022.

अनुलग्नक

1. आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

संस्था द्वारा स्थापित आन्तरिक लेखा-परीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रकार्य के रूप में कार्य करती है। यह बेहतर जोखिम (रिस्क) प्रबंध और नियंत्रण प्रणाली और संस्था के समग्र शासन प्रक्रिया को मजबूत करने के द्वारा अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने में प्रबंध (मेनेजमेंट) को काफी सहायता करती है। फिर भी, मौजूदा आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति से पर्याप्त और अनुरूप नहीं हैं।

तम्बाकू बोर्ड के आन्तरिक लेखा-परीक्षा विंग के लिए कोई अलग मंजूर पद नहीं है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के नीलाम प्लैटफार्म और प्रादेशिक कार्यालयों के लेखाओं की आन्तरिक लेखा-परीक्षा को बोर्ड के मौजूदा कर्मचारियों को तैनात करने के द्वारा किया जाता है। हालांकि बोर्ड के 33 कार्यालय (आं.प्र. और कर्नाटक में स्थित 26 नीलाम प्लैटफार्म, ऑगोल-1, ऑगोल-2, राजमहेन्द्री, मैसूर और पेरियपट्टनम में प्रादेशिक कार्यालय, बेंगलूर में एक निदेशालय और गुण्ठूर में मुख्य कार्यालय) हैं, वर्ष 2021-22 के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षा को केवल गुण्ठूर में रहे मुख्य कार्यालय के लिए आयोजित की गई थी बाकी 32 यूनिटों के लिए नहीं किया गया था।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

उक्त विन्दु सं. 1 के अंतर्गत घोषित आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियों पर अवलोकन के विषय में तम्बाकू बोर्ड के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, जो संस्था के परिमाण तथा प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप हैं।

3. अचर परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन विशेष दलों को गठन करने के द्वारा कार्यालय के संबंधित नियंत्रण अधिकारियों और मुख्य कार्यालय द्वारा भी नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 के लिए उचल परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन भी किया गया था। इसी प्रकार, अचर परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में, उपरोक्त टिप्पणी क.3 के अधीन पर्याप्त और अनुरूप है।

4. वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड के पास कोई वस्तुसूची (इनवेंटरी) नहीं है, लेकिन लेखन-सामग्री और उपभोज्य वस्तुओं को वस्तुसूची (इनवेंटरी) के रूप में माना जाता है। बोर्ड ने प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख के अंत में लागत के आधार पर लेखन-सामग्री की अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया। इस प्रकार, तम्बाकू बोर्ड की वस्तुसूची (इनवेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप है।

5. सांविधिक देय राशियों की अदायगी में नियमितता :

बोर्ड ने, सांविधिक देय राशियों जैसे., संपत्ति कर और सेवा कर आदि., को उपरोक्त क.1 टिप्पणी के अधीन निर्धारित तारीख के अंदर प्रेषित (भुगतान) किया।

ह/- xx xx xx

21/11/2022

(एम.एस. सुब्रह्मण्यम्)

महा निदेशक

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्टूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि. 31 मार्च, 2022 तक तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

विवरण	अनु- सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कार्पस / पूँजी निधि और देयताएँ			
1. कार्पस / पूँजी निधि	1	66001	65702
2. आरक्षण और उपरी	2	0	0
3. उद्दिष्ट / धर्मरक्षण निधियाँ	3	0	0
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)		2821	2676
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		1520	1913
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		13466	16530
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		27	30
ड) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना		6417	6445
4. सुरक्षित ऋण और उधार	4	0	0
5. असुरक्षित ऋण और उधार	5	0	0
6. अस्थागित ऋण देयताएँ	6	0	0
7. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	11825	19771
कुल		102077	113067
संपत्तियाँ			
1. इथर संपत्तियाँ	8	11156	10467
2. उद्दिष्ट / धर्मरक्षण निधियाँ से निवेश	9	0	0
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)		2821	2676
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		1520	1913
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		13466	16530
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		27	30
ड) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना		6417	6445
3. निवेश : अन्य	10	0	0
4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि,	11	66670	75005
5. विविध व्यय		0	0
कुल		102077	113067
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ	24	अनुसुचियों में रखा गया	
आकर्षित देयताएँ और लेखाओं पर नोट्स (टिप्पणी)	25	अनुसुचियों में रखा गया	

ह/- XX XX XX
 (वी. वेंकट राव)
 प्रबंधक (वि व ले)

ह/- XX XX XX
 (अद्वितीय श्रीधर बाबू)
 कार्यपालक निदेशक

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार, गुण्ठूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

विवरण		अनु-सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आय				
I विक्रियों / सेवाओं से आय	12	5648	5444	
II अनुदान / आर्थिक सहायता	13	0	0	
III शुल्क / चन्दे	14	409	258	
IV निवेशों से आय (उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियों से निधियों को अन्तरित)	15	14	10	
V रॉयल्टी, प्रकाशानों आदि, से आय	16	4	4	
VI अर्जित व्याज	17	3122	3364	
VII अन्य आय	18	1826	3253	
VIII संपूर्ण वस्तुओं के स्टाकों में बढ़ती/(घटती) एवं कार्यों में प्रगति	19	0	0	
कुल			11023	12333
2. व्यय				
I स्थापना खर्च	20	8245	7204	
II अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1999	2185	
III अनुदान, सब्सिडी आदि., पर व्यय	22	0	0	
IV व्याज	23	0	0	
V मूल्हास (वर्षान्त में निवल योग - अनुसूची - 8 के समरूप)	8	480	339	
कुल			10724	9728
3. व्ययोपरि आय के अतिरेक के रूप में शेष (1-2)			299	2605
I विशेष राजस्व का स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)			0	0
II सामान्य रिजर्व का अन्तरण			0	0
III पूर्व वर्षों के भुगतान			0	0
4. कार्पस / पूँजी निधि को ले गये उपरि / घाटे के रूप में शेष			299	2605
5. उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ	24	अनुसुचियों में रखा गया		
6. चालू देयताएँ और लेखों पर टिप्पणि	25	अनुसुचियों में रखा गया		

ह/- XX XX XX

(वी. वेंकट राव)

प्रबंधक (वि व ले)

ह/- XX XX XX

(अद्वितीय श्रीधर बाबू)

कार्यपालक निदेशक

उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष (तुलन पत्र)

1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रकंध को अनुदान सहायता) लेखा

(₹ लाखों में)			
क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	2676.30	2521.98
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बबैं खाता पर व्याज)	144.58	154.32
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	घ) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	घटाये :		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	2820.88	2676.30
ज	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	क) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ख) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल भुगतान (ज)	2820.88	2676.30

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	1913.46	2271.44
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बबैं खाता पर व्याज)	73.66	113.02
	ख) अंशदन	443.96	538.66
	ग) साभनि आग्रम की वसूली	0.00	0.00
	घटाये :		
	क) निकासी	-911.44	-1109.66
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	1519.63	1913.46
ज	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	क) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ख) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ज)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ज)	1519.63	1913.46

3 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	16529.63	14963.06
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (एलआईसी & बबै खाता के साथ जमा पर व्याज)	1152.98	1184.59
	ख) पेंशन निधि अंशदान	2500.00	4000.00
	घटाये :		
	क) भा जी बी नि द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी	-6717.03	-3618.02
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	13465.58	16529.63
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	13465.88	16529.63

4 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	30.11	36.65
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बबै खाता पर व्याज)	1.39	1.48
	ख) पेंशन निधि अंशदान	225.55	153.29
	घटाये :		
	क) एनएसडीएल, मुंबई को प्रेषित पेंशन अंशदान (पेंशन अंशदान)	-229.89	-161.31
	ख) अन्य भुगतान (बैंक प्रभार)	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	27.16	30.11
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	27.16	30.11

(₹ लाखों में)

5 तरवाहू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा :

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष			पूर्व वर्ष		
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल
क	अथशेष	3868.72	2576.16	6444.88	3721.33	2546.21	6267.54
ख	निधि लेखा को जोड़ :						
क)	निवेशों से आय (कीआदी जमा & बैंक आता पर व्याज)	221.77	110.95	332.72	213.84	116.63	330.47
ख)	ग्रोयर अंशदान	12.33	12.19	24.52	13.02	22.15	35.17
ग)	तम्बाकू बोर्ड का अंशदान	21.61	24.38	45.99	29.11	44.30	73.41
घ)	सहदस्यता शुल्क नवीकरण	182.62	206.52	389.14	187.45	194.84	382.29
ङ)	रियरिंगों का ग्रोयर का शेयर	14.06	9.64	23.70	0.00	7.74	7.74
च)	जुर्मनाएँ	0.34	0.00	0.34	0.27	0.03	0.30
छ)	ऋणों पर व्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ज)	विविध भुगतान	0.11	2.02	2.13	0.00	2.02	2.02
ঃ	ग्रोयर अंशदान (ब्रेक इन रजिस्ट्रेशन)	4.06	4.37	8.43	5.90	3.14	9.04
	घटाये :						
ক)	ग्रोयरों को मूल्यु राहत	-356.80	-498.35	-855.15	-302.20	-360.90	-663.10
খ)	आन्ध्र भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क + খ)	3968.83	2447.88	6416.70	3868.72	2576.16	6444.88
ঃ	निधि उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय						
i)	पूँजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	কुल (ং)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (ক + খ - গ)	3968.83	2447.88	6416.70	3868.72	2576.16	6444.88

(वी. बैंकट याव)
प्रबंधक (वित्त व लेखा)

तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्दूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरण्याँ

दि. 31 जार्वा, 2022 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	(₹ लाखों में)
I. अधेश :						
क) बैंक शेष						
1. चालू खाताएँ	2873.32	3168.37	1. वेतन और मजदूरी	4466.58	4403.33	
2. जमा खाताएँ	60111.11	60966.99	2. अते और बोनस	19.19	25.16	
3. बचत खाताएँ	0.00	0.00	3. अधिक्ष निधि को अंशदान	0.00	0.00	
य) उद्दल्ल / थर्मस्ट्र निधियाँ			4. पेशन निधि को अंशदान	2500.00	4000.00	
1. चालू खाताएँ			5. पेशन निधि को अंशदान (न भै यो)	145.70	81.43	
ि) ग्रा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (व्यापार संक्षय को अद्वान)	0.10	0.05	6. कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00	0.00	
2. जमा खाताएँ	0.00	0.00	7. सेवानिवृति और टर्मिनल लाभ	1819.13	1971.81	
3. बचत खाताएँ	0.00	0.00	8. अन्य :			
ि) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य अधिक्ष निधि	3.87	10.16	क) छुट्टी वेतन & पेंशन अंशदान	2.44	15.71	
ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन योजना	4.90	4.74	ख) चिकित्सा दावे (अधिकारीगण व रसाफ)	48.42	66.90	
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना	7.67	12.59	ग) छुरिया दावे	8.69	46.22	
iv) तम्बाकू गोयर कल्याण निधि योजना	205.33	228.31	घ) रसाफ को वर्द्ध	2.13	2.60	
II. प्राप्त अद्वान	0.00	0.00	II. अन्य प्रशासनिक व्यय			
III. निवेश और जमाएँ			1. कर्मचारियों को ओ.टि.ए	0.00	0.00	
क) उद्दिष्ट राजस्व निधि (एफ ई आर)			2. या.भ.अधिकारियों और कर्मचारियों केलिए	158.79	150.58	
			3. या.भ.बोर्ड के सदस्यों के लिए	7.10	1.65	
			4. प्रशासनिक भवन / कर्टर्स / नी. प्लैटफार्म का रखरखाव	38.04	39.37	
			5. अन्यों का किराया	91.54	179.98	

दि. 31 जार्व, 2022 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्रादित्याँ एवं भुगतान

प्रादित्याँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	पूर्व वर्ष
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार एकाध को सहायता अनुदान)	2601.66	2433.01	6. मुद्रण और स्टेशनरी (कंप्यूटर लेखन सामग्री को भिताकर)	29.61	65.51	
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य अविष्य निधि	1858.61	2189.93	7. विद्युत शुल्क 8. डाक और टेलीफोन शुल्क 9. बैंकों पर व्यय	117.21 58.00 3.74	99.48 41.62 7.52	
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेशन निधि	16524.73	14958.32	10. विविध व्यय 11. मानोरंजन व्यय	82.80	83.22	
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेशन निधि	22.39	22.97	12. प्रक्रियाओं के लिए सदस्यता	6.60	4.70	
v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	5841.32	5570.88	13. फर्नीचर और अन्य संपत्तियों की मरम्मत	3.54	2.86	
vi) निजी निधि	0.00	0.00	14. परिवहन प्रभार	6.28	8.48	
IV. निवेश पर आय			15. कार्यशालाएँ और सेमिनार	3.30	3.13	
अ) निजी निधि			16. दरें और कर	0.00	0.00	
क) उद्दिष्ट राजस्व निधि			17. बैंक शुल्क	22.39	23.60	
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (द्रिंगिंग टिंग के लिए अनुदान)	142.86	168.71	18. कानूनी शुल्क	0.27	0.14	
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य अविष्य निधि	525.70	672.05	19. चाहनों का भाड़ा	8.37	6.20	
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेशन निधि	3652.98	5184.58	20. चाहनों का रखरखाव	111.58	107.49	
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेशन निधि	226.93	155.80	21. ग्रीष्मा	30.68	24.62	
v) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना	947.61	1051.87	22. लेखा-परीक्षा शुल्क	11.76	37.29	
			23. सा भ नि को व्याज योगदान	15.76	8.03	
			24. अन्य संगठनों के साथ सदस्यता	0.00	0.00	
			25. ऋण वसूली व्यय	0.00	0.00	
			26. पुस्तकालय किताबें	0.05	0.07	
			27. कंप्यूटर का रखरखाव	22.33	21.11	

दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्रादित्याँ एवं भुगतान

प्रादित्याँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
ख) निजी निधि	0.00	0.00	28. वेश्यिंग ट्स्केल केलिए सेवा शुल्क	13.25	30.71
ग) किराए	14.11	9.86	29. मुठा शास्त्रीक शुल्क	339.55	339.66
क) पट्टा परिसर पर किराए			30. अस्थायी संरचनाओं का निमाण	0.00	0.00
V. प्राप्त किया व्याज			31. मानव संसाधन विकास	1.35	0.00
1. बैंक में जमा राशि	3167.44	3973.26	32. ई-नीलामी प्रणाली का कार्यन्वयन	338.10	394.66
2. ऋण और अधिन (अधिकारी)	0.64	3.51	33. कार्यालय का स्वचालन (एमआईएस) ऑनलाइन	2.48	3.01
VI. अन्य आय			34. खब्बा भारत व्याप	12.47	0.00
1. गोप्यर पंजीकरण शुल्क (क्षेत्र, बार्ब ऑपरेटर और नसरीमेन)	336.38	194.01	35. रिटेन ऑफ लासेस	0.02	0.00
2. निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क	13.42	22.93	36. एफसीसी तम्बाकू का विनियमन और विकास	6.86	6.00
3. उत्पाद पंजीकरण शुल्क	34.33	17.34	37. विपणन सुविधाओं का कार्या. और रक्षरखाव	25.48	3.93
4. डीलर पंजीकरण शुल्क	9.61	10.29	38. विपणन सुविधाओं का कार्यन्वयन & रक्षरखाव	0.10	0.38
5. पेकर्स पंजीकरण शुल्क	0.53	0.38	39. ग्रेयरों को वित्तीय याहत (फसल/बस्तर डामेज)	0.00	0.00
6. प्रोसेसर पंजीकरण शुल्क	1.53	2.34	40. किसान अध्ययन दूर : विदेश	0.00	0.00
7. वाणिज्यिक ग्रेडर्स पंजीकरण शुल्क	0.70	41. बाजार का सर्वेक्षण	0.00	0.00	
8. निर्माणकर्ता पंजीकरण शुल्क	8.55	6.45	नियर्ति प्रोत्साहन	0.00	0.00
9. मूल्यवान प्रकाशनों की विक्री (टीजीपीबीएस)	3.64	4.49	42. विदेशों को व्यापार प्रतिनिधि मंडल	0.00	0.00
10. विविध आय	424.91	307.87	43. मेनें और प्रदर्शनी (विदेश)	0.00	0.00
11. एफसीवी तम्बाकू पर सेवा शुल्क	5598.87	5285.13	44. प्रसार और प्रचार	4.92	4.14
12. पंजीकृत ग्रेयरों से @4% अंशदान	718.78	298.79	45. फार्म मशीनीकरण	0.00	0.00
13. अपंजीकृत&पंजीकरण ग्रेयरों से अंशदान ₹ @ 9%	405.14		46. एफसीवी तम्बाकू की उपज & गुणवत्ता की वृद्धि	147.27	118.23
14. एक किलो को अंशदान ₹ 2/-	198.34	635.60	47. क्यार्टिंग प्रथाओं में सुधार	109.79	107.83
पंजीकृत 3पंजीकृत ग्रेयरों से			48. एनटीआरएम और उत्पाद-अखंडता का उन्नूलन	16.76	38.36
15. एक किलो को अंशदान ₹ 2/-	7.32	0.00	49. पीहेचपिएस उपाय-वित्कंग शेड/नमूला भंडारण सुविधाएं	0.77	1.65
पंजीकृत 3पंजीकृत ग्रेयरों से			50. अन्य वित्तार कार्यक्रम	9.50	23.60

दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्रादियाँ एवं भुगतान

(₹ लाखों में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
16. खरीदारों प्राधिकरण शुल्क	4.40	5.02	51. ऑन-फार्म टेस्ट और प्रायोगिक परीक्षण	20.03	20.41
17. कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम	11.19	13.32	52. नमूना परियोजना क्षेत्र	9.69	10.60
18. कृषकों को ऋण & अग्रिम	0.00	0.00	53. तम्बाकू गोदार कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा)	63.41	59.11
VII. उधार ती गई राशि	0.00	0.00	54. चाणिज्य कर दंड और व्याज	0.00	0.52
VIII. कोई अन्य रसीदों			55. सेवा कर, जुमाना और व्याज	2.95	21.88
1. अन्य देनदारियाँ	1655.62	793.12	III. विभिन्न परियोजनाओं के लिए	0.00	0.00
2. एशीटो और अन्य के साथ जमा	16.39	66.57	निधि के खिलाफ किए गए भुगतान		
			IV. अनुदान और सविस्ती पर व्यय	0.00	0.00
			V. निवेश और जमा		
			i) उद्घिष्ठ / धर्मस्थ निधियाँ :		
			क) नियत जमा		
			ि) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (व्यापार संक्षय के लिए अनुदान)	2744.52	2601.66
			ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	1454.90	1858.16
			iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	13460.55	16524.73
			iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन फंड	23.53	22.39
			v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	5808.01	5841.32

दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राक्तियाँ एवं भुगतान

प्राक्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अ) अन्य भुगतान					
i) ग. प्रयालतों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)		0.00		0.00	0.00
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	911.44			1009.66	
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	6717.03		3618.02		
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	229.89		161.31		
v) तम्बाकू ग्रोवर कल्याण निधि योजना	980.25		804.40		
vi) निजी निधि	0.00		0.00		
vi. निश्चित संपत्ति पर क्षय & प्रगताधीन कार्य					
1. निश्चित संपत्तियों की खरीद	7.71		22.85		
2. अग्रिम केलिए					
क) सीपीडब्ल्यूटी	474.71		883.55		
ख) ईटस	0.00		0.00		
3. प्रगताधीन केपिटल कार्यों पर क्षय					
VII. अधिशेष धन/ऋण की वापसी	0.00		0.00		
VIII. वितीय शुल्क (व्याज)	0.00		0.00		
IX. अन्य भुगतान :					
1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	3.00		21.67		
2) किसानों को ऋण और अग्रिम	0.00		0.00		
3) अन्य देनदारियाँ	120.14		1108.94		
4) एसिटिओं और अन्य के साथ जमा	11.22		46.87		

दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	(₹ लाखों में)
X. अन्तर्राष्ट्रीय क) बैंक शेष						
1. चालू खाताएँ				4571.30	2873.32	
2. जमा खाताएँ				59531.40	60111.11	
3. बचत खाताएँ				0.00	0.00	
ख) उद्दिष्ट / राजस्व निधि						
1. चालू खाताएँ				0.10	0.10	
i) वा. प्रचलनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)				0.00	0.00	
2. जमा खाताएँ						
3. बचत खाताएँ						
i) तम्बाकू गोई के कर्मचारी समाज्य भविष्य निधि				21.84	3.87	
ii) तम्बाकू गोई कर्मचारी पेंशन निधि				5.03	4.90	
iii) तम्बाकू गोई कर्मचारी नई पेंशन निधि				3.57	7.67	
iv) तम्बाकू गोईर कल्याण निधि योजना				206.00	205.33	
कुल	108252.93	110446.77	कुल	108252.93	110446.77	

ह/- XXX XXX
(गी. बैंक शब्द)
पंचाधक (वित्त व लेखा)

ह/- XXX XXX
(अद्वितीय श्रीधर बाबू)
कार्यपालक निदेशक

उद्धिष्ट निधियों का

1. वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रक्कम को अनुदान सहायता) लेखा (₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस बी आई, गुण्डूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	0.10 2601.66	0.05 2433.01
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बैंक खाता पर व्याज) ख) प्राप्त अनुदान ग) अन्य प्राप्तियाँ	142.86 0.00 0.00	168.70 0.00 0.00
	कुल प्राप्तियाँ(क + ख)	2744.62	2601.76
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	0.00	0.00
घ.	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क. निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस बी आई, गुण्डूर)	2744.52 0.10	2601.66 0.10
	कुल भुगतान (ग + घ)	2744.62	2601.76

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा (₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एसवीएच, गुण्डूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	3.87 1858.61	10.16 2189.93
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बैंक खाता पर व्याज) ख) अंशदान ग) सा भ नि अग्रिम की वसूली	81.74 443.96 0.00	133.39 538.66 0.00
	कुल प्राप्तियाँ(क + ख)	2388.18	2872.14
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	911.44	1009.66
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक के नगद (बचत खाता) (एस बी आई - गुण्डूर)	1454.90 21.84	1858.61 3.87
	कुल भुगतान (ग + घ)	2388.18	2872.14

3. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता (एस बि आई, गुण्टूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	4.90 16524.73	4.74 14958.32
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा बैंक खाता पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	1152.98 2500.00	1184.58 4000.00
कुल प्राप्तियाँ (क+ख)		20182.61	20147.64
ग.	भुगतान		
	क) एल आई सी द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी ख) बैंक प्रभार	6717.03 0.00	3618.02 0.00
घ.	अन्तशेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई, गुण्टूर)	13460.55 5.03	16524.72 4.90
कुल भुगतान (ग+घ)		20182.61	20147.64

4. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष(₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	7.67 22.39	12.59 22.97
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बैंक खाता पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	1.38 225.55	2.52 153.29
कुल प्राप्तियाँ (क + ख)		256.99	191.37
ग.	भुगतान		
	क) एनएसडिएल, मुंबई को प्रोषित राशि (पेंशन अंशदान) ख) अन्य भुगतान (एनपीएस पदाधिकारियों को रिफङ्ड)	229.89 0.00	161.31 0.00
घ.	अन्त शेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर)	23.53 3.57	22.39 7.67
कुल भुगतान (ग + घ)		256.99	191.37

उद्दिष्ट निधियों का निधि शेष :
5. तम्बाकू गोचर कल्याण निधि योजना लेखा

क्र. सं.	विवरण	आन्ध्र प्रदेश	चार्ट अर्थ	कर्नाटका	पूर्व वर्ष	
क. अधिकारी	क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस वि आई ग्रूप्टर) (एस वी एम, बैंगलूरु)	31.49 3743.08	173.84 2098.24	कर्नाटका कुल	आन्ध्र प्रदेश कर्नाटका कुल	
ख. प्राप्तियाँ :	क) निवेशों से आय (मीआदि जमा & बैंक खाता पर व्याज) ख) गोचर अंशदान ग) तम्बाकू बोर्ड का अंशदान घ) सदस्यता थुल्क नवीकरण ड) स्टीपिंग का गोचर का शेयर च) जुर्माना छ) क्रहां पर व्याज ज) विदिध मुग्नाता झ) गोचर अंशदान (ब्रेक इन रजिस्ट्रेशन) ज) विवाह ऋण ट) शिक्षा ऋण ठ) प्रधान वीमारी ऋण ड) बखार डामेज ऋण	189.65 12.33 21.61 182.62 14.06 0.34 0.00 0.11 0.00 4.06 2.65 4.09 0.90 0.00	303.30 24.52 63.41 389.14 23.70 0.00 0.00 2.02 2.13 4.37 86.48 89.13 12.54 8.45 1.30 28.76	61.49 3528.51 2042.36	166.81 228.30 5570.87 376.21 35.17 59.11 382.30 7.74 0.03 0.00 0.00 0.00 5.90 2.85 4.96 1.10 0.20	228.30 5570.87 376.21 35.17 59.11 382.30 7.74 0.31 0.00 2.02 9.04 126.14 16.29 2.94 34.61
कुल रसीद (क + ख)		4207.00	2787.26	6994.26	4079.77 2771.28 6851.05	
ग. भुगतान	क) गोचरों को मृत्यु यात्रा ख) विवाह ऋण ग) शिक्षा ऋण घ) प्रधान वीमारी ऋण ड) बखार डामेज ऋण अन्यशेष	356.80 1.50 1.50 2.50 0.00 3816.67	498.35 92.50 7.00 1.00 19.10 1991.34	855.15 94.00 8.50 3.50 19.10 5808.01	302.20 1.50 1.00 0.50 0.00 3743.08	360.90 115.00 6.00 1.50 15.80 2098.24 5841.32
ख.	क) निवेश (मीआदि जमा) ख) बैंक में नकद (एसबीआई, ग्रूप्टर) (एसबीएम, बैंगलूरु)	28.03	177.97	206.00	31.49 173.84 205.33	
कुल भुगतान (ग + ख)		4207.00	2787.26	6994.26	4079.77 2771.28 6851.05	

अनुसूची - 24 :

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण प्रथा :

- तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के अनुसार बोर्ड के लेखे निम्नलिखित प्रकार हैं :
1. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के सभी लेखाओं का रखरखाव करेगा।
 2. खास वर्ष में लगे व्यय को अलग शीर्षों एवं उप-शीर्षों के तहत दिखाया जाएगा।
 3. अथशेष, अगर कोई हो तो, अलग रूप से दिखाया जाएगा।
 4. वर्ष के इतिशेष को व्यय पक्ष में प्राप्तियाँ और भुगतान लेखाओं को अलग से दिखाया जाएगा। (प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण को व्यय पक्ष में दिखाया गया।)
 5. रिजर्व एवं निवेशों के विवरणों के साथ संपत्तियों एवं देयताओं के विवरण लाने के लिए उपार्जन पद्धति पर तैयार किये गये वार्षिक प्रोफार्मा लेखा।

2. वस्तुसूची मूल्यांकन :

चालू वर्ष में उपलब्ध लेखन - सामाजी एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन वस्तुओं के वास्तविक खरीद दाम पर मूल्यांकित किया गया है और इसे तुलन-पत्र के अन्तिम स्टॉक लेखों के तहत दिखाया गया। लेखन सामाजी और उपभोक्त वस्तुओं का मूल्य आगामी वर्ष के रूप में दिखाया जाता है।

3. निवेश :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 की नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार -

1. बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उप-खजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक* (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
2. चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा।

परन्तु बोर्ड की पेंशन निधियाँ भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, व्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में अनुज्ञेय विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में आवधिक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : उप नियम (1) तथा इस उप नियम के उद्देश्य में 'राष्ट्रीयकृत बैंक', जो बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण तथा उद्योग स्थानांतरण) नियम, 1970 (1970 के 5) में उल्लिखितानुसार सदृश्य नया बैंक से अभिप्रेत हैं)।

3. बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से संदाय नकद या बोर्ड के चालू खाते के प्रति काटे गये चेक द्वारा किया जाएगा।

4. उत्पाद शुल्क : शून्य

5. स्थिर संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड भूमि & भवनों की उपार्जन तथा अन्य संपत्तियाँ जैसे., फर्निचर & उपस्कार, कार्यालय उपकरण, विजली उपकरण, मोटार वाहन, वेयिंग स्केल, ट्रालियाँ, कंप्यूटर और साईकिल आदि., को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागत के आधार पर लिये जाते हैं। इस अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को उनके डिस्पोजल / बिक्री पर परिसंपत्तियों से हटाया जाता है।

तम्बाकू बोर्ड के सिविल एवं विजली कार्य सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स जैसे., सरकारी अभिकरणों के द्वारा अपनाया जाता है। निर्माण कार्य से संबंधित हमारे प्रस्ताव के लिए अभिकरणों से आकलन प्राप्ति के बाद, नियमों के अनुसार विभिन्न दशाओं में कार्य समापन होने तक निधि (राशि) रीलीज बोर्ड द्वारा किया जाता है। फार्म-65 में समापन कार्यों के लिए या प्रगताधीन कार्यों से संबंधित व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद इसे पूँजी व्यय के रूप में कैपटलैज किया जाता है।

6. मूल्यहास :

मूल्यहास की पद्धति, जो एसएलएम पद्धति के अंतर्गत और कंपेनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों के अनुसार संपत्तियों पर अपनाया जाता है। यह मूल्यहास परिसंपत्ति की कुल मूल्य में, जो संपत्ति पर 95% तक मूल्यहास का प्रावधान के साथ-साथ इस (संपत्ति) की डिस्पोजल/बिक्री की अवशेष (रिसिड्युल) मूल्य के रूप में परिसंपत्ति मूल्य 5% को रखने के द्वारा मूल्यहास को, जिसमें पट्टे पर लिये भूमि और भवन, ट्रालियाँ, अग्नि शामक और कौपियर मशीन आदि., को छोड़कर परिकलित किया जाता है। पट्टे पर भूमि और भवनों को लीज अवधि के आधार पर और ट्रालियों, अग्निशामकों तथा कौपियर मशीन के लिए परिसंपत्ति का उपयोग और अवधि के आधार पर मूल्यहास परिकलित किया जाता है। निर्माण कार्यों के संबंध में, पिछले वर्ष के मूल्यहास को भी परिगणना किया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास दरों को नियत परिसंपत्ति तालिका की अनुसूची - 8 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया।

7. विविध व्यय :

तम्बाकू बोर्ड में कोई आस्थगित राजस्व व्यय नहीं हैं, जो 5 वर्ष की अवधि से अधिक लिपिबद्ध किया जाना है। आवृत्ति प्रकृति वाले (वस्तु) पर उठाये गये व्यय को जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, विद्युत मरम्मत & ट्रबलाईट & लाईट आदि., विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत और स्वीपिंग के अंतर्गत और उपभोज्य वस्तु जैसे., ट्वैन, निशान स्याई, ट्वल और बकेट आदि., व्यय, जो नियत लेखा शीर्षों के अंतर्गत नहीं कवर होता है, को विविध व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।

8. बिक्री के लिए लेखा :

क) बिक्रियाँ :

तम्बाकू बोर्ड में कोई सीधा बिक्री प्रचालन का विधान नहीं हैं। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार तम्बाकू ग्रोयरों द्वारा लाया गया और व्यापारियों द्वारा क्रयित एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्म में तम्बाकू बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है।

ख) सेवाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाने की शक्तियाँ निम्नानुसार हैं :

- क) धारा 14 - क (1) के अंतर्गत -** इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित किसी नीलाम मंच पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री किया जाता है, यह बोर्ड के लिए सक्षम होगा अथवा इस बिक्री से संबंधित बोर्ड के द्वारा की गयी सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के लिए बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत, ऐसी बिक्री संबंधित बोर्ड द्वारा की सेवाओं के लिए ऐसी बिक्री के लिए दो प्रतिशत से ज्यादा ऐसी दर नहीं, ऐसे केन्द्र सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूना द्वारा, विनिर्धारित;
- ख) धारा 14 (2) के अंतर्गत -** उप-धारा (1) के अधीन लगाये शुल्क को बोर्ड या ऐसे अधिकारी वर्जीनिया तम्बाकू के बेचनेवाले के समान और यथानिर्धारित ऐसे मामले में ऐसे तम्बाकू के क्रयकर्ता द्वारा संग्रह किया जाएगा।

14-क के अंतर्गत क्रेता पर आरोप्य शुल्क :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 42 के अनुसार, अधिनियम की धारा 14क के अधीन विक्रेता पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म के पास विक्रित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

विक्रेता से शुल्क वसूली विधान :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 43 के अनुसार धारा 14 - क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, विक्रेता, जिसके द्वारा सुपुर्दगी किये गये तम्बाकू की बिक्री प्रोसीड़ों से इसे कठोरी करने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

धारा 14-क के अधीन खरीददार पर शुल्क आरोप्य :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 44 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, खरीददार पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म पर क्रयित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

खरीददार से शुल्क वसूली विधान :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 45 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, उनके द्वारा क्रयित तम्बाकू के मूल्य में इसे जोड़ने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

उक्त को ध्यान रखते हुए, बोर्ड ने ग्रोयर द्वारा विक्रित और क्रेता द्वारा खरीद किये तम्बाकू के मूल्य पर ग्रोयर और क्रेता से प्रत्येक से @ 1% से समान रूप से सेवा प्रभार वसूल करता है। यह सेवा प्रभार आय और व्यय लेखा की अनुसूची-11 के अंतर्गत लिये गये कार्रवाई के अनुसार वसूल किया जाता है।

आगे, बोर्ड ने तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम/विनिमय के प्रावधानों के अनुसार ग्रोयर, बखार प्रचालक, नर्सरीमेन के रूप में रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्रदान करने और व्यापारियों से तम्बाकू के निर्यातक, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू डीलर, तम्बाकू पैकर, तम्बाकू प्रोसेसर, तम्बाकू निर्माणकर्ता और तम्बाकू वाणिज्यक श्रेणीकरण कर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन को प्रदान करने और नीलामियों में भाग लेने क्रेता प्राधिकरण शुल्क वसूल करता है। इसे आय और व्यय लेखा की अनुसूची 14 के अंतर्गत शुल्क/अंशदान के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है।

सावधिक जमाओं पर, जो तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 23 के अनुसार निवेश किया जाता है, से आर्जित व्याज को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 17 के अंतर्गत आर्जित व्याज के आय के रूप में दिखाया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रोयरों से अधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू बिक्री के लिए बिक्री प्रोसीड़ों की अंशदानों को अन्य आय के रूप में लिया जाता है। विविध ररीदें, डेमरेज प्रभार आदि., को भी बोर्ड के अन्य आय के रूप में लिया जाता है। यह विवरणों को आय और व्यय खाते की अनुसूची 18 के अंतर्गत अन्य आय के रूप में लिये गते हैं।

2021 नीलामियों के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो अंशदान और बिक्री प्रोसीड़ों से 5% (जिसमें 1% साधारण सेवा प्रभार शामिल है) के हिसाब से 10% प्राधिकृत परिमाण सीमा तक अनुमति दी गयी थी। पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत 10% परिमाण की सीमा से परे उत्पादित तम्बाकू और अपंजीकृत द्वारा उत्पादित तम्बाकू को ₹ 2/- प्रति किलो और 10% (जिसमें 1% सामान्य सेवा प्रभार शामिल है) के हिसाब से बिक्री प्रोसीड़ों में अंशदान लगाने के द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दिया गया था।

2021 नीलामियों के दौरान, कर्नाटका में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए ₹ 1/- प्रति किलो अंशदान और बिक्री प्रोसीड़ों से 5% (जिसमें 1% साधारण सेवा प्रभार शामिल है) के हिसाब से 10% प्राधिकृत परिमाण सीमा तक अनुमति दी गयी थी। पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत 10% परिमाण की सीमा से परे उत्पादित तम्बाकू और अपंजीकृत द्वारा उत्पादित तम्बाकू को ₹ 1/- प्रति किलो और 5% (जिसमें 1% सामान्य सेवा प्रभार शामिल है) के हिसाब से बिक्री प्रोसीड़ों में अंशदान लगाने के द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दिया गया था।

तम्बाकू बोर्ड का प्रधान व्यय, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की 8 के अंतर्गत स्थापना और प्रशासनिक प्रकृति वाले प्रकार्यों को मीट करने के लिए है, जिसमें आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों पर नीलामियों के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की बिक्री भी शामिल हैं। यह व्यय को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 20 और 21 के अंतर्गत स्थापना और अन्य प्रशासनिक व्ययों के रूप में लिये जाते हैं।

पूँजी व्यय को बोर्ड की मौजूदा परिसरों में नीलामियों को निर्विघ्न आयोजित करने इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता है। विस्तार एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत तम्बाकू की गुणता & उपज की वृद्धि, ईधन, क्यूरिंग लागत & समय का बचत और तम्बाकू की खेती में विभिन्न तकनीकी उपकरणों को अपनाना आदि., विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों के लिए विस्तार & विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत किये गये व्यय को, जो यह व्यय मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में किया गया हो, को भी अलग से दिखाये गये हैं।

9. सरकारी अनुदान / सब्सिडी :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार प्राप्त करेगा - केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी, जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(4) के अनुसार बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार रूपये से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगी।

भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के ब्राण्ड प्रचार के अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रभार और विदेशी और भारत में मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए यात्रा व आवास व्यय, निर्यातों को बढ़ावा देने विदेशों को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियों को भेजने से संबंधित आवेष्टित विदेशी मुद्रा लेन-देन पर उठाये गये व्यय को भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से खर्च करेगी।

11. लीज :

बोर्ड ने, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र स्तर क्रियाकलायों और एफ सी वी तम्बाकू की बिक्रियों को आयोजित करने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में जीएफआर के साधारण प्रावधानों को अनुसरण करते हुए परिसर / कार्यालय भवनों को लीज पर लेती है।

12. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा जैसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(3) के अनुसार कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(4) के अनुसार ऐसे नियन्त्रण निवंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत तम्बाकू नियात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्तें भी उस दशा में हैं, जिसमें कि उक्त परिषद का परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य आधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।

तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तें :

तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 के विनियम 13 (1) के अनुसार बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की बाबत वेतन और भत्ता, छुट्टी, पेंशन और सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, भविष्य निधि, अनुशासिक कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा की अन्य शर्तें, जिसके अंतर्गत अधिवार्षिता की आयु और अन्य सुविधायें जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय करने का अग्रिम, मकान का संन्निर्माण और अन्य बातें हैं, यदि इस विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगा, जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य कर रहे तत्समान श्रेणी या प्रास्तिथति के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।

अनुसूची - 25

दि.31, मार्च, 2022 के समाप्त वर्ष के लिए आकर्षित देयताएँ और लेखाओं पर टिप्पणी :

1. आकर्षित देयताएँ :

1.1 संस्था के खिलाफ ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं किये गये दावाएँ शून्य हैं। (पूर्व वर्ष शून्य)

1.2 के संबंध में :

- संस्था के पक्ष में / दी गई बैंक गारंटी - शून्य (पूर्व वर्ष ₹ 5,27,137.00)
- संस्था के पक्ष में बैंक द्वारा प्रारंभ किये साथ पत्र - ₹ शून्य (पूर्व वर्ष ₹ शून्य)
- बैंकों के साथ रियायती बिल ₹ शून्य (पूर्व वर्ष ₹ शून्य)

1.3 विवादारपद माँगों के संबंध में :

आयकर ₹ शून्य (पूर्व वर्ष ₹ शून्य)

बिक्री कर ₹ शून्य (पूर्व वर्ष ₹ शून्य)

निगम कर ₹ शून्य (पूर्व वर्ष ₹ शून्य)

1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पार्टियों के दावाओं के संबंध में, लेकिन वर्तमान और पूर्व वर्ष के लिए निम्नानुसार संस्था द्वारा विरोध किया गया के संबंध में :

क) याचिका-दाता श्री वलवला वेंकट श्रीधर, राजमहेन्द्री द्वारा तम्बाकू बोर्ड के खिलाफ आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में अपील, जो तम्बाकू बोर्ड द्वारा गोपालपुरम नीलाम प्लैटफार्म को पट्टे पर लिया गया था, के परिसर को निष्कासन करने के लिए एक दावा अपील किया गया था और ₹ 1,10,66,618.00 के मूल्य के लिए डामेज के लिए अपील किया था। यह मामला सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।

ख) श्री के.टि. श्रीमन्नारायण, मंडुवारीपालेम द्वारा बोर्ड के खिलाफ माननीय जिला जज न्यायालय, औंगोल में एक अपील फैल की गई थी। यह याचिका-दाता बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये परिसर को करारनामा में रहे समय के विरुद्ध जल्दी खाली करने के लिए किराये के लिए दावा किया है। दि. 31/12/2015 से 18% व्याज को और अन्य लीगल प्रभार को मिलाकर दावा किया राशि ₹ 13,37,776.00 रहा है।

ग) मेसर्स स्टेसालिट सिस्टम्स लिमिटेड ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2016 की धारा 18(2) के अनुसार निपाटारा प्रक्रिया को समाप्त करने और एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार मध्यस्थत कार्यवाही की सूचना और ₹ 1,38,36,400.50 राशि को दावा करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्य सूक्ष्म & लघु उद्यम सुविधा परिषद् से संपर्क किया था। कोई सर्वसम्मति की स्थिति नहीं बनी थी, इसलिए निपाटारा प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और 2018 के मामला सं. 128 द्वारा डब्ल्यूबी एसएमसीएसई में मध्यस्थता कार्यवाही को शुरू कर दिया गया था और यह मामला लंबित है।

अतिरिक्त महानिदेशक, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), चेन्नई जोनल यूनिट, चेन्नई ने ₹ 183,83,73,622/- मूल्य के अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्माना के कर योग्य मूल्य पर ₹ 24,86,69,972/- की सेवा कर को भुगतान करने के लिए तम्बाकू बोर्ड को अपने पत्र सं. फा.सं. आईएनवी/डीजीजीएसटीआई/सीजड्यू/एसटी/31/218, दि. 19/04/2019 द्वारा शोकॉज नोटीस सं.20/2019 को जारी किया है और

सतर्कता मामलों पर जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹ 129,98,928/- सेवा कर राशि को वित्त अधिनियम, 1994 के अनुसार 2013-14 से 2017-18 अवधि के लिए ₹ 9,98,83,002/- राशि को विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्शाये गये ।

इस संबंध में, बोर्ड ने वित्त अधिनियम/सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों/नियमों के अनुसार ग्रोयरों से वसूल किये अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्मानाओं पर सेवा कर की अनुपयुक्तता के लिए आयुक्त (अपील), वस्तु और सेवा कर, गुण्टूर के समक्ष एक अपील फैल किया था । इस मामला को आयुक्त केन्द्रीय कर, गुण्टूर द्वारा समाप्त कर दिया गया था और शो-कॉर्ज नोटीस में लगाये गये कर मॉग और ₹ 26.17 करोड़ की जुर्माना राशि को पुष्टि करते हुए आर्ड-इन-ओरिजिनल सं.गुण्टूर-एक्सेम-000-सीयूएम-026/19-20-से. कर, दि.13/12/2019 द्वारा जारी किया था ।

आगे, बोर्ड ने आर्ड-इन-ओरिजिनल के खिलाफ, सीईएमटीएठी, हैदराबाद द्वारा अपील को खीकार करने माननीय केन्द्रीय कर अपीलेट ट्रिब्यूनल, प्रादेशिक कार्यालय, हैदराबाद के सामने ओआईओ में उल्लिखितानुसार ₹ 1,96,25,168/- की राशि को पूर्व जमा के साथ एक अपील फैल की थी । यह मामला आज तक लंबित रही है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसर पंजीकृत/अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त/अप्राधिकृत तम्बाकू के लिए ग्रोयरों द्वारा स्वेच्छा से की गई बिक्री प्रोसीडों के अंशदानों पर तम्बाकू बोर्ड की कोई दायित्व नहीं होने के कारण 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के लिए खाता बहियों में कोई आकरिमक देयता नहीं है । अंशदान की कोई रसीद को सेवा कर नहीं लगेगा और ग्रोयरों से सेवा कर वसूल करने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है ।

2. पूँजी वचन बद्धता : शून्य

3. लीज अनुबंध-पत्र :

आन्ध्र प्रदेश में ऑगोल-II (नी प्लै सं.23) & कोंडेपी (नी प्लै सं.25), राजमहेन्द्रवरम- प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय और कर्नाटका में बेंगलूरु में नीलाम निदेशालय का कार्यालय & पेरियपट्टना प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय तम्बाकू बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये गये ।

1. वाणिज्यिक प्रचालनों खाता के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध को सहायता अनुदान)

4. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम :

बोर्ड द्वारा प्रदत्त चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम विवरण तुलन पत्र की अनुसूची सं. 11 के अंतर्गत दिये गये थे ।

5. कराधान :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29 क)(घ) के अनुसार तम्बाकू बोर्ड आयकर भुगतान में छूट-प्राप्त है ।

लेखाओं पर टिप्पणी

क) गठन :

तम्बाकू बोर्ड का गठन, आन्ध्र प्रदेश, गुण्दूर में मुख्यालय के साथ, सन् 1975 में संसदीय अधिनियम के तहत किया गया ।

ख) उद्देश्य :

यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि सार्वजनिक हित के तहत, तम्बाकू उद्योग को, (जो उचित समझता है) संघ अपने नियंत्रण में लेता है ।

वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा, एमएसपी परिचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ों की मार्जिन राशि से, व्यापार रक्षण का सृजन किया गया। व्यापार रक्षण का लक्ष्य-सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले व्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नीलाम मंचों पर बचे हुए तम्बाकू का मॉप - अप करना तथा बाजार को रिथर रखना-एतद्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है।

ग) बोर्ड का गठन :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) के अंतर्गत बोर्ड का गठन, निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यथा :

- क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो का चुनाव लोक सभा द्वारा और एक सदस्य का चुनाव राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।
- ग) आठ सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व निम्नानुसार की जाएगी :
 - i) कृषि से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - ii) वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - iii) वित्त से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - iv) औद्योगिक विकास से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
 - v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
 - vi) आन्ध्र प्रदेश सरकार
 - vii) कर्नाटका सरकार
 - viii) गुजरात सरकार;
- घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका राज्यों से भिन्न तम्बाकू उगानेवाले राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से नियुक्त किये जाने वाले दो सदस्य;
- ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले +दस से अनधिक सदस्य, जो तम्बाकू उगाने वालों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यौहारियों या निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत पैकर भी है), तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं में से तथा ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राज्य में तम्बाकू विपणन या कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं ।
- + परंतु प्रस्तुत अनुच्छेद के अधीन तम्बाकू के उत्पादकों के बीच में से नियुक्त किये जानेवाले सदस्यों की संख्या छः से अधिक नहीं होगी ।

- च) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;
- ज) कार्यपालक निदेशक, पदेन;

घ) प्रकार्य :

तम्बाकू बोर्ड, अपने कार्यों का निर्वाह तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसार करती है।

ङ) वित्त, लेखे एवं लेखा परीक्षा :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 16 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (1) के अनुसार, तम्बाकू निधि कहलाई जाने वाली एक निधि गठित की जाएगी तथा उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएगी :-

- क) इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की गई फीसें;
- ख) इस अधिनियम के प्रोयजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कोई धनराशि या दिए गए कोई उधार;
- ग) कोई अनुदान या उधार, जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए;
- घ) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा वसूल की गई राशियाँ, यदि कोई हों।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (2) के अनुसार, निधि का उपयोग निम्नलिखित केलिए उपयोग किया जायेगा :-

- क) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों में होने वाले खर्च की पूर्ति;
- ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों की पूर्ति;
- ग) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति;
- घ) किन्हीं उधारों का प्रतिसंदाय।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 19 के अनुसार, बोर्ड अभिलेखों को रखरखाव करेगा तथा वार्षिक विवरणियों को तैयार करेगा -

(1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के तथा बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षक के सम्बन्ध में ये ही अधिकार और निर्णयाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होने हैं और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखा सम्बद्ध वाउचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे तदविषयक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगी ।

च) वित्तीय लेन-देन आम तौर पर :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 27 के अंतर्गत - इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त, केन्द्रीय खजाना नियमों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो बोर्ड द्वारा उनमें, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये जाएं, बोर्ड के सभी वित्तीय संबंधहारों को लागू होंगे ।

छ) देय एवं परिसंपत्तियों पर प्रधान विषय :

1. बोर्ड ने लेखापरीक्षा द्वारा सूचितानुसार अनुसूचियों के अन्तर्गत तुलन पत्र, आय व व्यय लेखा और प्राप्तियाँ और भुगतान विवरण में लेखा ऑफडों को लाखों रूपये तक पूर्ण करने (रॉअर्डेड आफ) को उपनाया था ।
 2. लेखाओं के यूनिफार्म फार्मेट के अनुसार ज्ञात देनदारों को चालू संपत्तियों के अंतर्गत और सभी प्रोविजनल परिसंपत्तियों को प्रोविजनल के अनुसार रखा गया । दि. 31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल देय राशि ₹1,196.05 लाख है ।
 3. पूर्णधृति तथा पट्टेधृति भूमियों के विवरण को, बोर्ड के तुलन पत्र का अनुलग्नक-I से III (अनुसूची-8) के अंदर स्थिर संपत्ति विवरणों में सूचित किया गया ।
 4. दि. 31/03/2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 10.13 लाख पर मूल्यांकित लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वरतुओं को उन पदार्थों के वास्तविक खरीद दाम पर विचार करते हुए, अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया ।
 5. 2021-22 को समाप्त वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटका में राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ तम्बाकू निधियों के कुल निवेश ₹59,531.40 लाख हैं । लेखा परीक्षकों के सुझावों के अनुसार, यह सावधिक जमाओं की राशि तुलन पत्र के चालू संपत्ति, ऋण & अग्रिम को अनुसूचित बैंकों के जमा लेखाओं (तुलन पत्र के एफडीआर) के साथ अनुसूची-11 में प्रदर्शित करना होगा । सभी सावधिक जमाओं को प्रत्यक्ष रूप से सात्यापित किया गया ।
- बोर्ड के साथ उपलब्ध सावधिक जमाओं के विवरण, विवरणिका के रूप में तैयार किया गया तथा विवरण को अनुलग्नक के क्रम में पाया गया ।

6. स्थिर संपत्तियों पर मूल्यहास को प्रो-रेटा मासिक आधार पर परिकलन किया गया। बोर्ड द्वारा अपनाये संपत्तियों पर मूल्यहास के दर निम्नलिखित प्रकार है :
1. भूमि-पट्टीधृति : 360 महीनों की अवधि
 2. भवन : पट्टीधृति भूमि पर : 276 महीनों की अवधि
 3. पूर्णधृति भवन : 1.58% (आरसीसी छत)& 3.17% गैर - आरसीसी
 4. फर्नीचर & फिटिंग्स और विद्युत उपकरण : 9.50%
साइकिल, ग्रंथालय पुस्तकें, विविध उपकरण, टार्पलीन, : 9.50%
ट्राली, वेयिंग स्केल & क्यूबिकल्स : 9.50%
 5. कार्यलय उपकरण, प्रदर्शनी उपकरण : 19%,
वैज्ञानिक उपकरण, कॉपियर मशीन : 19%
 6. अग्नि शामकों : 19%
 7. कंप्यूटर : 31.67 %

जहाँ तक ट्रालियों का सम्बन्ध है, कम्पनी के आधिनियम में कोई निश्चित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। ये ट्रालियाँ मुटा लेबर शामिकों द्वारा अभद्रता से उपयोग किया जाता है। इन ट्रालियों की टूट-फूट बहुत अधिक होते हैं और ये काम करने के लिए अनुपयुक्त बन जायेगी। अतः ट्रालियों के मूल्यहास - दर @ 9.50% पर निर्धारित किया गया है।

अग्निशामकों पर मूल्यहास का दर 19% निर्धारित किया गया, जो अग्निशामकों के संबंध में, सिलिन्डरों में उपयोग किये जाने वाला पदार्थ, 5 वर्षों के बाद अनुपयुक्त होंगे, जो सही ढंग से न रखे। आग दुर्घटना के समय उपयोग के लिए एक बार तोड़े जाने पर, उसको प्राधिकृत अभिकरण के द्वारा सामग्री की पुनः भर्ती की जाने की ज़रूरत है, जोकि लागत - महँगा है।

उसी प्रकार, कॉपियर मशीन के लिए भी प्रति वर्ष 19% का मूल्यहास दर अपनाया गया है, क्योंकि कॉपियर मशीन का जीवनकाल 5,00,000 प्रतियों का है। 5,00,000 प्रतियों के जेराक्स की कालावधि के पश्चात मशीन की लागत बहुत खर्चीला है, जिसमें रखरखाव पर भारी खर्च लगता है।

संपत्तियों पर पिछले वर्ष की मूल्यहास के साथ दि. 31/10/2022 तक तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों पर ₹ 479.90 लाख की कुल रकम का मूल्यहास किया गया है।

7. दि.31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष दौरान परिसंपत्तियों को, जो कि सपीडब्ल्यूडी और राईट्स अभिकरणों को रीलीज अग्रिमों केलिए परिसंपत्तियों के रूप में कैपिटलैज/समायोजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 से दौरान, सिविल, विधुत और रखरखाव प्रकृति के अंतर्गत कवर किये गये पूर्ण कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी/राईट्स को अग्रिम के लिए व्यय के रूप में ₹ 863.63 लाख राशि को समयोजित किया गया और ₹ 346.80 लाख राशि को प्रगताधीन पूँजीगत कार्यों के रूप में समयोजित किया गया था।

8. दि.31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर व्यय के लेखों पर ₹ 79.94 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, बिजली मरम्मत & प्रतिस्थापन, स्वीपिंग व्यय और सर्कंता प्रचालनों पर व्यय आदि., शामिल हैं ।

दि.31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर प्राप्तियों के लेखा की लेखों पर ₹ 346.33 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें सर्कंता प्रचालनों पर जुर्माना, जीएसपी प्रमाणपत्र की बिक्री, न्यूस पत्रों को अंशदान, समाचार पत्रों की बिक्री, ग्रोयरों से बेल पट्टाओं के मूल्य अंतर, इनपुट ऋण खाता के अंतर्गत सरप्लस व्याज, निविदा फार्म की बिक्री आदि शामिल हैं ।

9. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक क्रेताओं और ग्रोयरों से @1% एफसीवी तम्बाकू पर सेवा प्रभार लेखा के अंतर्गत ₹ 5,648.24 लाख राशि प्राप्त हुई ।

10. 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने सरकार से कोई अनुदान सहायता को प्राप्त नहीं किया।

11. दि. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मेले तथा प्रदर्शनियों और विदेशी व्यापारी प्रतिनिधि मंडली के सम्बंध में कोई राशि खर्च नहीं की गयी है ।

12. वर्ष 2021-22 के दौरान, सेवा निवृत्ति सुविधाएँ जैसे., उपदान (ग्राच्युटी), अवकाश वेतन और पदाधिकारियों को, जो सेवा निवृत्ति / निधन/ वीआर प्राप्त किये हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति सुविधाओं को भुगतान करने केलिए देयताएँ भी सम्मिलित हैं, के पेंशन नकदीकरण आदि., लेखाओं के अंतर्गत ₹1,613.94 लाख की राशि रही है ।

13. दि.31/03/2022 तक तुलन पत्र के अनुसूची-11 के अनुसार चालू संपत्तियों, ऋण और अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत ₹ 66,670.38 लाख की राशि उपलब्ध रही है ।

14. ₹ 16.02 लाख की रकम 1977 तूफान ऋण लेखा से संबंधित प्रधान लेनदारों (किसानों) से बकाया है। सामान्य मुकदमों एवं ईपी, प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र में संबंधित मनानीय व्यायालयों के सामने दायर किये गये और ये मामले व्यायाधीन (सब-जुडिस) रहे हैं । बोर्ड ने, व्याज और कानूनी प्रभारों के अधित्याग में 50% जैसी ऋण की रकमों को, एक मुक्त निपटान के तहत देय बकायों को वसूल करने के लिए तीव्र प्रयत्न किये और देय बकाये की वसूली हेतु कमजोरी रही ।

अधिकाधिक लेनदार निधन हो गये और कुछ लोग बहुत बूढ़े याने., 85 से 90 उम्र के हो गये हैं और तम्बाकू पैदा नहीं कर रहे और न पता है । बोर्ड के द्वारा किये गये सभी प्रयासों के बावजूद, चूँकि कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए कोई बन्धक रखी गई सम्पत्ति नहीं रही । बाकी रकम की वसूली की संभावना कम है । जहाँ पर बोर्ड ने व्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, वहाँ कानूनी खर्च व्यक्तिगत मामलों में बकाये रकम से बढ़कर रहा था ।

हैदराबाद में दि.28/07/2007 को संपन्न बोर्ड की 122वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और 1977 तूफान ऋणों के संबंध में हानियों को बट्टे खाते डालने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया । क्योंकि

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(2) के अनुसार हानियों को बहे-खाते डालने के लिए सरकार सक्षम है। इस संबंध में, बोर्ड ने मंत्रालय को पत्र लिखा और अनुरक्षण भी लिखा था। इस संबंध में सरकार की खीकृती प्रतिक्षित है।

15. निधि लेखाओं, जो वाणिज्यक प्रचालनों (व्यापार संबंध के लिए अनुदान सहायता), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि (टाइर-1) तथा तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि के उद्देश्य केलिए निम्नलिखित लेखाओं को, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये के अनुसार नियत/धर्मस्व निधियों की अनुसूची-3 के अंतर्गत दर्शाया गया है। बैंक शेष, निवेशों और निवेशों पर आय के अथशेष, सभी तम्बाकू बोर्ड के सभी उर्दिष्ट निधियों के लिए निवेश, बैंक शेष और निवेशों पर आय के साथ अन्य प्राप्तियों को 2021-22 के तुलन पत्र और प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण के संबंधित अनुसूचियों में प्रोजेक्ट किया गया था।
16. वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार संबंध के लिए अनुदान) लेखा के अंगर्तत मार्जिन राशि के अंतर्गत निधि लेखा बहियों के अनुसार ₹ 2,820.88 लाख राशि उपलब्ध रहा था। व्यापार संबंध, जो एमएसपी प्रचालनों के लिए ₹ 125.00 लाख मार्जिन राशि के साथ 1984 में भारत सरकार द्वारा सूजन किया गया। 1987 & 2000 के दौरान एम एस पी प्रचालनों केलिए ₹ 91.40 लाख लाभ प्राप्त किया और दि. 31/03/2022 तक नियत जमाओं पर ब्याज के रूप में ₹ 2,729.48 लाख प्राप्त हुए।
17. तम्बाकू बोर्ड सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत लेखा बहियों के अनुसार ₹ 1,519.63 लाख की राशि उपलब्ध रही। सा.भ.नि. ब्राड शीट के अनुसार (जिसमें अंशदानों पर ब्याज सम्मिलित) पदाधिकारियों को देय रकम ₹ 1,495.77 लाख राशि रहा था। वित्तीय वर्ष के अंत तक सा.भ.नि. खाता में ₹ 23.86 अधिशेष राशि उपलब्ध रही है। सावधिक जमाओं पर उपार्जित ब्याज की अधिशेष राशि, जो पदाधिकारियों के अंशदान के रूप में देय ब्याज से अधिक रही है।
18. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा के अंतर्गत, लेखा बहियों में ₹ 13,465.58 लाख उपलब्ध रही है। भा.जी.नि., के साथ ₹ 13,460.55 लाख राशि और रोकड बही के अनुसार बैंक में नकद के रूप में ₹ 5.03 लाख की राशि उपलब्ध रही है। तम्बाकू बोर्ड ने मौजूदा कर्मचारियों की डेटा जीबीनि को प्रस्तुत किया और भा.जी.नि ने दि.31/03/2022 तक ₹ 15,300.00 लाख राशि को एकचूयेस्ट्रिप्ल मूल्यांकन द्वारा पेंशन देयता को परिकलित किया है। पेंशन देयता के लिए भा.जी.नि के पास जमा राशि को ध्यान में रखते हुए भारतीय जीवित बीमा निगम को ₹ 1,840.00 लाख की राशि शेष रहा है, इसको दि.31/03/2022 तक लेखा बहियों में देयता के रूप में उपनाया गया है।
19. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना खाता के अंतर्गत खाता बहियों के अनुसार ₹27.16 लाख की राशि निधि में उपलब्ध रहा था। इस एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले पदाधिकारियों को देय कर्मचारी और नियोक्ता (तम्बाकू बोर्ड) अंशदान को मौजूदा नियमों के अनुसार में एनएसडीएल, मुंबई को रेमिट किया जाता है। उक्त राशि में दि. 31/03/2022 तक तम्बाकू बोर्ड में नये भर्ती/निकासी पदाधिकारियों द्वारा पी आर ए एन

(प्रान) को माँगते हुए एनएसडीएल को एनपीएस पदाधिकारियों को वापसी राशियों/शेष भुगतान के साथ निधि लेखा के अंतर्गत अधिशेष (सरप्लस) की राशि शामिल है।

20. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा के अंतर्गत रहे निधि में बही खाताओं के अनुसार ₹ 6,416.71 लाख की राशि (आन्ध्र प्रदेश ₹ 3,968.83 लाख + कर्नाटक ₹ 2,447.88 लाख) उपलब्ध रहा था।

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 06/05/2007 -ईपी (आगि. VI) दि. 28/07/2008 द्वारा 2009-10 के दौरान अप्रधिकृत तम्बाकू और आधिक्य तम्बाकू की बिक्री पर वसूल किये जाने वाले जुर्मानाओं के लिए ग्रोयरों के बीच 1:2 अनुपात में अंशदान के साथ तम्बाकू ग्रोयर कल्याण योजना को सृजन करने के लिए अनुमति प्रदान किया।

21. उपदान (ग्राट्युटी) और अवकाश नकद की निधि खाता सृजन करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया था और सरकार से स्वीकृत प्राप्त होनी है। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उपदान (ग्राट्युटी), अवकाश वेतन और अर्धवेतन राशि का सही परिकलन वर्कआउट किया जायेगा तथा निधि खाता को वास्तविक भुगतान करने के बाद वास्तविक देयता को प्रावधान किया जायेगा। इस संबंध में 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 वर्षों के लिए अवकाश वेतन, ग्राट्युटी और अर्ध वेतन भुगतान के संबंध में ₹ 30.00 करोड़ की कुल देनदारी प्रदान की गई है।

यह लेखा निधि सृजन करने की मामला को बोर्ड के सामने अनुमोदन के लिए रखा गया। बोर्ड इस प्रस्ताव को विस्तृत रूप से अध्ययन करने और निधि लेखा सृजन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। निधि लेखा सृजन प्रस्ताव पर अध्ययन प्रगताधीन है।

आगे, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तम्बाकू बोर्ड ने उपदान और अवकाश नकदीकरण लेखाओं के कारण बीमांकित मूल्यांकन द्वारा देयता की गणना के लिए मौजूदा कर्मचारियों की डेटा प्रस्तुत किया है। जी.बी.नि (एलआईसी) ने मृत्यु-दर, निकासी दर, छूट दर और वेतन अंशदान आदि., को ध्यान में रखते हुए दि.31/03/2022 तक ₹ 4,150.69 लाख (उपदान की राशि ₹ 2,506.86 लाख और अवकाश नकदीकरण की राशि ₹ 1,643.83 लाख) राशि की देयता के साथ प्रस्ताव दिया है। इस निधि लेखा के अंतर्गत छूट और जमा राशि पर व्याज आर्जित करना आदि., के लिए जी.बी.नि के साथ कोई राशि निवेश नहीं किया गया है। भारतीय जीवित बीमा निगम द्वारा पूर्व में देयता राखी की कम गणना के कारण, उपादान और अवकाश नकदीकरण की वास्तविक देनदारी को ध्यान में रखा गया है।

दि. 30/03/2022 तक मौजूदा कर्मचारियों के लिए उपदान और अवकाश नकदीकरण की वास्तविक देयता को परिकलित किया गया और इसे दि.31/03/2022 तक सी.सी.ए.(पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार ₹ 4,172.44 लाख रशि (उपदान ₹ 2,334.31 लाख + अवकाश नकदीकरण = ₹ 1,838.13 लाख) के लिए बाहियों में इसे परिकलन किया था। भारतीय जीवित बीमा निगम के साथ निधि लेखाओं को रखरखाव करने के लिए आवश्यक कदम अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निधि लेखाओं की सामान्य प्रक्रिया अनुसार करने के द्वारा किया जायेगा।

22. नीलामकार की सेवाएँ (क्रेता प्राधिकरण शुल्क, डेमरेज प्रभार & बेल पट्टा), कानूनी परामर्श सेवाएँ (लीगल प्रभार) और किराया-कॉब-प्रचालक सेवा (वाहनों को भाड़ा) की सेवाओं पर सेवा कर से संबंधित सेवा कर विभाग को देय ₹ 178.44 लाख की राशि को प्रोविजनल देयताओं के रूप में लिया गया, जो कि यह मामला सीईएसटीएटी, हैदराबाद के अधीन हैं। कंपेनियों से देय राशि ₹ 4.96 लाख को लेखा बहियों में चालू संपत्तियों के रूप में दिया गया।
23. दि. 31/03/2022 तक सेवा निवृत्त लाभों, संपत्ति कर, तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा) को और अन्य लेखा शीर्षों के साथ देय राशि और सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स आदि., के कार्यकारी अभिकरणों को देय राशि को लेखा बहियों में बकाया देयताओं के रूप में प्रावधान की गई है।
24. तम्बाकू बोर्ड ने, मेसर्स. उमामहेश्वर राव & कंपेनी, गुण्ठूर के चार्टर लेखाकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29) (क) (घ) के अंतर्गत आयकर को भुगतान करने से छूट होने पर भी, बोर्ड के लेखाओं पर कर-लेखा परीक्षण अपनाने के बाद कर रिटर्नों को, जो आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के नूतन परिवर्तनों के अनुसार 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए और 2021-22 निर्धारण वर्ष के लिए आय कर रिटर्न नस्तित की है।
25. तम्बाकू बोर्ड ने, जीएसटी मानदण्डों के अनुसार लेखा-परीक्षा पूरा होने के बाद जीएसटी विभाग द्वारा समय-समय पर कर देयताओं को चुकाने के बाद अधिकृत लेखाकार मेसर्स. वंगला & असोसियेट्स, गुण्ठूर द्वारा 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-7 की मासिक रिटर्न और जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9 सी की वार्षिक रिटर्न नस्तित किया है।
26. तम्बाकू बोर्ड, माँगे गये पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को रासायनिक उर्वरकों को प्रोक्यूरिंग और वितरित कर रही है। 2008-09 तक, ग्रोयरों को उर्वरकों को वितरण करने के लिए स्पाईसेस ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसीएल) की सेवाओं को अपना ली थी।
- 2009-10 के दौरान, मेसर्स. एसटीसीएल की सेवाएँ अनुपलब्धता के कारण बोर्ड ने ग्रोयरों को उर्वरकों को वितरण करने का कार्य अपना लिया था। इन प्रचालनों के लिए उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर ने ग्रोयरों को, जो कि यह केवीएटी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीलर की अनुज्ञाप्ति प्राप्त नहीं करने के कारण यह विलम्बित भुगतान रहा था, के लिए उर्वरकों को वितरण करने के लिए कर राशि ₹ 2,34,27,445/- और इस पर कर जुर्माना ₹70,28,233/- को अदा करने के लिए कर निर्धारण आदेश दि. 27/05/2011 द्वारा बोर्ड को (सूचना) जारी किया। इस संबंध में, बोर्ड ने कर्नाटका राज्य सरकार से और माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बेंगलूरु को अपील करने के द्वारा अनेक प्रयास किये थे। बोर्ड द्वारा दायर किया रिट पीटिशन माननीय अदालत द्वारा बरखास्त कर दिया गया था।
- इस संबंध में, बोर्ड ने, दि. 07/12/2013 को बिक्री कर अपीलेट न्यायालय, कर्नाटका, बेंगलूरु को अपील की। यह ट्रिव्यूनल (न्यायालय) दि. 31/12/2013 को डीसीसीटी (वीएटी), लेखा परीक्षा-I, मैसूर के साथ 30% कर राशि ₹ 91,36,703/- को जमा करने पर मामला को स्वीकार किया। आगे, उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर,

वीएटी लेखा परीक्षा-I, मैसूर के नाम पर ₹2,13,18,975/- की राशि को बी.जी. के रूप में रखा गया। ट्रिव्यूनल ने आदेश दि. 31/08/2016 द्वारा बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था। अतः पूरा कर + जुर्माना राशि को बैंक गारंटी रद्द करने के द्वारा उप आयुक्त, वाणिज्यक कर, मैसूर को दि. 25/11/2016 को चुकाई गई।

डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा-I), मैसूर द्वारा ₹3,04,55,678/- की कर राशि की प्राप्त होने के बाद, फिर से ₹3,26,98,056/- राशि के लिए, जो 21/05/2009 से 25/11/2016 तक अवधि के लिए उक्त कर पर ब्याज से संबंधित है, के संबंध में दि. 09/12/2016 को एक और डिमान्ड नोटीस जारी किया था। इस संबंध में, बोर्ड ने केवीएटी के आदेश और 09/12/2016 को जारी डिमान्ड नोटीस को चुनौती देते हुए एक रिट पिटीशन दि. 02/01/2017 को माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बैंगलूर के सामने दायर किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने, कर निर्धारण (असेसमेंट) आदेश दि. 27/05/2011 को जारी, जो अभियोजिक (डीसीसीटी, वीएटी, कर्नाटका) के साथ ₹32,69,805/- की राशि पीटिशनर को जमा करने के शर्त पर, आगे की कार्यवाही के लिए इंटिरम रटे जारी किया। इसी बीच, कर्नाटका राज्य सरकार ने कर समाधान योजना - 2017 द्वारा बीएटी, सीएसटी और केईटी आदि., से जुर्माना और ब्याज को अधित्याग, जो दि. 01/04/2005 से 31/03/2016 तक रहे कर अवधि के लिए 15/03/2017 तक राशि अदा नहीं किया गया है तथा ब्याज और जुर्माना भुगतान से संबंधित मामले लंबित रहा है, को ब्याज और जुर्माना को केवल 10% मात्र भुगतान करने से अधित्याग देने के लिए योग्य बना दिया है।

उक्त मामला की स्थिति को देखते हुए, बोर्ड ने सीटीडी. सं. संख्या. 1789617671 द्वारा दि. 30/05/2017 को ई-पेमेंट के जारिये ₹32,69,805/- की राशि भुगतान किया तथा कर समाधान - 2017 के अंतर्गत ब्याज से छूट लाभ को प्राप्त करने ॲन - लाईन आवेदन को नस्तित किया और एक समय लाभ योजना, जो कर्नाटका सरकार द्वारा घोषित किया गया था, को उपयोग करके अपील को डिसमिस करने बोर्ड ने माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बैंगलूर में एक स्मारक (मेमो) दायर किया। बोर्ड ने कर समाधान योजना स्कीम का लाभ उठाकर डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा), मैसूर को डिमान्ड नोटीस की 10% राशि ₹32,69,805/- को भुगतान किया और कर्नाटका के उच्च न्यायालय ने उक्त राशि को भुगतान पर यह मामला सेटिलमेंट होने कारण इस मामला को डिस्पोज किया था। डीसीसीटी-वीएटी विभाग से समाशोधन प्रमाण पत्र अभी तक प्रप्त नहीं हुई है और यह मामला प्रगताधीन है।

27. आय कर - वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा आय कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है।
28. बिक्री कर - वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा बिक्री कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है।
29. नगर निगम कर - संपत्ति कर को संबंधित ग्राम पंचायत, नगर निकायों और निगमों के प्राधिकारियों से डिमान्ड नोटीस प्राप्त होने पर भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान डिमान्ड नोटीस प्राप्त नहीं होने पर संपत्ति कर से संबंधित देय राशि को लेखा बहियों में देयता के रूप में प्रावधान किया जाता है।

30. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कनिगिरी नीलाम प्लैटफार्म में अग्रिशमन उपकरणों के लिए बैंक गारंटी के मुद्दे को समाशोधन के लिए लिया जायेगा, क्यों कि गारंटी की अवधि समाप्त हो गयी थी ।
31. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, नीलाम की 10वीं दिन को संबंधित नीलाम प्लैटफार्म लेखा को इलेक्ट्रानिक फन्ड ट्रान्सफर के द्वारा क्रेताओं से प्राप्त तम्बाकू खरीद मूल्य और नीलाम की 11वीं दिन को संबंधित वैयक्तिक ग्रोयरों के खाता की बिक्री प्रोसीड़ों को ई-भुगतान द्वारा आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी नीलाम प्लैटफार्मों में एसबीआई फास्ट सीएमपी आन्तरिक पोर्टल खाता की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा किया जाता है ।
32. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, नीलाम तारीख के अनुसार सेवा शुल्क की उपार्जित प्राप्ति, वस्तु एवं सेवा कर की देयता और क्रेताओं से तम्बाकू मूल्य की उपार्जित प्राप्ति को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आय व व्यय लेखा में लिया गया है ।
33. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, उपादान और अवकाश नकदीकरण लेखाओं से संबंधित अल्पकालिक और दीर्घकालिक देयता का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, तुलना पत्र की देयता के पक्ष में प्रोजेक्ट किया गया ।
34. सीपीडब्लूडी को अग्रिम जैसे पूँजीगत और राज्यस्व प्रकृति पर व्यय और इसके कार्यों के समापन को ध्यान में रखा गया और इसे परिसम्पत्ति पर मूल्यहास के रूप में गणना की जाती है ।
35. सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उपादान का भुगतान, अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश लेखा के लिए देयता की गणना की जाती है और इसे मृत्यु-दर, निकासी दर, छूट, निवेश पर व्याज आदि., मान्यताओं के साथ बीमांकित मूल्यांकन द्वारा भारतीय जीवित बीमा निगम द्वारा देयता की गणना के अनुसार लेखा बहियों में देयता के रूप में प्रोवैड किया जाता है अतः इसे खाता बाहियों में प्रोजेक्ट नहीं किया गया है ।
36. बजट रसीद और व्यय-तम्बाकू बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आन्तरिक संसाधनों (रसीदों) से ₹11,029.31 लाख की प्राप्ति और ₹11,451.69 लाख राशि को व्यय किया है ।
37. महानिदेशक, महानिदेशक - वाणिज्यक लेखा परीक्षा का कार्यालय और पदेन - सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद के अ. स. पत्र दि.02/12/2021, सं. डीजीसीए/लेखा डेस्क/2020-21/1.42/247 के अनुसार लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए तम्बाकू बोर्ड के लेखाओं पर प्रबंध-पत्र में ऐज किये बिन्दओं पर ऐमिडिकल कार्वाई के लिए पत्र लिखा । लेखापरीक्षा द्वारा सूचित संशोधनों को वर्ष 2021-22 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में निम्नानुसार लिये गये :
- क) लेखाओं के टिप्पणियों में, बोर्ड के नाम पर रहे भूमि विवरण याने., अधिमापन प्रांत, भूमि का स्थान, संपत्ति के शीर्षक और स्वामित्व आदि., को प्रशासनिक कारणों से नहीं दिया गया हैं । यदि, लेखा-परीक्षा अरोक्त विवरणों को सम्मिलित करने का सुझाव देता है तो 2021-22 वित्तीय वर्ष के तम्बाकू बोर्ड की लेखाओं पर लेखा-परीक्षा समाप्त होने के बाद किया पायेगा ।

- ख) परिसंपत्तियों की भौतिक स्थिति के साथ रजिस्टरों और रिपोर्टों के संदर्भ में तम्बाकू बोर्ड के सभी स्थिर और वर्तमान परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन और परिसंपत्तियों की डिएपोजल को दि.31/03/2022 तक अपनाया जायेगा और पूरा किया जायेगा और इसे लेखा-परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा ।
- ग) दि.31 मार्च, 2022 को समाप्त तम्बाकू बोर्ड की वित्तीय विवरणियों को निर्धारित समय याने., 30/06/2022 के अंदर भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग, हैदराबाद को प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।
- घ) लेखा-परीक्षा द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर सूचित विसंगतियों को सुधारा गया है ।
- ड.) आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थित तम्बाकू बोर्ड के सभी कार्यालयों में परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन किया गया है और निराकृत परिसंपत्तियों और इसको डिएपोजल करने की प्रक्रिया प्रगताधीन है । आगामी वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय सभी विवरणों को शामिल किया जायेगा ।

(वी. वेंकटराव)
प्रबंधक (वित्त व लेखा)

2010-11 से 2021-22 तक गैर-योजना और योजना के अंतर्गत निधि गति स्थिति दर्शानेवाला विवरण

क्रं.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	(₹ लाखों में)
1	अन्तर्शेष (योजना & गैर-योजना)	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19	61493.09	60638.28	
2	प्राप्तियाँ													
	क) गैर-योजना	11689.90	15650.73	11541.65	15083.54	16581.13	15387.68	14399.60	14477.23	15395.93	15558.10	12777.00	11029.31	
	ख) योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	सहायता अनुदान													
	क) गैर-योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ख) योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	कुल (आईटी आए)													
	(1 से 3)	34411.76	41519.08	45948.02	51626.35	57965.79	63083.86	66298.66	69178.44	71184.57	74444.29	74270.09	71667.59	
5	ल्याए													
	क) गैर-योजना	1148.77	1565.04	2054.13	2061.98	1728.82	634.50	748.37	13389.80	12298.38	12951.20	13631.81	11451.69	
	ख) योजना	7394.64	5547.67	7351.08	8179.71	8540.79	10550.30	10849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल ल्याए (5)													
6	अन्तर्शेष (4-5)	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19	61493.09	60638.28	60215.90	

संकेताक्षर

आं.प्र	आन्ध्र प्रदेश
एपीएफ/ए.पी.एफ	नीलाम प्लैटफार्म
ओ.मू.	औसत मूल्य
बीएटी	ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको
बीजी	बैंक गारंटी
सीएसीपी	कृषि लागत और मूल्य आयोग
सीबीएस	केन्द्रीय काली मिट्टी
सीएमओ	आम बाजार संगठन
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाज
सीपीए'एस	फसल सुरक्षा एजेंट
सीटीआरआई	केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान
इएलएस	पूर्वी हल्की मिट्टी
इयू	यूरोपीय संघ
एफसीवी	फ्लू कूरिड वर्जीनिया
जीआई	गाल्वनैजिड आईरन
जीआरएल	गाइडेंस अवशिष्ट स्तर
जीएसपी	सामान्यीकृत प्राथमिक प्रणाली
हेचए/हे.	हेक्टर
आईएलटीडी	भारतीय पत्ता तम्बाकू डिवीजन
आईपीएम	एकीकृत कीट प्रबंध
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन संगठन
आईटीए	भारतीय तम्बाकू संघ
आईटीसी	भारतीय तम्बाकू कंपनी
आईटीडीए	भारतीय तम्बाकू डीलर संघ
केके के.के	कर्नाटका
केएल एस	कर्नाटका हल्की मिट्टियाँ
एलएसआई	स्थायी निर्देश के पत्र
एम.केजीएस/एम.केजीएस	मिलियन किलोग्राम
एमझपी	न्यूनतम निर्यात मूल्य
एमजीपी	न्यूनतम गारंटी मूल्य
एमकेटीडी.	विपणित
एमपीए	मोडल परियोजना क्षेत्र
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एनबीएस	उत्तरी काली मिट्टी
एनएपीहेचएम	राष्ट्रीय पादप खास्त्य प्रबंध संस्थान
एनएलएस	उत्तरी हल्की मिट्टी
एनपीवी	न्यूकिलयर पालि हेन्द्रासिस वैरस
एनटीआरएम	गैर तम्बाकू से संबंधित सामग्री
ओएफटी'एस	आन-फार्म परीक्षण
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
पीहेचपीएम	फार्म हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध
क्यूटीवाई.	परिमाण
आरसीएमसी	पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र
आरएटीइएस	ऐल इंडिया टेक्निकल एंड और आर्थिक सेवाओं
एसएलएस	दक्षिणी हल्की मिट्टी
एसबीएस	दक्षिणी काली मिट्टी
एसटीएल	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
टीबीएस	पारंपरिक काली मिट्टी
टीओएलएसी	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीक्यूसी	तम्बाकू गुणवत्ता मंडल
यूएड	संयुक्त अरब अमीरात
यूके	यूनाइटेड किंगडम
यूएस	अमेरिका



तम्बाकू बोर्ड भारत

(अंप्रसं 9001:2015 से प्रमाणित संस्था)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार



किरण गुणवत्ता परिमाण समय

सबसे अधिक प्रतियोगी कीमतों पर
भारतीय तम्बाकू के सही मिश्रण का स्वाद और महक
का अनुभव करें।

व्यापक समकालीन तम्बाकू कृषि की पहल, कलात्मक संसाधन और भंडारण सुविधाएँ और लोगों के कौशलों के साथ भारत सबसे अधिक प्रतियोगी कीमतों और विश्व तम्बाकू उद्योग के लिए विश्व श्रेणी सेवा के साथ गुणवत्ता तम्बाकू को प्रदान करता है।



उत्पाद अखंडता और क्षमता को पता लगाने वर्तमान प्रचलित प्रवृत्तियों के अनुरूप तम्बाकू मूल्य के लिए निर्यात मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में भारतीय निर्यातकों निरन्तर प्रयास करते हैं।

भारत-उत्कर्ष तम्बाकू की विस्तृत शृंखला के लिए एक मात्र गन्तव्य स्थान



दि. 25/09/2021 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्डूर में वाणिज्य उत्सव के सुअवसर पर पण्धारियों के साथ संपन्न बैठक में श्री वी.वी.आर. सुब्रहमण्यम, भा.प्र.से., माननीय वाणिज्य सचिव, श्री दिवाकरनाथ मिश्र, भा.प्र.से., माननीय संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग और डॉ. श्रीधर वाबू अर्द्धकि, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक भाग लिये।



दि. 16/08/2021 को 155वीं बोर्ड बैठक



दि. 28/09/2022 को तम्बाकू बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करते समय डॉ. के.एन. राघवन, भा.रा.से., का पण्धारियों के साथ संदर्शन मिलना



श्रीमती एम. अश्वनी नायुदू, भा.वि.से., निदेशक (नीलाम) द्वारा कर्नाटका में नीलाम प्रक्रिया की अवलोकन



आजादी का अमृत महोत्सव के सुअवसर पर ऑंगोल के गोयर क्षेत्र में डॉ. श्रीधर वाबू अर्द्धकि, भा.प्र.से., द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम



तम्बाकू बोर्ड में स्वच्छता ड्राइव कार्यक्रम के दौरान कार्यपालक निदेशक, अधिकारी गण और कर्मचारी गण की सहभागिता



**भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग**

गुण्डूर - 522 004 (आं.प्र), इंडिया

फोन : +91 863 2358068, 2358399 | फैक्स : +91 863 2354232
ई-मेल : info@tobaccoboard.co.in | वेबसाईट : www.tobaccoboard.com